INDIAN PENAL CODE 1860

May 21

2022

RPA, JAIPUR

इस संकलन का उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को भारतीय दण्ड संहिता के बारे में सामान्य भाषा में जानकारी प्रदान करना है

भारतीय दण्ड संहिता

INDIAN PENAL CODE

ID 32045905
Fantasycreationz | Dreamstime.com
Download from
Dreamstime.com

भारतीय दण्ड संहिता

मॉड्यूल–ए

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय दंड संहिता का परिचय–मुख्य विशेषतायें और उद्देश्य	06
2.	प्रस्तावना– (**अध्याय 1**) धारा 1से 5	7-8
3.	साधारण स्पष्टीकरण– (**अध्याय 2**) धारा 6, 11, 12, 14, 17, 19 से 49, 51, 52, 52–ए (7से10, 13, 15, 16, 18, 50, 52 से 74)*	9-19
4.	दण्डों के विषय में– (**अध्याय 3**) धारा 53 और 75	20-21
5.	साधारण अपवाद–**(अध्याय 4)** (धारा 76 से 106)*	22-31
6.	दुष्प्रेरण के विषय में– (**अध्याय 5)** धारा 107 से 120	32-38
7.	आपराधिक षड्यन्त्र –**(अध्याय 5–क)** धारा 120 ए और 120बी	39
8.	राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में– (**अध्याय 6**) धारा 121–124क, 128–130,(125 से 127)*	40-42
9.	सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 7**) धारा 134, 136, 140, (131से 133, 135, 137 से 139)*	43-45
10.	लोक–प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में–**(अध्याय 8)** धारा 141 से 160	46-53
11.	लोकसेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 9)** धारा–166,167,169,170,171,(161 से 165, 168)*	54-56
12.	निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 9–ंक**) धाराएं (171–क से 171–झ)*	57-59
13.	लोकसेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में– (**अध्याय 10)** धारा–172 से 190	60-69
14.	'मिथ्या साक्ष्य और लोकन्याय के विरूद्व अपराधों के विषय में– (**अध्याय 11**) धारा– 191 से 193, 195ए, 201,211, 213, 216,216ए, 218, 221, 222, 224, 225, 225ए, 225बी, 228ए और 229ए, (194, 196 से 200, 202 से 210, 212, 214, 215, 217, 223, 226, 227)'	70-87

मॉड्यूल–बी

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 12**) (धारा–230–263क)*	88-96
2.	बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 13**) धारा–267, (264–266)*	97
3.	लोकस्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों विषय में– (**अध्याय 14**) धारा–268, 269,(270 से 294क)*	98-100
4.	धर्म से संबंधित अपराध–(**अध्याय 15**) धारा–295–298क	101-102
	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वालें अपराधों के विषय में	
5.	जीवन के लिये संकटकारी अपराधों के विषय में– (**अध्याय 16**) धारा–299 से 304, 304क, 304ख, 306 से 311, (305)*	103-110
6.	गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करनें, शिशुओं को अरक्षित छोडनें और जन्म छिपाने के विषय में–312–318	111-112
7.	उपहति के विषय में–319 से 338	112-117
8.	सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के विषय में–धारा–339 से 348	117-119
9.	आपराधिक बल और हमलें के विषय में– धारा–349 से 351, 353, 354, 356, 358,(352, 355, 357)*	119-124
10.	अपहरण, व्यपहरण, दासत्व और बलातश्रम के विषय में– धारा–359 से363–क, 366, 366–क और ख–369, 371–374 (364, 365, 367, 368, 370)*	124-129
11.	यौन अपराध– धारा–375, 376, 376–क से 376ड	129-135
12.	प्रकृतिविरूद्व अपराधों के विषय में– धारा–377	135

मॉड्यूल–सी

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	सम्पति के विरूद्व अपराधों विषय में–(**अध्याय 17**) धारा–378–462	136-157
1.	चोरी– धारा– 378 से 382	136-137
2.	उददापन– धारा– 383–389	137-138
3.	लूट और डकैती– धारा– 390–402	138-141
4.	संपत्ति कें आपराधिक दुर्विनियोग– धारा– 403 और 404	141-144
5.	आपराधिक न्यासभंग– 405 से 409	144-147
6.	चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में– धारा– 410 से 414	147-148
7.	छल के विषय–में धारा– 415 से 420	148-150
8.	रिष्टी के विषय– धारा– 425 से 440, (421 से 424)*	150-153
9.	आपराधिक अतिचार के विषयमें– धारा– 441 से 462	153-157
10.	दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हो से संबंधित अपराध**(अध्याय–18)** धारा–463,464,467,468,470,471,472, 473,474 (465 से 467) *	158-164
11.	(करेंसी नोटों या बैंक नोटों के विषय में) धारा 489ए से 489ई	164-166
12.	विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में– (**अध्याय 20**) धारा– 494, 497 और 498	167-170
13.	पति या पति के संबंधियों द्वारा क्रूरताके विषय में– (**अध्याय 20–क)** धारा– 498–क	171-176
14.	आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में– (**अध्याय 22**) धारा– 503 से 510	177-181
15.	अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में (**अध्याय 23**) धारा– 511	182

मॉड्यूल–डी

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013	183-
2.	आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018	
3.	उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालयों के नवीनतम विनिर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय।	
4.	केस स्टडी / समूह अभ्यास	199-231

नोट :- उपरोक्त मॉड्यूल के मोटे अक्षरों और तारांकित खंण्डो–अध्ययन के लिए हैं

भारतीय दंड संहिता का परिचय–मुख्य विशेषतायें और उद्देश्य

भारतीय दण्ड संहिता की रचना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई थी। 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया जाकर लागू किया गया। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र आता है। **(वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के पश्चात् दिनांक 31.10.2019 से ''जम्मू कश्मीर को छोडकर'' को विलोपित कर दिया गया है।)** क्षेत्रातीत अधिकारिता के अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक तथा भारत में रजिस्टर्ड विमान तथा जलयान में किए गए अपराधों पर यह संहिता लागू होती है। परन्तु अन्य राष्ट्र क्षेत्रों में गठित अपराधों के मामले में उस राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण संधि होने पर ही इस संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही संभव है। इस संहिता के अन्तर्गत हर व्यक्ति चाहे वह किसी धर्म जाति का हो अपराध करने पर दण्ड का भागी होगा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल को उपरोक्त दायित्व से मुक्त रखा गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय विधि आपराधिक अभियोजन से निम्नांकित को उन्मुक्ति प्रदान करती है :–

1. विदेशी सम्राट
2. राजदूत
3. विदेशी सेना
4. अन्यदेशीय शत्रु
5. युद्धपोत

अध्याय - 1

प्रस्तावना–

Preamble- (chapter I) sections 1 to 5

धारा 1 – यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र आता है। **(वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के पश्चात् दिनांक 31.10.2019 से ''जम्मू कश्मीर को छोडकर'' को विलोपित कर दिया गया है।)**

धारा 2 आईपीसी– भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड। ,

धारा 2–हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।

धारा 3–भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निपटा जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।

धारा 4–इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किसी भी अपराध के लिए भी लागू होते हैं: –

1. भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा या,

2. भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए अपराध पर भी लागू है।

3. भारत में स्थित किसी कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित किसी अपराध पर

स्पष्टीकरण–इस धारा में "अपराध" शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो, इस संहिता के अधीन दण्डनीय होता।

थोटा वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2016 CrLJ 4925 SC सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय नागरिक द्वारा वोटस्याना में किये गये अपराधों के लिए संहिता की धारा 4 (1) के आधार पर भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त है। एक ही संव्यवहार के

अन्तर्गत आने वाले एक से अधिक अपराधों जिनमें से कुछ भारत में और कुछ भारत से परे किये गये, का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के परन्तुक के बावजूद केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लिया जा सकता है।

धारा 5– इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय - 2

साधारण स्पष्टीकरण–

General Explanations- (chapter ii) sections 6, 11, 12, 14, 17, 19 to 49, 51, 52, 52-a. all other sections.**(7 to 10, 13, 15, 16, 18, 50, 52 to 74)***

धारा 6– इस संहिता में सर्वत्र, अपराध की हर परिभाषा, हर दण्ड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दण्ड उपबंध का हर दृष्टांत, "साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अन्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दण्ड उपबंध या दृष्टांत में दुहराया न गया हो।

धारा 7–हर वाक्यांश, जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है।

धारा 8– पुलिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी।

धारा 9– जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।

धारा 10–"पुरुष" शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, एवं "स्त्री" शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।

धारा 11– कोई भी कपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, "व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत आता है ।

धारा 12– जनता, सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अन्तर्गत आता है।

धारा 14– "सरकार का सेवक" शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन, भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक हैं।

धारा 17—सरकार शब्द केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है।

धारा 18— भारत से जम्मू—कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

धारा 19— न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किन्तु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है,

जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो।

धारा 20— न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश—निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश—निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, द्योतक है ।

धारा 21— लोक सेवक :— लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के लिये है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है।

1. (विलुप्त)

2. भारत की सेना नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त ऑफिसर।

3. हर न्यायाधीश जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ।

4. न्यायालय का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणिकृत करे, किसी संपत्ति का भार संभाले या उसका व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो।

5. किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य।

6. हर व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय, या रिपोर्ट के लिये निर्देशित किया गया हो।

7. हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरूद्ध करने या रखने के लिये सशक्त हो ।

8. सरकार का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्यों हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इतला दें, अपराधियों को न्याय के लिये उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे।

9. हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से किसी सम्पति हो ग्रहण करे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितो पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिर्पोट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिये किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।

10. हर ऑफिसर जो किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिये किसी सम्पति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्‌गृहीत करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिये कोई दस्तावेज बनाए।

11. हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या पुनरीक्षित करने के लिये या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो।

12. हर व्यक्ति जो – (1) जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो।

(2) स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केन्द्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो।

राजस्थान संशोधन (वर्ष 1993)

13. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और परीक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित या लगाया गया है। इसके अनुसार लोक निकाय में किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या भारतीय संविधान के अन्तर्गत या सरकार द्वारा गठित विश्वविधालय, शिक्षा परिषद् या अन्य स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

व्याख्या– लोक सेवक के लिये आवश्यक तत्व हैं कि वह सरकार की सेवा या वेतन पर हो उसे कोई लोक कर्त्तव्य करने का कार्य सौंपा गया हो।

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है।

स्पष्टीकरण 1– ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2– जहां कहीं"लोक सेवक" शब्द आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

स्पष्टीकरण 3– "निर्वाचन" शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो।

एम० करुणानिधि बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्यमन्त्री या मन्त्री सरकार के वेतन में हैं अतः संहिता की धारा 21 (12) के अधीन वे लोक सेवक हैं।"

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० बनाम राज्य (दिल्ली) 2009 Cr LJ 1219 (SC)

निर्णीत किया गया कि सरकारी कम्पनी लोक सेवक नहीं है परन्तु ऐसी कम्पनी का हर एक कर्मचारी लोक सेवक है।

धारा 22– चल सम्पत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अन्तर्गत हर भांति की मूर्त सम्पत्ति आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें, जो भू–बद्ध हों या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अन्तर्गत नहीं आती।

धारा 23– **सदोष अभिलाभ** – सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।

सदोष हानि – सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिसका वैध रूप से उसका हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो

सदोष अभिलाभ प्राप्त करना – जब कोई व्यक्ति सदोष रखे रखता है और सदोष अर्जन करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।

सदोष हानि उठाना– जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।

धारा 24– जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुँचाने या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करता है, वह उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है।

धारा 25– यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है, उसे कपटपूर्वक कृत्य कहा जाता है, अन्यथा नहीं।

डॉ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन–कपटके लिए **धोखा** और **क्षति** का होनाआवश्यक है।

धारा 26– कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, अन्यथा नहीं।

धारा 27–जबकि सम्पत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है।

स्पष्टीकरण–लिपिक या सेवक के नाते अस्थाई रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है।

धारा 28–यदि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाना इस आशय से कारित करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्दवारा प्रवंचना की जाएगी, उसे कूटकरण करना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1– कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो।

स्पष्टीकरण 2– जब कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद्दवाराकिसी व्यक्ति को धोखा हो सकता हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज की दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवंचनाकरने का था या वह यह सम्भाव्य जानता था कि तद्दवाराप्रवंचनाकी जाएगी।

धारा 29–दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसे किसी सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिह्न के साधन द्वारा, या उनसे एक से या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके ।

स्पष्टीकरण– यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस सामग्री पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

धारा 30– मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं, जो ऐसा दस्तावेज है, या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, स्थानांतरित, सीमित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है, या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है।

धारा 31–विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है ।

धारा 32–जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है।

धारा 33–कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का ।

लोप––लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का ।

धारा 34– सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गये कार्य–

जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

व्याख्या– सामान्य आशय पूर्व गठित योजना और उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य को इंगित करता है अर्थात सामान्य आशय पूर्व मतैक्य परिकल्पित करता है। सामान्य आशय व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा पूर्व नियोजित किसी आशय पर सामान्यतः एक मत होकर कार्य करने से माना जायेगा।

विवरण–जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो।

धारा 34 आई. पी. सी. (सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 में किसी अपराध की सजा का का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि, यह धारा साक्ष्य का एक नियम प्रतिपादित करती है। कभी किसी भी आरोपी पर उसके द्वारा किये गए किसी भी अपराध में केवल एक ही धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता है, यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाई गयी है, तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा अवश्य ही लगाई गयी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार यदि किसी आपराधिक कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सभी के सामान्य आशय को अग्रसर बनाने में किया जाता है, ऐसे अपराध में सभी अपराधियों के इरादे एक सामान होते हैं, और वे अपने कार्य को अंजाम देने के लिए पहले से ही आपस में उचित योजना बना चुके हों, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य को करने के लिए सभी लोगों के साथ अपना दायित्व निभाता है, तो ऐसी स्तिथि में अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सजा का कुछ इस प्रकार हकदार होता है, मानो वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने किया हो।

कब लगाई जाती है धारा 34

यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कोई अपराध किया है, जिसमें उसके साथ कुछ और भी लोग उसी अपराध को करने के इरादे से शामिल हैं, तो उन सभी अपराधियों पर उनके द्वारा किये हुए अपराध के साथ – साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भी लगाई जाती है। उदाहरण के लिए तीन व्यक्ति आपसी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को घायल करना, मारना या किसी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहते हैं, और वे सभी लोग इस काम को अंजाम देने के लिए अपने स्थान से रवाना हो कर वहां पहुंच जाते हैं, जहां वह व्यक्ति मौजूद होता है। जैसे ही उन लोगों को वह व्यक्ति दिखाई देता है, तो उन तीनों लोगों में से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर किसी हथियार आदि से हमला कर देता है, किंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार इस हमले को झेल लेता है, और उन तीन हमलावरों को सामने देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। जब तक हमलावर उसे पकड़ पाते, वहां कुछ और लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें देख कर सभी हमलावर वहां से भाग निकलते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को घायल करने का कार्य केवल एक ही व्यक्ति ने किया, जिस कारण वह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत अपराधी है, किंतु अन्य दो व्यक्ति भी उस व्यक्ति को घायल करने की नीयत से ही उस तीसरे व्यक्ति के साथ वहां गए थे। अतः वे तीनों व्यक्ति भी उस व्यक्ति पर हमला करने के अपराधी हैं, क्योंकि उन सभी लोगों का आम प्रयोजन या इरादा एक समान था। उन सभी पर धारा 323 के साथ – साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भी आरोपित की जाएगी। यदि वे भी उस अभियोग में दोषी पाए जाते हैं, तो दोनों को उस हमलावर व्यक्ति के समान ही दंडित किया जाएगा।

आरोप उदाहरण 302 / 34, 323 / 34, 326 / 34

धारा 34 के सामान्य तत्व

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य होता है

1 किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि

2 आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोग लिप्त होने चाहिए

3 अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना चाहिए

4 आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी होनी चाहिए

सामान्य आशय और समान अथवा समरूप आशय

सामान्य आशय और समान अथवा समरूप आशय एक दूसरे से भिन्न हैं। पहले में जबकि चित्त का मिलन आवश्यक है, दूसरे में इसकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, क और ख दोनों ही ग की,

जो उनका भयादोहन कर रहा है, हत्या करना चाहते हैं। क सोचता है कि ऐसा करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ग जब रात्रि भोजन के पश्चात् टहलने जाता है तो उसे वह गोली मार दे। संयोग से ख भी ऐसा ही सोचता है। क और ख एक दूसरे से कभी नहीं मिले और एक दूसरे के आशय की जानकारी भी नहीं है।

महबूब शाह बनाम एम्परर, AIR 1945 PC 118 तथा **पाण्डुरंगा बनाम हैदराबाद राज्य, AIR 1955 SC 216** के वाद में सामान्य आशय एवं समान आशय के अन्तर को स्पष्ट किया गया।

कई व्यक्ति एक ही साथ किसी एक व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं तथा प्रत्येक का हत्या करने का आशय होता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग–अलग प्रहार करता है, तब भी वे सामान्य आशय से युक्त नहीं हैं क्योंकि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, पूर्व निर्धारित योजना को पूरा करने के लिए नहीं हुआ। समान आशय में प्रत्येक व्यक्ति जो चोट पहुंचाता है उसके लिए स्वयं दायी होता है जबकि सामान्य आशय में संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यक्ति दूसरे सह–अभियुक्त के कार्यों के लिए संयुक्त रूप से दायी होता है और पृथक रूप से भी।

विश्वनाथ बनाम शांतामल्लप्पा धुले 1998 CrLJ 400 (SC) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ अभियुक्तों में से एक ने कुल्हाड़ी से एक बार प्रहार किया जबकि दूसरे ने अपनी कुल्हाड़ी को केवल ऊँचा उठाया तो दोनों ही धाराओं 302,34 के अधीन दंडनीय हैं।

गोपाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2013 CrLJ

में अपीलार्थियों के खेत में परिवादियों के जाने पर दोनों पक्षों में लड़ाई प्रारम्भ हो गयी जिसमें परिवादी पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और दोनों पक्षों में कई घायल हो गये। अपीलार्थियों ने दूसरे मृतक का पीछा किया जो घटनास्थल से भाग रहा था और उसकी मृत्यु कारित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि पहले मृतक के बारे में अपीलार्थियों का प्राइवेट प्रतिरक्षा का तर्क सही था पर दूसरे मृतक के मामले में यह सही नहीं था। अतः अपीलार्थीगण धाराओं 302/34 के अधीन दोषी थे।

चिन्नम कामेश्वर राव एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2013 CrLJ **1540**

में अभियुक्त और मृतक के बीच घटना से पूर्व झगडा हुआ। उसके पश्चात्, अभियुक्तगण मृतक के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। छुपकर आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने लाठियां एकत्र की। मृतक के मर्म स्थानों पर भी क्षति कारित की गयी और उसके गिर जाने के पश्चात् भी पीटना जारी रहा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु सामान्य आशय को अग्रसर करते हुये की गयी थी।

ऋषिदेव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1955 SC 331

सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण से निश्चित किया जाता **है।**

धारा 35– जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो ।

धारा 36–जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है।

धारा 37– जब कि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो भी कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है।

धारा 38– जहां कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या सम्पृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे ।

दृष्टांत

क गम्भीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थतियों के अधीन य पर आक्रमण करता है कि य का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है । ख जो य से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए य का वध करने में क की सहायता करता है । यहां, यद्यपि क और ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है ।

धारा 39– कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, "स्वेच्छया" कारित करना कहलाता है।

धारा 40– इस धारा के खण्ड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दण्डित की गई बात का द्योतक है ।

अध्याय 4, अध्याय 5क और निम्नलिखित धारा, अर्थात् धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या एत्स्मिनपश्चात् यथापरिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात का द्योतक है।

और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, जुर्माने सहित या रहित, दण्डनीय हो।

धारा 41–''विशेष विधि''वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो।

विवरण – किसी विशेष विधि या कानून से होता है, जो कि किसी विशेष विषय पर लागू होता है, जैसे कोई ऐसा विषय है, जिस पर भारतीय दंड संहिता की कोई भी धारा लागू नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में मामले को निपटाने के लिए न्यायालय किसी अन्य कानून या विधि का सहारा लेती है, तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार ही होता ह

धारा 42–स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो ।

धारा 43–"अवैध" शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और करने के लिए "वैध रूप से आबद्ध"कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है ।

धारा 44–क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से पहुँचाई गयी हो।

धारा 45–जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है ।

धारा 46– जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है ।

धारा 47– जीवजन्तु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है ।

धारा 48– जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है, जो मानवों के या सम्पत्ति के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो ।

धारा 49– जहां कहीं वर्ष "शब्द" या "मास" शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि "वर्ष" या "मास" की गणना ब्रिटिश कलैंडर के अनुकूल की जानी है ।

धारा 50– धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है, जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं ।

धारा 51– शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अन्तर्गत आती है।

धारा 52– कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

धारा 52–संश्रय .

धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो"संश्रय" शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय ,भोजन , पेय , धन , वस्त्र , आयुध गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना , या किन्ही साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं , जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकडे जाने से बचने के लिए करना होता है "

तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी और अन्य 1999 CrLJ 3124(SC)

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी को अपने पति को संश्रय देने के लिए केवल इस आधार पर आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह अपने घर में अपने पति के संग रहती थी।

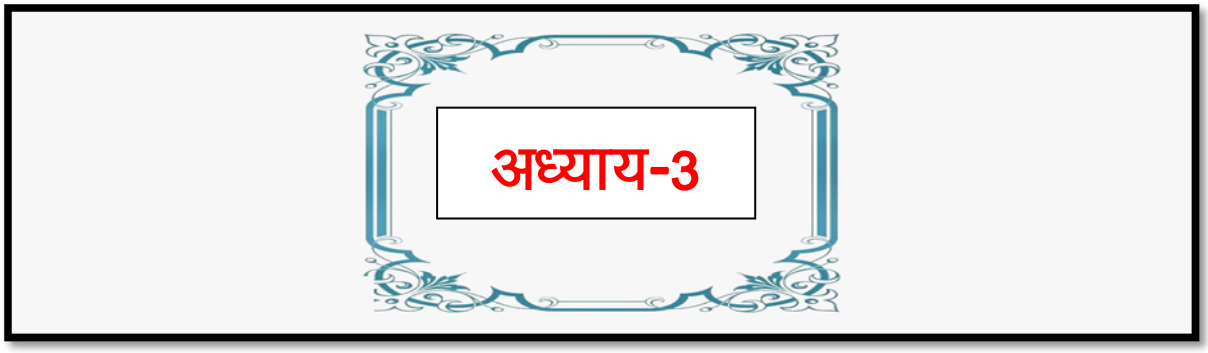

दण्डों के विषय में

Punishments- (chapter iii) sections 53 & 75

धारा 53—अपराधी इस संहिता के उपबंधों अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय हैं, वे ये हैं।

क) मृत्यु

ख) आजीवन कारावास

ग) कारावास, जो दो भांति का है, अर्थातः —(1) कठोर अर्थात, कठोर श्रम के साथ, (2) सादा

घ) सम्पत्ति का समपहरण

च) आर्थिक दण्ड।

सुभाष चन्दर बनाम कृशन लाल 2001 CrLJ 1825 (SC)

में अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया। आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने के पश्चात् अपराधी कब कारागार से बाहर आ सकेगा, के प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्यर्थी की ओर से दिए गए इस बयान पर कि भविष्य में अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर प्राणों का संकट मंडराता रहेगा, यह अभिनिर्धारित किया कि अपराधी के लिए आजीवन कारावास का अर्थ उसके शेष जीवन पर्यन्त तक कारावास होगा। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401, बंदी अधिनियम, जेल निर्देशिका या किसी अन्य कानून या लघुकरण और परिहार के प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन लघुकरण अथवा समयपूर्व निर्मुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य 2001 CrLJ 2925 (SC)

इस वाद में लूट के अपराध के दौरान एक घर में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई। भिन्न–भिन्न प्रकार के घरेलू सामानों का आयुध की तरह उपयोग कर मृतकों को कई–कई क्षति कारित की गई। उच्चतम न्यायालय ने इसे विरल में विरलतम मामला न मानकर आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किया और साथ ही यह निर्देश भी दिया कि बीस वर्षीय अभियुक्त को किसी भी परिस्थिति में कारागार में बीस वर्ष की अवधि पूर्ण किए बिना न रिहा किया जाए।

के. व्ही. चाको बनाम केरल राज्य 2004 CrLJ 481 **(केरल)**

में केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जब तक आजीवन कारावास के दंड का लघुकरण न कर दिया गया हो तब तक अपराधी अपने संपूर्ण जीवन का कारावास भुगतना होगा।

धारा 75–पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड :–जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 (सिक्कों व स्टाम्प के अपराध) या अध्याय 17 (सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध) के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराये जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

अध्याय–4

साधारण अपवाद

General exceptions- (chapter iv) (sections 76 to 106)

धारा 76– विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य– कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न की विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

व्याख्या– यह धारा ऐसे व्यक्ति को क्षमा देती है जिसने कोई ऐसा कार्य किया हैं जो विधि के द्वारा अपराध है किन्तु जिसे करने में तथ्यों की भूल के अधीन वह सद्भावपूर्वक इस विश्वास में आ गया था कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आदेशित है।

धारा 77–कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग मे की जाती है, जो या जिसके बारे मे उसे सद्भावपूर्वक उसे विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

धारा 78–कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

धारा 79–कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत है।

धारा 80– कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

धारा 81– कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई हैं कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक की गई हो।

व्याख्या– कोई कार्य जो अपराध होगा कुछ परिस्थितियों में क्षमा किया जा सकता है यदि अभियोजित व्यक्ति यह दर्शित करे की उसने वह कार्य कुछ ऐसे परिणामों से बचने के लिए किया था जो अन्यथा रोके न जा सकते थे एवं उससे अधिक अपहानि कारित हो सकती थी।

धारा 82– कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

धारा 83– कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से ऊपर था 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके।

धारा 84– कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

व्याख्या– चित्तविकृति का अर्थ है चाहे समर्थता का अभाव स्थायी हो या अस्थायी, प्राकृतिक हो या आकस्मिक या चाहे वह बीमारी के कारण पैदा हुई हो या जन्म से ही विद्यमान हो, सभी चित्तविकृति की अभिव्यक्ति में शामिल है।

धारा 85– कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जब कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरूद्ध दी गई थी।

धारा 86–उन दशाओं मे जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत मे करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह मतता मे न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना व उसकी इच्छा के विरूद्ध न दी गई हो।

धारा 87—कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे मे कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे मे कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की, जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है।

उदाहरण :—क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने मे सहमत होते है। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो पट्टेबाजी के खेल मे नियम विरूद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथानियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है, तो क कोई अपराध नहीं करता है।

धारा 88—कोई बात जो मृत्युकारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिये यह बात सद्भावपूर्वक की जाये और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिये चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

धारा 89—कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु से या विकृतचित व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

परन्तुक :—

पहला—इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा—इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा—इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा–इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

धारा 90– कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि यह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी।

उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति– यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो।

शिशु की सम्मति– जब तक की संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो ऐसी सम्मति, यदि ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है।

धारा 91–धारा 87, 88 और 89 के अपवादो का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किये जाने का आशय हो, या कारित होने की सम्भावना ज्ञात हो।

धारा 92–कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाये, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिये यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो ओर उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह फायदे के साथ की जा सके।

परन्तुक :–

पहला–इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा–इस अपवाद का विस्तार मृत्युया घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा–इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा– इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

धारा 93–सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिये दी गई हो।

धारा 94–हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधो को जो राज्यों के विरूद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिये ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथाा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाये, परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति मे न डाला हो जिसमे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

स्पष्टीकरण–1वह व्यक्ति, जो स्वंय अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है।

स्पष्टीकरण–2 डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहीत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए, जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ, एक लोहार, जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोडने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है।

धारा 95–कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 96–प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार– कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है।

व्याख्या–प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान अपहानि उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। खुली लड़ाई में कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मानी जायेगी।

धारा 97– धारा 99 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार हैं कि –

पहला– मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरूद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे।

दूसरा– किसी ऐसे कार्य के विरूद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

अजीत सिंह बनाम राज्य 1971 के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि झगड़ा प्रारम्भ करने वाला भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकता है।

नैनाराम बनाम राज्य के वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का अधिकार है, बदला लेने या प्रतिकार का अधिकार नहीं। .

धारा 98– ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो –

जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

उदाहरण– पागलपन के असर में '**य**' '**क**' को मारने का प्रयत्न करता है। '**य**' किसी अपराध का दोषी नहीं है किन्तु '**क**' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह '**य**' के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता।

धारा 99–कार्य जिनके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

(1) सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक द्वारा किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(2) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक के निर्देश से किया जाता है या ऐसा

प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(3) उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

(4) इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार– किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करनें पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 1– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किए गए ,या किए जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोकसेवक है।

स्पष्टीकरण 2– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किए गए, या किये जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा हैं , या जब तक की वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है।

धारा 100–शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है– शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, निम्नलिखित में से किसी भी भांति का है–

(1) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा,

(2) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा,

(3) बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला,

(4) प्रकृति विरूद्ध काम–तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला,

(5) व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला,

(6) इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाये, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(7) अम्ल फेंकने का कार्य या प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे कृत्य का परिणाम घोर उपहति होगी । **(आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013) के द्वारा जोडा गया।**

धारा 101–कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है– यदि अपराध पूर्वगामी अन्तिम धारा में वर्णित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु, स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

धारा 102–शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना–

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक की शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

धारा 103–कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है– संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के या प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है निम्नलिखित में से किसी भांति का है–

(1) लूट,

(2) रात्रौ, गृह भेदन,

(3) अग्नि द्वारा रिष्टि,जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गयी है , जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

(4)चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर

उपहति होगा।

मुंशीराम बनाम दिल्ली के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अतिचारियों को उस सम्पत्ति पर अगर सुरथापित कब्जा प्राप्त है तो वह उस सम्पत्ति पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है।

पूरण सिंह बनाम पंजाब राज्य 1975 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया– जिस सम्पत्ति पर अतिचारी का पूरा नियन्त्रण हो युक्त रूप से सम्पत्ति का उपयोग कर रहा है तो यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति का उस सम्पत्ति पर सुस्थापित कब्जा है।

धारा 104 –ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का तब होता है–यदि वह अपराध जिसके किये जाने या जिसके किये जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित भांतियो में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक होता है।

धारा 105–संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना –

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आरम्भ होती है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक

1 . अपराधी संपत्ति लेकर स्थान छोडकर चला नहीं जाता या

2 लोक अधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त नहीं हो गयी हो

3 संपत्ति पुनः प्राप्त न हो गई हो।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरूद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टी करता रहता है।

रात्री गृह भेदन के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक की गृह अतिचार चलता रहता है (जहां एक व्यक्ति ने चोर का पीछा किया और उसे गृह अतिचार समाप्त हो जाने के बाद खुले में मार डाला, यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन था)

धारा 106–घातक हमले के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो– जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक के रूप में नहीं कर सकता हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस अपहानि के जोखिम उठाने तक का है।

उदा. **क** पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाये बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे–2 शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाये बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो **क** कोई अपराध नहीं करता।

अध्याय - 5

दुष्प्रेरण के विषय में

Abetment-(chapter-v) section 107 to 120

दुष्प्रेरण के संबंध में

धारा 107–किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो

1 उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा

2 उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा

3 उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है

स्पष्टीकरण 1– जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण –क एक लोक ऑफिसर, न्यायालय के वारंट द्वारा **य** को पकड़ने के लिये प्राधिकृत है। **ख** उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि **ग,य** नहीं है **क** को जानबूझ कर यह व्यपदिष्ट करता है कि **ग, य** है और तद्द्वारा साशय **क** से **ग** को पकड़वाता है। यहां **ख, ग** के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

स्पष्टीकरण 2–जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (2010) 2 क्रि० लॉ ज० 2110 (एस० सी०) अभिनिर्धारित किया गया कि दुष्प्रेरण उकसाने की मानसिक अथवा कोई निश्चित कार्य करने में साशय सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया आवेष्टित करता है। **दुष्प्रेरण** हेतु अभियुक्त द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।

धारा 108 दुष्प्रेरक– वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1– किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2– दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

उदाहरण 1–ग की हत्या करने के लिये **ख** को **क** को उकसाता है। ख वैसा करने से इंकार कर देता है। क हत्या करने के लिये ख के दुष्प्रेरण का दोषी हैं।

उदाहरण 2– घ की हत्या करने के लिये ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को घायल कर देता है। क हत्या करने के लिये ख को उकसाने का दोषी है।

स्पष्टीकरण 3– यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।

उदाहरण 1–य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क को उकसाता है जिससे य की मृत्यु हो जाती है। ख दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है । यहां यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसीलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण 4– अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

उदाहरण –ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिये ख को क उकसाता है। ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिये ग को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग

उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिये हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिये ख को उकसाया इसलिये क भी उसी दंड से दंडनीय है।

स्पष्टीकरण 5– षड़्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता हैं।

उदाहरण –य को विष देने के लिये ग एक योजना ख से मिलकर बनाता है । यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता । ग विष उपाप्त करने के लिये सहमत हो जाता है और उसे समझाये गये प्रकार से उपाप्त करके प्रयोग में लाने के लिये ख को दे देता है। क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है । यहां यद्यपि क और ग ने मिलकर षड़्यंत्र नहीं रचा है तो भी ग उस षड़यंत्र में शामिल रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है इसलिये ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिये दंड से दंडनीय है।

धारा 109–दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाये जहां कि उसके दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हैं– जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिये इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नही किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।

स्पष्टीकरण –कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

उदाहरण –ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिये क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है।

प्राण कृष्ण शर्मा (1882) 8 कलकत्ता 969 के मामले में एक हिन्दू स्त्री अपनी अप्राप्तवय पुत्री को लेकर अपने पति का घर छोड़ कर अभियुक्त के घर चली गयी और उसी दिन उस पुत्री के पिता की बिना सम्मति के पुत्री का विवाह, अभियुक्त के भाई के साथ कर दिया गया। अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त धारा 109 के साथ धारा 363 के अधीन विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के अपराध का दुष्प्रेरण करने का दोषी है।

धारा 110– जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, जो दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से, किया जाता है।

धारा 111– जब कि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया होः –

परन्तुक –परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षडयंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।

धारा 112– यदि वह कार्य, जिसके लिए दुष्प्रेरक अन्तिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दण्डनीय नहीं है ।

दृष्टांत

ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम् का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है । ख परिणमस्वरूप उस करस्थम् का प्रतिरोध करता है । प्रतिरोध करने में ख करस्थम् का निष्पादन करने वाले आफिसर को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है । ख ने करस्थम् का प्रतिरोध करने और स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किए हैं । इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दण्डनीय है, और यदि क यह सम्भाव्य जानता था कि उस करस्थम् का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, तो क भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दण्डनीय होगा ।

धारा 113– जब किसी दुष्प्रेरक द्वारा किसी कार्य का दुष्प्रेरण किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है तब दुष्प्ररेक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो परन्तु यह तब जब कि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कारित होना सम्भाव्य है।

धारा 114– जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता, उस समय उपस्थित हो ज बवह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप होता तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

धारा 115—जो कोई मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप क्षति करने वाला कार्य किया जाता है – और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 116—जो भी कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान इस संहिता में नहीं किया गया है, तो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक बढ़ायी जा सकती है, या उस अपराध के लिए उपबन्धित आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगाय

यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा **लोक सेवक** है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो––और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए उपबंधित किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की आधी अवधि तक बढ़ायी जा सकती है, या उस अपराध के लिए उपबन्धित आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 117– जो भी कोई सामान्य जन, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 118—जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास, से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए,ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी, कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए––यदि अपराध नहीं किया जाए––यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन

वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

दृष्टांत

क, यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तिला देता है कि डकैती ग स्थान पर, जो विपरीत दिशा में है, पड़ने वाली है और इस आशय से कि तद्द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है । डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है । क इस धारा के अधीन दंडनीय है ।

धारा 119—जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना, जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्दवारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए,

ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए— यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधी तक होगी, या उस अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दण्ड से, या दोनों से,

यदि अपराध मृत्यु आदि से दण्डनीय है— अथवा यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय हो, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है,

यदि अपराध नहीं किया जाए— अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की होगी, या उस अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 120—जो भी कोई उस अपराध का किया जाना, जो कारावास से दण्डनीय है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्दवारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए कि,

ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छा पूर्वक छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा वर्णन करेगा, जिसका निराधार होना वह जानता है,

यदि अपराध होता है–– यदि ऐसा अपराध हो जाए, तो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक बढ़ायी जा सकती है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगाय

और यदि अपराध नहीं होता है––यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक बढ़ायी जा सकती है, या उस अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दण्ड से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन बनाम वी० सी० शुक्ला, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 1406–अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहता है कि दो में से एक अभियुक्त किसी आपराधिक षड्यन्त्र में भागीदार था ऐसी दशा में दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध षड्यन्त्र का आरोप सिद्ध नहीं माना जायेगा क्योंकि षड्यन्त्र में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है।

आर० शाजी बनाम स्टेट ऑफ केरल, AIR 2013 SC 651 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक षडयंत्र के अपराध के गठन के लिए आपराधिक षडयंत्र के उद्देश्य का ज्ञान होना मात्र पर्याप्त है। सभी प्रक्रमों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

मो० जमीलुद्दीन नासिर बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 2014 SC 2587 के मामले में यह धारित किया गया कि अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर सह अभियुक्त को धारा 120–ख के अन्तर्गत षडयंत्र के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, विशेष रूप तब, जब स्वतंत्र साक्ष्य से उसकी पुष्टि हो रही हो।

अध्याय 5 ए

आपराधिक षड्यन्त्र

Criminal conspiracy- (chapter v-a) sections 120 A &120B

आपराधिक षड्यंत्र

धारा 120ए–आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा – जबकि दो या अधिक व्यक्ति

1 कोई अवैध कार्य अथवा

2 कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण–यह तत्व हीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्येश्य का आनुषंगिक मात्र है।

धारा 120 बी–आपराधिक षडयंत्र का दंड– (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षड़्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

अध्याय - 6

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

Offences against the state- (chapter vi) sections 121-124a , 128-130, **(125 to 127)***

राज्य के विरूद्ध अपराध

धारा 121—जो कोई भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 121क—जो कोई धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधो में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड़्यन्त्र करेगा या केन्द्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड़यन्त्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो।

धारा 122—जो भी कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से सैनिक, आयुध या गोलाबारूद संग्रहित करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे अधिकतम दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 123– जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को, जो ऐसे युद्ध करने को सुगम बनाने के आशय से इस प्रकार छिपाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाकर ऐसे युद्ध करने को सुगम बनाए, किसी कार्य, या किसी अवैध लोप द्वारा छिपाएगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास से जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 124ए–राजद्रोह–जो कोई बोले गये या लिखे गये **शब्दो द्वारा** या **संकेतों द्वारा** या **दृश्य रूपण द्वारा** या **अन्यथा** भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1– अप्रीति पद के अन्तर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनायें आती हैं

स्पष्टीकरण 2– घृणा अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका–टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं है।

स्पष्टीकरण 3– घृणा अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका–टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती।

धारा 125–जो कोई भारत सरकार, से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास, से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 126– जो भी कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, तो उसे ऐसी किसी अवधि के लिए कारावास की सजा से जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा, और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई

गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण के लिए दायित्वाधीन होगा।

धारा 127—जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति समपहरण के लिए दायित्वाधीन होगी।

धारा 128—जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी अभिरक्षा में रखे हुए किसी **राजकैदी** या **युद्धकैदी** को, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, स्वेच्छया निकल भागने देगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 129— जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी **राजकैदी** या **युद्धकैदी** की अभिरक्षा रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध के स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए सादा कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 130—जो कोई जानते हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा, या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास, से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण— कोई राजकैदी या युद्धकैदी, जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर, यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है, जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है ।

अध्याय -7

सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

Offences relating to the army- (chapter vii) sections 134, 136, 140, **(131 to 133, 135, 137 to 139)***

धारा 131—जो कोई भारत सरकार, की सेना, नौसेना या वायुसेना, के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे आफिसर, सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक, को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास, से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में आफिसर, सैनिक, नौसैनिक, और वायुसैनिक, शब्दों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति, आर्मी ऐक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 (1934 का 34), एअर फोर्स ऐक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45),, के अध्यधीन हो।,

धारा 132—जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, करेगा, तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे अधिकतम दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आवश्यक तत्व

- विद्रोह का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए।
- सजा – मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास और आर्थिक दण्ड।
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 133–जो भी कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपने पद–निष्पादन में है, पर हमले का दुष्प्रेरण करेगा, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

धारा 134–जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब कि वह अधिकारी अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 135– जो भी कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य छोड़कर भागने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 136–जो कोई सिवाय एतस्मिनपश्चात् यथा अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार, की सेना, नौसेना या वायुसेना, के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अपवाद –इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है ।

धारा 137– किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, जिस पर भारत सरकार, की सेना, नौसेना या वायुसेना, का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, यद्यपि वे ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी, यदि

उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था ।

धारा 138– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञाकारिता के कार्य के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और यदि अवज्ञाकारिता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 139–कोई व्यक्ति, जो आर्मी ऐक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इंडियन नेवी (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34), एअर फोर्स ऐक्ट या वायुसेनाअधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है।

धारा 140–जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा प्रतीक चिह्न धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिह्न से सदृश हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पाँच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

विवरण – सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।

सजा– तीन महीने कारावास या पाँच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।

यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं ळें

अध्याय – 8

लोक–प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

Offences against public tranquillity- (chapter viii) sections 141 to 160

लोकप्रशांति के विरूद्ध अपराध

धारा 141–विधि विरूद्ध जमाव– पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव ''विधि विरूद्ध जमाव'' कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो–

(1) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा आतंकित करना

(क) केन्द्र सरकार को या,

(ख) राज्य सरकार को या,

(ग) विधायिका को या,

(घ) विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी लोक सेवक को

(2) विधि अथवा वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना

(3) कोई रिष्टि, आपराधिक अतिचार अथवा कोई दूसरा अपराध करना

(4) आपराधिक बल का प्रयोग करके

(क) किसी संपत्ति को कब्जे में लेना या उसे अभिप्राप्त करना,

(ख) किसी व्यक्ति को उसके किसी अमूर्त अधिकार से वंचित करना

(ग) किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को लागू कराना।

(5) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करना

(क) ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने को वह वैध रूप से बाध्य नहीं है, या

(ख) ऐसा कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है।

स्पष्टीकरण–कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरूद्व नहीं था बाद में विधि विरूद्व जमाव हो सकता है।

धारा 142– विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होना– जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरूद्व जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरूद्व जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है

धारा 143– दण्ड– जो कोई विधि विरूद्व जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 144 –जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किऐ जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 145 –जो कोई किसी विधि विरूद्व जमाव में यह जानते हुये ऐसे विधि विरूद्व जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा,बना रहेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 146– बल्वा करना– जब किसी विधि विरूद्व जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा 147–बल्वा करने के लिए दण्ड– जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 148–घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना– जो कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने के रूप में मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुये बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 149– विधि विरूद्व जमाव को हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी – यदि विधि विरूद्व जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया

जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 150—जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियुक्त करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियुक्त करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति बढ़ावा देगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियुक्त करने के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।

धारा 151—जो कोई व्यक्ति पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जनसमूह जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो, जबकि ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिया गया हो में जानबूझकर शामिल हो या बना रहे, को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा

स्पष्टीकरण —यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा ।

धारा 152—जो भी कोई ऐसे किसी लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध जनसमूह के बिखेरने, या उपद्रव , दंगे को दबाने का प्रयास में लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, पर हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 153—जो भी कोई अवैध बात करके किसी व्यक्ति को द्वेषभाव या बेहूदगी से प्रकोपित करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध हो सकता है

यदि उपद्रव होता है— यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप उपद्रव का अपराध होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

और यदि उपद्रव नहीं होता है– यदि उपद्रव का अपराध नहीं होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे छह मास तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

- उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना
- यदि उपद्रव होता है
- सजा – एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यदि उपद्रव नहीं होता है
- सजा – छह महीने कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 153क– धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना–

(1)जो कोई

(क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक–प्रशान्ति में विध्न डालता है या जिससे उसमें विध्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रिया कलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किये जायेंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे

क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे या सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगें या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समूदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध– जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

धारा 153कक– किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन का आयोजन करना या उसमें भाग लेना– जों कोई किसी सार्वजनिक स्थान में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144क के अधीन जारी की गई किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

व्याख्या :–भा.द.सं. की धारा 144क के लागू होने की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है, अतः यह धारा भी प्रभावी नहीं है।

धारा 153ख–जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा,––

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या

जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की, बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक् करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य, अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं,

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 154—जब कभी कोई विधिविरूद्व जमाव या बल्वा हो, और जिस भूमि पर ऐसाविधिविरूद्व जमाव या बल्वा हो, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति, या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यदि यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात की अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार शीघ्र सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान आफिसर को न दे या उस स्थिति में, जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि अपराध लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार सब कानूनी साधनों का उपयोग कर उसका निवारण नहीं करता या करते और उसके हो जाने पर अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार सब कानूनी साधनों का उपयोग उस विधिविरूद्व जमाव को बिखरने या बल्वा को दबाने के लिए नहीं करता या करते, तो वह एक हजार रुपए तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 155—जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बल्वाकिया जाए, जो किसी भूमि, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, का स्वामी या अधिवासी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वाको पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या उससे कोई फायदा स्वीकार या प्राप्त करने वाला व्यक्ति, या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना संभाव्य है या जिस विधिविरूद्व जमाव द्वारा ऐसाबल्वा किया जाए, उस जमाव का होना सम्भाव्य है, अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार

सब कानूनी साधनों का उपयोग कर उस विधिविरूद्वजमाव को बिखरने या बल्वाको दबाने का निवारण नहीं करता या करते तो उसे आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 156–जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बल्वाकिया जाए, जो किसी भूमि, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, का स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वाको पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या उससे कोई फायदा स्वीकार या प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभिकर्ता या प्रबंधक जो इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना संभाव्य है या जिस विधिविरूद्वजमाव द्वारा ऐसा बल्वाकिया जाए, उस जमाव का होना सम्भाव्य है, अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार सब कानूनी साधनों का उपयोग कर उस विधिविरूद्वजमाव को बिखरने या बल्वा को दबाने का निवारण नहीं करता तो उसे आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 157–जो कोई अपने आधिपत्य या प्रभार, या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या एकत्र करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 158–जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

या सशस्त्र चलना––तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर, किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होकर चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 159ः–दंगे की परिभाषाः–

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो कहा जायेगा कि उन्होनें दंगा किया है।

धारा 160 दंगे का दण्डः–एक माह कैद या 100 रूपये या जुर्माना दोनों।

अध्याय – 9

लोकसेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

Offences by or relating to public servants- (chapter ix) sections- 166,167,169,170,171, **(161 to165, 168)***

भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम 1988 के अधिनियम संख्या 49 की धारा 31 द्वारा धारा 161–165क तक निरसित

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार,

जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचेगी, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दृष्टान्त

क, जो एक ऑफिसर है, और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में सम्पत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निदेशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि तद्द्वारा वह य को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निदेश की अवज्ञा करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

आवश्यक तत्व

लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना।

सजा– एक वर्ष सादा कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर–असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 166 क लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है—जो कोई, लोक सेवक होते हुए—

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थित की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता हैः या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने चाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करता हैः या

(ग) धारा 326—क, धारा 326 ख, धारा 354 ख धारा 354 ख, धारा 370, धारा 370 क, धारा 376, धारा 376क, {धारा 376 कख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख} धारा 376 ड. या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन लेखबद्ध करने में असफल रहता है,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 166 ख पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड—जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राईवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अनय व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 ग के उपबंधो का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 167—जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार—वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

- लोक सेवक द्वारा क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचना।
- सजा – 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

धारा 169–जो भी कोई लोक सेवक होने के नाते, किसी अमुक संपत्ति को क्रय करने और बोली लगाने, के लिए वैध रूप से आबद्ध न होते हुए, या तो अपने निजी नाम में, या किसी दूसरे के नाम में, अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करेगा, या उसकी बोली लगाएगा,

तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि संपत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जाएगी।

धारा 170–जो भी कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म–प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 171–जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, या निशानी के सदृश कोई निशानी धारण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

- कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना।
- सजा – तीन महीने कारावास या दो सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं हैं।

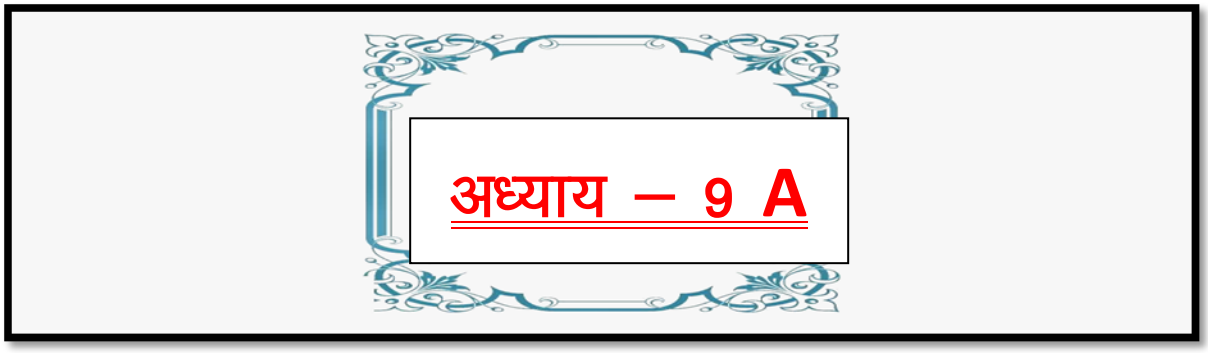

निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में

Offences relating to elections- (chapter ix-a) sections **(171-A to 171-I)***

धारा 171क–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए––

2,(क) अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है या,

(ख) निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

धारा 171ख–(1) जो कोई––

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह

बात करने के लिए, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है ।

धारा 171ग–(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई–

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है ।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

धारा 171घ– जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत–पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है ।

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति कि लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

धारा 171ङ–जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण––सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।

धारा 171च–जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171छ–जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171ज–जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

धारा 171झ–जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।,

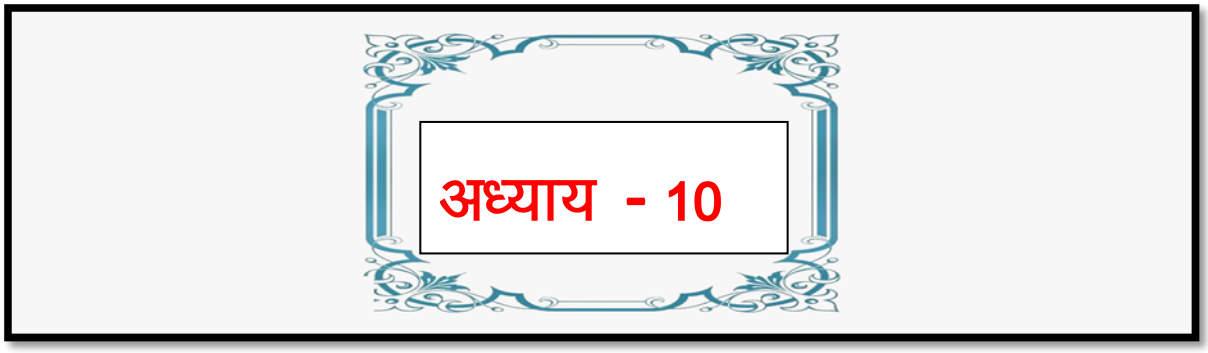

अध्याय - 10

<u>लोकसेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में</u>

Contempt of the lawful authority of public servants- (chapter x) sections- 172 to 190

धारा 172—जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा, यदि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए, हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 173—जो भी कोई किसी लोक सेवक जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, के द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा,

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा,

अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा,

अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा, जो लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा,

तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

अथवा, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

1. सूचना के समन की तामील, समन का विधिपूर्वक लगाया जाना, या लगे हुए को हटाना, या किसी संशोधन को निवारित करना।

सजा– एक महीने का साधारण कारावास या पांच सौ रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों ।

यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

2. यदि समन आदि किसी न्यायालय में स्वयं आदि द्वारा हाजिर होने के लिए है।

सजा– छह महीने का साधारण कारावास या एक हजार रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों।

यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 174–जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए,

उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा, या उस स्थान से, जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, विधिपूर्ण समय से पूर्व चला जाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास की सजा, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

अथवा, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास की सजा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

आवश्यक तत्व

- व्यक्ति या अभिकर्ता द्वारा किसी निश्चित जगह पर उपस्थित होने या बिना किसी अधिकार के वहां से प्रस्थान करने के लिए कानूनी आदेश का पालन नहीं करना
- सजा – एक महीने कारावास या पांच सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यदि आदेश न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति आदि के लिए है
- सजा – छह महीने या एक हजार रुपए या दोनों।
- यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 174क 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर–हाजिरी–जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 175–जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी ,दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा, यदि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

दृष्टांत

क, जो एक एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उसको पेश करने का साशय लोप करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

धारा 176–जो भी कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से

और समय पर ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास की सजा, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

अथवा, यदि दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए सादा कारावास की सजा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

अथवा, यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 356 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास की सजा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

1. सूचना या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप।

सजा– एक महीने कारावास या पांच सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

2. यदि दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध होने के विषय में हो।

सजा– छह महीने कारावास या एक हजार रुपए रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

3. यदि दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 565 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है।

सजा– छह महीने कारावास या एक हजार रुपए रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 177–जो भी कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देगा जिसका असत्य होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके

पास है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड से या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

अथवा, यदि वह सूचना, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

- जानबूझ कर एक लोक सेवक तो झूठी सूचना देना।
- सजा – छह महीने सादा कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यदि सूचना कोई अपराध किए जाने या अपराध करने का निवारण आदि के विषय में हो।
- सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 178–जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान, द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 179–जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो छह महीने तक हो सकती है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

- सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करना।

- सजा – छह महीने का साधारण कारावास या एक हजार रुपए रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों ।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 180–जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 181–जो कोई शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आवश्यक तत्व

- लोक सेवक के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान।
- सजा – तीन वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

धारा 182–जो भी कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देगा कि वह उस लोक सेवक को तद्द्वारा प्रेरित करे कि वह ––

(क) कोई ऐसी बात करे या लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

आवश्यक तत्व

- लोक सेवक को मिथ्या इत्तिला देना
- सजा – छह महीने कारावास या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों ।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

धारा 183–जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 184–जो भी कोई ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में, जो किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हो, साशय बाधा डालेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

- लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना।
- सजा – एक महीने कारावास या पांच सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 185–जो भी कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाएगा, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति का क्रय करने के लिए कानूनी असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाएगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन दायित्वों के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, तो

उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

- क्रय करने के लिए कानूनी असमर्थता के अधीन व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए विधिपूर्ण प्राधिकारित संपत्ति के लिए या इसके द्वारा मिलने वाले दायित्वों को पूरा नहीं करने के इरादे से बोली लगाना।
- सजा – एक महीना कारावास, या दो सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों।
- यह अपराध जमानती, असंज्ञेय है तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

धारा 186–जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

- लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
- सजा – तीन महीने कारावास या पांच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय, संज्ञेय (आंध्रा प्रदेश में) अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 187–जो कोई किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा

कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 188–जो भी कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जिसे प्रख्यापित करने के लिए लोक सेवक विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे या प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा,

यदि ऐसी अवज्ञा – विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास की सजा जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है, या दौ सौ रुपए तक के आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा,

और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या उपद्रव या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह मास तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण––यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से क्षति होना संभाव्य है । यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से क्षति उत्पन्न होती है या होनी संभाव्य है।

आवश्यक तत्व–

- लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।
- यदि ऐसी अवज्ञा – विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, कारित करे।
- सजा – एक मास सादा कारावास या दौ सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे –
- सजा – छह मास कारावास या एक हजार रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 189–जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक

को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलम्ब करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 190—जो कोई किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त हो से क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन करने से रोकने या विरत रहने, के प्रयोजन से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों के साथ दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व—

- लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना।
- सजा – एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय आंध्र प्रदेश में संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध पीड़ित चोटिल व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।

अध्याय – 11

मिथ्या साक्ष्य और लोकन्याय के विरूद्व अपराधों के विषय म

Of false evidence & offences against public servant- (chapter xi) section- 191 to 193, 195A, 201,211,213,216,216A, 218,221,222,224,225,225A,225B, 228A and 229A,

(194, 196 to 200, 202 to 210, 212, 214, 215, 217, 223, 226, 227)*

धारा 191– मिथ्या साक्ष्य देना–

जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुये या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जायेगा।

स्पष्टीकरण 1–कोई कथन चाहे वह मौखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आता है।

स्पष्टीकरण 2–अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, जिस बात का उसे विश्वास नहीं है तााि यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा।

उदाहरण–**क** एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो **य** के विरूद्व एक हजार रूपये के लिए है विचारण के समय मिथ्या कथन करता है कि उसने **य** को **ख** के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुये सुना था। **क** ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

192– मिथ्या साक्ष्य गढना –परिस्थिति

जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि कथन अन्तर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में, जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह 'मिथ्या साक्ष्य गढ़ता' है यह कहा जाता है।

उदाहरण–क एक बक्स में, जो **य** का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाए और इस परिस्थति में **य** चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए। **क** ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।

193–मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड–

जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा।

स्पष्टीकरण 1–सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है।

स्पष्टीकरण 2–न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

स्पष्टीकरण 3–न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

दण्ड– सात वर्ष का कारावास, और जुर्माना।

और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा।

दण्ड– तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना।

उदाहरण– सम्बन्धित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त आफिसर के समक्ष जांच मे **क** शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए **क** ने मिथ्या साक्ष्य दिया।

धारा 194—जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा दोषसिद्ध कराएगा यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्द्वारा दोषसिद्ध किया जाए और उसे फांसी हो जाए – और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाए, और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को, जो ऐसा झूठा साक्ष्य देगा, या तो मत्युदण्ड या एतस्मिन्पूर्व वर्णित दण्ड दिया जाएगा ।

आवश्यक तत्व

- मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना।
- सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दण्ड ।
- यह एक गैर–जमानती, असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
- यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्द्वारा दोषसिद्ध किया जाए और उसे फांसी हो जाए।
- सजा – मृत्युदण्ड या उपरोक्त दण्ड ।
- यह एक गैर–जमानती, असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 195—जो भी कोई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि एतद्द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दण्डनीय न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो, दोषसिद्ध कराने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दण्डित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दण्डनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता।

आवश्यक तत्व

- ऐसे अपराध जो आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो, का दोषसिद्ध कराने के लिए, झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना।

- सजा – अपराध अनुसार।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 195क–किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना–

जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगाय

और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दण्डादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दण्डित और दण्डादिष्ट किया गया है।

धारा 196–जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।

धारा 197–जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

धारा 198–जो भी कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है असली प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व–

- प्रमाणपत्र जिसका नकली होना ज्ञात है, असली के रूप में प्रयोग करना।
- सजा –झूठा साक्ष्य देने के लिए उपबंधित।

- यह अपराध जमानती, असंज्ञेय है तथा अदालती कार्रवाई झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 199—जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के संबध में, उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

आवश्यक तत्व—

- विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिये जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन।
- सजा —झूठे साक्ष्य के लिए उपबंधित दण्ड।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और झूठे साक्ष्य देने के अपराध अनुसार विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं हैं।

धारा 200—जो कोई किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्ची घोषणा के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—कोई घोषणा, जो केवल किसी अप्ररूपिता के आधार पर अग्राह्य है, धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है ।

आवश्यक तत्व—

- घोषणा जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्ची के रूप में प्रयोग करना।
- सजा —झूठा साक्ष्य देने के लिए उपबंधित।
- यह अपराध जमानती, असंज्ञेय है तथा अदालती कार्रवाई झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

201– अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना–

जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय के कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से बचाये या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

दण्ड–

(1) यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है तो सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

(2) यदि आजीवन कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(3) यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से उतनी अवधी के लिए जो उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक–चौथाई तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण–मृतक की लाश को छुपाना,जलाना या हथियार को नष्ट किया जाना

धारा 202–जो भी कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई सूचना, जिसे देने के लिए वह कानूनी रूप से आबद्ध हो, देने का साशय लोप करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्व

- सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप।
- सजा – छह महीने कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 203–जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–1 धारा 201 और 202 में और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत, से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत, में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 तथा 460 में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय होता ।

धारा 204–जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से, या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, को पेश करने को उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात् ऐसी संपूर्ण दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, को, या उसके किसी भाग को मिटाएगा, या ऐसा बनाएगा, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 205–जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा, या दावे की

संस्वीकृति करेगा, या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा, या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 206–जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, कि एतद्द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, समपहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 207–जो भी कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी

अधिकार के बारे में इस आशय से छल करेगा कि तद्द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें कोई हित का ऐसे दण्डादेश के अधीन, जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, कब्जे के रूप में या जुर्माना चुकाने के लिए लिया जाना, या ऐसे न्यायिक निर्णय या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल मुकदमे में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे दो वर्ष तक

आवश्यक तत्व

- संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने, जुर्माना चुकाने या न्यायिक निर्णय या आदेश के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा।
- सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 208–जो कोई किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाएगा, या पारित किया जाना सहन करेगा अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट किए जाने के पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या किया जाना सहन करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दृष्टांत

य के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है । य यह संभाव्य जानते हुए कि क उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, ख के वाद में, जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या य के फायदे के लिए य की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे, जो क की डिक्री के अधीन किया जाए । य ने इस धारा के अधीन अपराध किया है ।

धारा 209–जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से

किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 210—जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, या जो शोध्य राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा या किसी डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करेगा या किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 211— क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप—

जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरूद्व कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है।

दण्ड — दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनो तथा यदि ऐसी दाण्डिक कार्यवाही मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, जो **दण्ड** सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 212—अपराधी को आश्रय देना—

जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा।

दण्ड—

(1) यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है तो पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

(2) यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(3) और यदि वह अपराध एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

इस धारा में "अपराध" के अर्न्तगत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा, अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460 में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय होता और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दण्डनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था।

धारा 213—जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए, प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिगृहीत करने के लिए करार करेगा,

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो—यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो—तथा यदि वह अपराध आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ,

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 214—जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित किए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वालीकार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देगा या दिलाएगा या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा, या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या कराएगा,

यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो—— यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ,

यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो––तथा यदि वह अपराध ,आजीवन कारावास, से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ,

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपवाद––धारा 213 और 214 के उपबंधों का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें कि अपराध का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता है।

धारा 215–जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में, जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सम्मत होगा, वह, जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 216– जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दण्डित किया जाएगा, अर्थातः –

यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो–यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दण्डनीय हो,तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगायदि आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय हो––यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय हो, तो उसे आर्थिक दण्ड सहित या रहित किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा,

तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दण्डनीय हो, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती, न कि दस वर्ष तक, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की होगी, या आर्थिक दण्ड से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

- इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य या लोप, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, भी आता है, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता, तो अपराधी के रूप में दण्डनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दण्डनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था।

अपवाद—इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो ।

धारा 216क–जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को, ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत, में करनी आशयित है या की जा चुकी है, या भारत से बाहर ।

अपवाद—इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना, या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो।

धारा 216 ख– भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1942 (1942 का 8) की धारा 3 द्वारा निरसित ।

धारा 217–जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा उससे दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, तद्द्वारा कम दंड दिलवाएगा या संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा

दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 218—जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए, उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा कारित करेगा यह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा या जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 219—जो कोई लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 220—जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 221—जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, अर्थात् :——

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से ।

धारा 222– का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 222 के अनुसार, जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीनया अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए, किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैधरूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा या निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, अर्थात् :––

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास,या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो,, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से ।

धारा 223–लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना–

जो कोई ऐसा लोक सेवक हेाते हुए जो अपराध के लिये आरोपित या दोषसिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिये विधि पूर्वक सुपुर्द किये गये किसी व्यक्ति अपराधी को परिरोध में रखने के लिये आबद्व होते हुए उपेक्षा से निकल भागना सहन करेगा।

दण्ड–वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 224–किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा–

जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये जिसका उस पर आरोप हो या जिसके लिये दोषसिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने को पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या अभिरक्षा से जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरूद्व हो, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा।

दण्ड–दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 225– किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकडे जाने में प्रतिरोध या बाधा–

जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विधि के अनुसार पकडे जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा में जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरूद्ध हो, साशय छुडाएगा या छुडाने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 225 ˙A उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना–

जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 221, धारा 222 या धारा 223 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध से निकल भागना सहन करेगादृ

(क) यदि वह ऐसा साशय करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, तथा

(ख) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दंडित किया जाएगा द्य

धारा 225ख—जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो, छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा वह किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 224 या धारा 225 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में उपबंध नहीं है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 226—दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा निरसित।

धारा 227—जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिगृहीत कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करेगा, यदि वह उस दंड का, जिसके लिए वह मूलतःदंडादिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो, तो वह उस दंड के उतने भाग से, जितने को वह पहले ही न भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा।

धारा 228—जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जब कि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विध्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 228क—(1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, धारा 376क, 376क ख, धारा 376ग या धारा 376घ क, धारा 376 घ ख या 376ड के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के ऐसे मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब लागू नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन——

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है, या

(ख) पीडित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है , या

(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृतचित्त है वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, किया जाता है :

परन्तु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यताप्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में, उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण––किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में कोई अपराध नहीं है ।,

धारा 229–जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, अपने को यह जानते हुए जूरी सदस्य या असेसर के रूप में तालिकांकित, सूचीबद्ध या गृहीतशपथ साशय कराएगा या होने देना जानते हुए सहन करेगा कि वह इस प्रकार तालिकांकित, सूचीबद्ध या गृहीतशपथ होने का विधि द्वारा हकदार नहीं है या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार तालिकांकित, सूचीबद्ध या गृहीतशपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है ऐसे जूरी में या ऐसे आंकलन कर्ता के रूप में स्वेच्छा पूर्वक सेवा करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

लागू अपराध

- जूरी सदस्य या आंकलन कर्ता का प्रतिरूपण।
- सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।

- यह एक जमानती, गैर–असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

भारतीय दंड संहिता में धारा 229–A

धारा 229ए–जमानत या बांड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा अदालत में पेश होने में विफलता।–जो कोई भी अपराध का आरोप लगाया गया है और जमानत पर या बिना जमानत के बांड पर रिहा किया गया है, बिना पर्याप्त कारण के (जो साबित करने का बोझ उस पर होगा) पेश होने में विफल रहता है। अदालत में जमानत या बांड की शर्तों के अनुसार, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण इस धारा के अधीन **दण्ड** है–

(ए) उस दण्ड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उत्तरदायी होगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है तथा,

(बी) बांड को जब्त करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।

MODULE- B

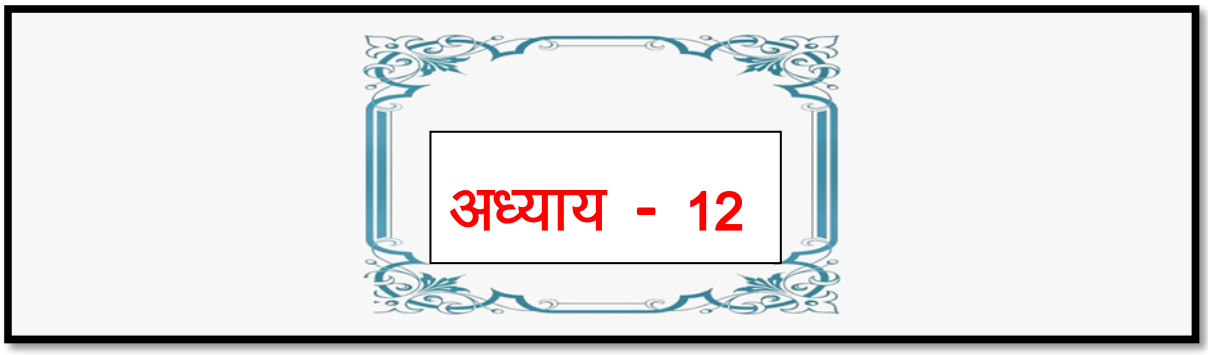

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

Offences relating to coins & government stamps- (chapter xii)**(section- 230-263A)***

धारा 230 सिक्का की परिभाषा–

धारा 230–सिक्का, तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, स्टाम्पित और प्रचालित धातु है ।,

भारतीय सिक्का–भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु हैऔर इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचालित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बन्द हो गया हो

दृष्टांत

(क) कौड़ियां सिक्के नहीं हैं ।

(ख) अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े, यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, सिक्के नहीं हैं ।

(ग) पदक सिक्के नहीं हैं, क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित नहीं हैं ।

(घ) जिस सिक्के का नाम कम्पनी रुपया है, वह भारतीय सिक्का, है ।

(ङ) फरूखाबाद रुपया, जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का, है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता है ।

धारा 231—जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रकिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह यह अपराध करता है ।

धारा 232—जो कोई भारतीय सिक्के, का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह ,आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 233—जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 234—जो कोई किसी डाई या उपकरण को भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के, के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रव्रिम्या के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 235—जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए वह उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

यदि भारतीय सिक्का हो—और यदि कूटकरण किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का, हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 236—जो कोई भारत, में होते हुए भारत, से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत, में किया हो ।

धारा 237—जो कोई किसी कूटकृत सिक्के का यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत है, भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 238—जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है, भारत, में आयात करेगा या भारत, से निर्यात करेगा, वह ,आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 239—जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जिसे वह उस समय, जब वह उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 240—जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए, जो भारतीय सिक्के, की कूटकृति हो और जिसे वह उस समय, जब वह उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह भारतीय सिक्के, की कूटकृति है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 241—जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा कूटकृत सिक्का, जिसका कूटकृत होना वह जानता हो, किन्तु जिसका वह उस समय, जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया, कूटकृत होना नहीं जानता था, असली सिक्के के रूप में परिदान करेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्नकरेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से, जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के दस गुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दृष्टांत

क,एक सिक्काकार, अपने सह–अपराधी ख को कूटकृत कम्पनी का रुपए चलाने के लिए परिदत्त करता है,

ख उन रुपयों को सिक्का चलाने वाले एक दूसरे व्यक्ति ग को बेच देता है, जो उन्हें कूटकृत जानते हुए खरीदता हैं ग उन रुपयों को घ को, जो उनको कूटकृत न जानते हुए प्राप्त करता है, माल के बदले दे देता है ।

घ को रुपया प्राप्त होने के पश्चात् यह पता चलता है कि वे रुपए कूटकृत हैं, और वह उनको इस प्रकार चलाता है, मानो वे असली हों ।

यहां, घ केवल इस धारा के अधीन दंडनीय है, किन्तु ख और ग, यथास्थिति, धारा 239 या 240 के अधीन दंडनीय हैं ।

धारा 242–जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को, जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 243–जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को, जो भारतीय सिक्के, की कूटकृति है और जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह भारतीय सिक्के, की कूटकति है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जो में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 244–जो कोई भारत, में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा, या उस कार्य का लोप करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचालित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 245–जो कोई भारत, में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 246—जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—वह व्यक्ति, जो सिक्के के किसी भाग को खूरच कर निकाल देता है, और उस गड़ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परितर्वित करता है ।

धारा 247—जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के, पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 248—जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी क्रियाकरेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 249—जो कोई किसी भारतीय सिक्के, पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 250—जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए, जिसके बारे में धारा 246 या 248 में परिभाषित अपराध किया गया हो, और जिसके बारे में उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 251—जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए, जिसके बारे में धारा 247 या 249 में परिभाषित अपराध किया गया हो, और जिसके बारे में उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के

कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 252—जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय के कि कपट किया जाए, ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा, जिसके बारे में धारा 246 या 248 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 253—जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा, जिसके बारे में धारा 247 या 249 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 254—जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का, जिसके बारे में वह जानता हो कि कोई ऐसी व्रिम्या, जैसी धारा 246, 247, 248 या 249 में वर्णित है, की जा चुकी है, किन्तु जिसके बारे में वह उस समय, जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था, यह न जानता था कि उस पर ऐसी व्रिम्या कर दी गई है, असली के रूप में, या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में, परिदत्त करेगा या असली के रूप में या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में, किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो

सकेगी, या इतने जुर्माने से, जो उस सिक्के की कीमत के दस गुने तक का हो सकेगा, जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो, दंडित किया जाएगा ।

धारा 255—जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—वह व्यक्ति इस अपराध को करता है, जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है ।

धारा 256—जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने

का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 257—जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने काकारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा या ऐसे किसी उपकरण को खरीदेगा, या बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 258—जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 259—जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से, या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 260—जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है, असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 261—जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 262—जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 263—जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्ययनीत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 263क—(1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को——

(क) बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा

(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

(ग) बनाने की किसी डाइ, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा,

वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगृहीत की जा सकेगी और अभिगृहीत की जाएं, तो समपहृत कर ली जाएगी ।

(3) इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि, अनुकृति,या समरूपण हो ।

(4) इस धारा में और धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है, सरकार शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर से द्योतन के प्रयोजन से प्रचालित

किए गए किसी स्टाम्प के ससंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मजेस्टी की डोमीनियनों के किसी भाग में, या किसी विदेश में भी, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो ।

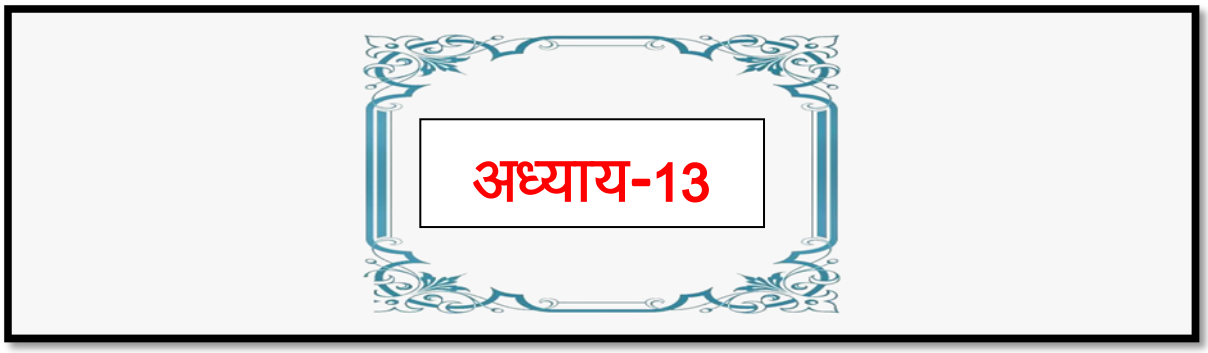

बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में

Offences relating to weights & measures- (chapter xiii) section- 267, **(264-266)***

धारा 264–जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 265–जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लम्बाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 266–जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, । इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।**धारा 267**–जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय-14

लोकस्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों विषय में

Offences affecting the public health, safety, convenience, decency & morals- (chapter xiv) sections- 268,269,**(270 to 294**A**)***

धारा 268–वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो।
कोई सामान्य न्यूसेन्स इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।

धारा 269–जो कोई विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 279–लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना–

जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो।

दण्ड–छः मास का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।

धारा 292–(1) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण,आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रूचिकर है या उसका या (जहां उसमे थी या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनायें जिनके द्वारा उसमे अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए संभाव्य है।

(2) जो कोई –

क– जो अश्लील पुस्तक,पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र,रंगचित्र,रूपण या आकृति या किसी भी अश्लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो बेचेगा या भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार प्रचालित करेगा, या उस विक्रय,भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिये रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे मे रखेगा, अथवा

ख –किसी अश्लील वस्तु या आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये करेगा या यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोकप्रदर्शित, या किसी प्रकार से परिचालित की जायेगी,

ग – किसी ऐसे कारोबार मे भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है,

घ –यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कुछ भी हो यह ज्ञात करायेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिये तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, अथवा

ड़ –किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,

(प्रथम दोषसिद्दि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , और जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्दि की दशा मे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी पांच हजार रूपये तक हो सकेगा) दण्डित किया जायेगा।

अपवाद–इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर न होगा।

क –कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज,लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति –

1. जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका,कागज,लेख, रेखाचित्र,रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान , साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उददे्श्यों के हित मे है अथवा
2. जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिये रखी या उपयोग मे लायी जाती है।

ख–कोई ऐसा रूपण जो –

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24) के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा
2. किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये रखे या उपयोग मे लाये जाने वाले किसी रथ पर, तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों।

धारा 293– तरूण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना–

जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अंतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा। **दण्ड–**

(1) प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना

(2) द्वितीय दोषसिद्धि पर सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माना।

धारा 294–अश्लील कार्य व गाने जो कोई– किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा। किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने या शब्द गायेगा, उच्चारित करेगा जिससे दूसरे को क्षोभ हो।

दण्ड–3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों।

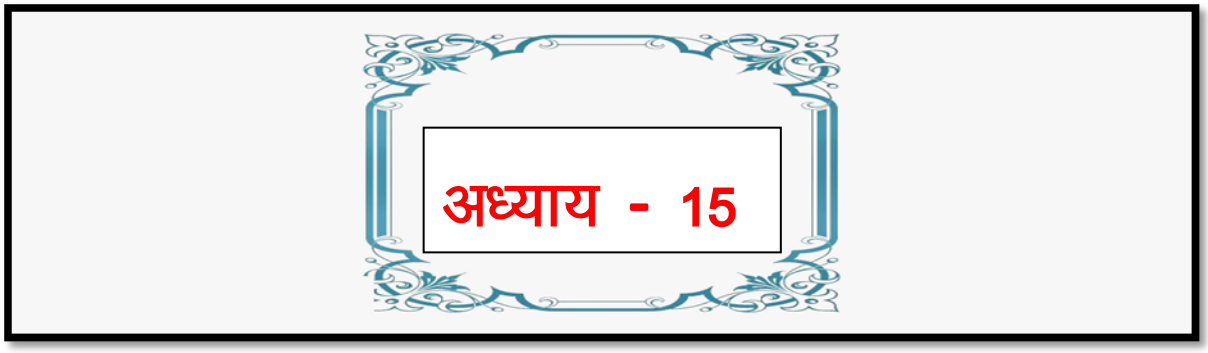

धर्म से संबंधित अपराध

Offences related to religion-(chapter xv) sections- 295-298A

धर्म से संबधित अपराधों के संबंध में धारा 295

धारा 295–जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 295क–यह कहती है कि, विमर्शित और विदेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनओं (Religious Feelings)को आहत करने के विमर्शित (Deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (Malicious Intention) से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृ श्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 296–जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 297—जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित,इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा,

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 298—जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

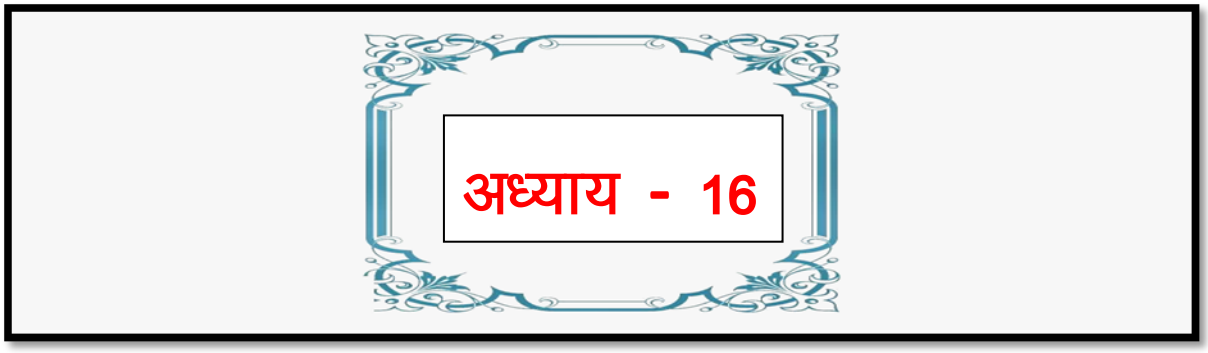

अध्याय - 16

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वालें अपराधों के विषय में

offences affecting life- (chapter xvi) sections- 299 to 304, ,304A,304B, 306 to 311,**(305)***

299—आपराधिक मानव वध—

जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1—वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित करता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3—मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

उदाहरण—क यह जानता है कि **य** एक झाड़ी के पीछे है **ख** यह नहीं जानता। **य** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है। यहां

पर हो सकता है कि **ख** किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

धारा 300 – हत्या

एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है,

पहला–यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी–पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

उदाहरण–(क) **य** को मार डालने के आशय से **क** उस पर गोली चलाता है परिणास्वरूप **य** मर जाता है। **क** हत्या करता है।

(ख) **क** किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। **क** हत्या का दोषी है।

अपवाद 1 –आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर व अचानक प्रकोपन से वह आत्म–संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भूल या दुर्घटना, कारित करें।

किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधीन हैः–

पहला–यह है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया से प्रकोपित न हो।

दूसरा—यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात से न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

तीसरा—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

उदाहरण—

(क) **य** द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में **म** का, जो **य** का शिशु है, **क** साशय वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) **य** की नाक खींचने का प्रयत्न **क** करता है। **य** प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए **क** को पकड़ लेता है। परिणास्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह **य** का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

अपवाद— 2 आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरूद्व वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

उदाहरण— क को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है किन्तु इस प्रकार नहीं कि **क** को घोर उपहति कारित हो। **क** एक पिस्तौल निकाल लेता है। **य** हमले को चालू रखता है। **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से **य** का वध कर देता है। **क** ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल अपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधि पूर्ण ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित हो गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करें।

अपवाद 4 :– आपराधिक मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया है।

अपवाद 5 :– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए।

उदाहरण–य को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण **य** उपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया।

धारा 302 – हत्या के लिए दण्ड

जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा।

आपराधिक मानव वध एवं हत्या मे अन्तर :–

सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स.	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स
कोई व्यक्ति आपराधिक मानव–वध करता है यदि उस का कार्य जिससे मृत्यु हुई निम्न प्रकार से किया गया है–	कुछ अपवादों के प्रसंग में आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु हुई हो निम्नलिखित है–
1. आशय (नीयत) कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया है। 2. ज्ञान–कार्य ऐसा हो जिससे मौत होना सम्भव हो। 3. सम्भावना –इस नीयत से शारीरिक चोट पहुॅचाना जिससे मृत्यु होना सम्भव हो।	1. नीयत–कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया हो। 2. जानना–कार्य इतना अधिक खतरनाक है जिससे मृत्यु होने की सम्भावना होया ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होना सम्भव है। 3. इस नीयत से शरीरिक चोट पहुॅचाना जिससे अभियुक्त जानता हो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है।

रिछपाल सिंह मीणा बनाम घासी AIR 2014 SC 3595—इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि कोई मामला आपराधिक मानववध की परिधि में आता है कि नहीं, यह न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर विनिश्चित करने का विषय है।

दरबारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2013 SC 840—इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां हत्या कारित करने में अभियुक्त की भूमिका का प्रत्यक्ष साक्ष्य (direct evidence) हो वहाँ हेतु (उवजपअम) का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है।

रेग बनाम गोविन्दा (1876) 1 मुम्बई 342—के मामले में न्यायमूर्ति मेलविन ने धारा 299 एवं धारा 300 में अन्तर करने का प्रयत्न किया।

काले गुरु पदमराव बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश]AIR 2007 SC 1299

इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मानववध एक जाति (Genus) है और हत्या एक प्रजाति (specia) सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं हैं।

विरसा सिंह बनाम राज्य, AIR 1958 SC

उच्चतम न्यायालय ने धारा 300 के तृतीय खण्ड के सन्दर्भ में चार तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक माना है-

(1) वस्तुनिष्ठ रूप से यह साबित किया जाना आवश्यक है कि शारीरिक क्षति विद्यमान है।

(2) क्षति की प्रकृति को साबित करना आवश्यक है।

(3) विशिष्ट क्षति कारित करने का आशय था।

(4) क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है।

ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, AIR 1961 SC 1782 के मामले में अ ने अपनी पत्नी को कई दिनों तक एक कमरे में बन्द रखा और खाना इस आशय से नहीं दिया ताकि उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाये। ब अन्ततः किसी तरह कमरे से निकल भागी। अ, अपनी पत्नी 'ब' की हत्या कारित करने के प्रयत्न का दायी होगा।

धारा 303 – आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड

जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा ।[1]

आजीवन कारावास से दण्डित अपराधी द्वारा हत्या।

- सजा – मत्युदण्ड।
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 304 – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड–

जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डित होगा।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 304''ए''– उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना–

जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

[1] 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1–1–1956 से) "आजीवन निर्वासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

धारा 304 ''ख'' –दहेज मृत्यु–

(1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण–इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

धारा 305–यदि कोई नाबालिग (जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो), उन्मत्त, भ्रांतचित्त, मूर्ख व्यक्ति, या कोई व्यक्ति जो नशे की अवस्था में है, आत्महत्या कर ले तो जो भी कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्युदण्ड, या आजीवन कारावास या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 306– आत्महत्या का दुष्प्रेरण–

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 307–हत्या करने का प्रयत्न–

जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति करेगा, यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का दोषी होगा।

दण्ड–(1)दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाई जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

(2) इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो तब यदि उपहति कारित हुई हो तो मृत्युदण्ड से दण्डित जा सकेगा।

उदाहरण– य का वध करने के आशय से **क** उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि य की मृत्यु हो जाती, तो **क** हत्या का दोषी होता। **क** इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

धारा 308–आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न–

जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण–क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, **य** पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। **क** ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 309– आत्महत्या करने का प्रयत्न –

जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 310–जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यसत : सहयुक्त रहता है वह ठग कहलाता है।

धारा 311–जो भी कोई ठगी करेगा, उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करनें, शिशुओं को अरक्षित छोडनें और जन्म छिपाने के विषय में

धारा 312–जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा पूर्वक गर्भपात कारित करेगा, और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।, और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण– जो स्त्री स्वंय अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है।

धारा 313–जो भी कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

धारा 314–जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए – और यदि वह कार्य उस स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, तो उसे आजीवन कारावास, या उपरोक्त दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण––इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है।

धारा 315–जो भी कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा रोकने या जन्म के पश्चात् तद्द्वारा उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से करेगा, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करेगा, और यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 316–जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु को मुत्यु कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 317–जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है।

उपहति के विषय में– धारा 319 से 338

धारा 318–जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 319– उपहति (चोट)

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग–शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

धारा 320– घोर उपहति –उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में "घोर" कहलाती है–

पहला–पुंसत्त्वहरण

दूसरा–किसी भी आंख की दृष्टि को स्थाई रूप से समाप्त करना।

तीसरा–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थाई रूप से नष्ट करना।

चौथा–किसी भी अंग या जोड. का विच्छेद।

पांचवा–किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थाई नाश।

छठा–सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण।

सातवां–अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवा–कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या चोट पहुंचाना जिससे उपहृत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे या वह अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहें।

धारा 321–स्वेच्छया उपहति कारित करना–

जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति करता है'' यह कहा जाता है।

धारा 323–स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–

उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 324–खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना–

उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध हैतेज या धारदार हथियार द्वारा, अग्नि द्वारा, तप्त पदार्थ द्वारा, जहर द्वारा, विस्फोटक द्वारा, जीवजन्तु द्वारा या रासायनिक पदार्थ द्वारा स्वेच्छया चोट पहुँचाना।

दण्ड–तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों।

धारा 325– स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड–

उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 326–धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी, घोपने, गोली चलाने या काटने के किसी भी साधन के माध्यम से या किसी अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से स्वेच्छापूर्वक ऐसी गंभीर चोट पहुंचाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या फिर आग के माध्यम से या किसी भी गरम पदार्थ या विष या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक है या किसी जानवर के माध्यम से चोट पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

- खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दंड
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 326 ए-तेजाब, इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।

जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का,ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह

संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करे,प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निःशक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने का भुगतान पीड़ित कोकिया जायेगा।

धारा 326 बी - स्वेच्छया तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना ।

जो कोई किसी व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपिता या दाह कारित करने या विकलांग बनाने या विद्रूपिता या निःशक्त या घोर उपहति कारित करने के आशय से किन्हीं अन्य उपायों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा,

वह दोनों से ऐसे किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 धारा 326 क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अम्ल" के अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी शामिल है, जिसका अम्लीय या संक्षारक स्वभाव है या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के योग्य है, जिसका परिणाम क्षतचिन्ह बनने या विद्रूपता या अस्थायी अथवा स्थायी निःशक्तता हो जाती हैं।

स्पष्टीकरण 2 धारा 326 क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा ।

धारा 327–सम्पति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–

जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए।

दण्ड–दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 328 - अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।

भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने या अपराध करने, या अपराध किए जाने को सुगम बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 329–जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह ,आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 330–जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए अथवा पीड़ित व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 331–जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 332–लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–

लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण उपहति कारित करना। सजा–तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 333–लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना–

लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर घोर उपहति कारित करना। सजा–दस वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 334–जो भी कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन द्वारा स्वेच्छा पूर्वक उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका ऐसा आशय है और न ही वह जानता है कि वह उस व्यक्ति जिसने प्रकोपन दिया था के अलावा किसी भी व्यक्ति को संभवतः उपहति कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 335–जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया, घोर उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण––अन्तिम दो धाराएं उन्हीं परन्तुकों के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन धारा 300 का अपवाद–1 है ।

धारा 336–कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

दण्ड– तीन मास तक का कारावास या 250 रूपये जुर्माना या दोनों।

धारा 337– कार्य द्वारा उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा।

दण्ड– छः मास तक का कारावास या 500 रूपये जुर्माना या दोनों।

धारा 338– कार्य द्वारा घोर उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा।

दण्ड– दो वर्ष तक का कारावास या 1000/– रूपये जुर्माना या दोनों।

सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के विषय में– धारा 339 to 348

धारा 339– सदोष अवरोध–

जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालता हो जिससे वह व्यक्ति उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोके तो कहा जायेगा कि उसने सदोष अवरोध किया।

उदाहरण–क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का **य** का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। **य** जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है। **क,य** का सदोष अवरोध करता है।

धारा 340–सदोष परिरोध–

जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकर सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का ''सदोष परिरोध'' करता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण– क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और **य** से कह देता है कि यदि **य** भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, तो वे **य** को गोली मार देंगे। **क** ने **य** का सदोष परिरोध किया है।

धारा 341 – सदोष अवरोध के लिये दण्ड– एक माह का कारावास या 500 रूपये जुर्माना या दोनें।

धारा 342–सदोष परिरोध के लिये दण्ड– एक वर्ष का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों

धारा 343–जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 344—जो भी कोई किसी व्यक्ति का दस या अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से परिरोध करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 345—जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुका है । वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 346—जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या एतस्मिनपूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता उसे न चल पाए, तो उसे उस दण्ड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो, किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा।

धारा 347—जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्‌ापित की जाए, अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अवैध कार्य करने, या कोई ऐसी जानकारी देने जिससे अपराध का किया जाना सुगम हो जाए, के लिए मजबूर किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 348—जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके, उद्‌ापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

आपराधिक बल एवं हमले के विषय में – धारा - 349 to 351,353, 354,356,358, (352, 355, 357)*

धारा 349–कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह तब कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, गति–परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति–परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से, जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता हैः परंतु यह तब जब कि गतिमान, गति–परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति,गति–परिवर्तन या गतिहीनता को एत्स्मिन्पश्चात् वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात् :–

1. अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा।

2. किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति–परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है।

3. किसी जीवजन्तु को गतिमान होने, गति–परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा।

धारा 350–जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यतः कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है ।

दृष्टांत

(क) य नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है । क रस्सियों को उद्बन्धित करता है और उस प्रकार नाव को धार में साशय बहा देता है । यहां क, य को साशय गतिमान करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्ययनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है । अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग साशय किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(ख) य एक रथ में सवार होकर चल रहा है । क, य के घोड़ों को चाबुक मारता है, और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है । यहां क ने जीवजन्तुओं को उनकी अपनी गति

परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके य का गति–परिवर्तन कर दिया है । अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(ग) य एक पालकी में सवार होकर चल रहा है । य को लूटने का आशय रखते हुए क पालकी का डंडा पकड़ लेता है, और पालकी को रोक देता है । यहां, क ने य को गतिहीन किया है, और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, अतएव क ने य पर बल का प्रयोग किया है, और क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए साशय किया है, इसलिए क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(घ) क सड़कपर साशय य को धक्का देता है, यहां क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह य के संस्पर्श में आए । अतएव उसने साशय य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(ङ) क यह आशय रखते हुए या यह बात सम्भाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार य, या य के वस्त्र के या य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आएगा या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी य के कपड़ों पर या य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा । यहां, यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ य, या य के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए, तो क ने य पर बल का प्रयोग किया है य और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य उसके द्वारा य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(च) क किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है । यहां, क ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(छ) य स्नान कर रहा है । क स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है । यहां, उबलते हुए जल में ऐसी गति को अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा साशय उत्पन्न करता है कि उस जल का संस्पर्श य से होता है या अन्य जल से होता है, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से य की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है इसलिए क ने य पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते

हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

(ज) क, य की सम्मति के बिना, एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए भड़काता है । यहां यदि क का आशय य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

धारा 351—जो कोई भी, कोई अंगविक्षेप या तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेपया तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करना कहलाता है।

स्पष्टीकरण — केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते । किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं।

धारा 352—जो भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर गंभीर तथा अचानक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का उपयोग करता है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या पाँच सौ रुपये तक आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

353—लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग— जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।

दण्ड—दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

धारा 354:— स्त्री की लज्जा भंग करना—जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

सम्राट बनाम तातिया महादेव (1912) 14 वी० एल० आर० 961—अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 10 के अन्तर्गत एक नारी शिशु भी स्त्री होने के कारण उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए अभियुक्त धारा 354 के अन्तर्गत दायी होगा।

धारा 354क :— लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड

(1) पुरूष द्वारा कारित निम्नांकित कृत्य लैंगिक उत्पीडन का अपराध गठित करेंगें :—

(i) शारीरिक संपर्क करना और ऐसा मित्रतापूर्वक व्यवहार जताने का प्रयास करना जिसमें कि अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव अंतर्वलित हो

(ii) लैंगिक स्वीकृति हेतु मांग या निवेदन करना।

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्व बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाना।

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणी या करना।

(2) जो कोई पुरूषउपधारा 1 के खण्ड (i) (ii).(iii) या में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे तीन वर्ष तक के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई पुरूषउपधारा 1 के खण्ड (iv) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ख :—जो कोई पुरूषकिसी महिला को निर्वस्त्र या विवस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या दुश्प्रेरण करेगा वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354गः— दृश्यरतिकता

जो कोई पुरूष किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र लेता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- निजी कृत्य में ऐसे कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों में एकांतता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पीडिता के जननांग, नितंब या वक्ष अभिदर्शित होते है या केवल अन्तःवस्त्र से ढके होते है या पीडिता शौचालय का उपयोग कर रही है या पीड़िता द्वारा कोई ऐसा लैंगिक कृत्य किया जा रहा है जो कि इस प्रकार का न हो कि आम तौर पर सार्वजनिक रुप से किया जाए।

- यदि पीडिता अपना चित्र या किसी अभिनय के चित्रों को लिये जाने की सहमति देती है परन्तु उसका प्रसार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती हैऔर यदि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह इस धारा के तहत अपराध करता हैं।

धारा 354घ :– पीछा करना :

– (1) कोई पुरूष पीछा करता है –

(i) जो कोई किसी स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है या पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रुप से अपनी अनिच्छा उपदर्शित कर चुकी है या,

(ii) किसी स्त्री पर इन्टरनेट का उपयोग कर नजर या निगरानी रखता है या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण द्वारा या ईमेल द्वारा या दृष्टव्य साधनों से मॉनिटरिंग करता है जिससे उसे मानसिक कष्ट या हिंसा का भय या मानसिक शान्ति में हस्तक्षेप महसूस होता है तो ऐसा कृत्य पीछा करने का अपराध कारित करता है।

परन्तु निम्नांकित कृत्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगें –

- यदि पीछा अपराध का निवारण करने के लिए किया जाए।
- किसी विधि के अधीन आव यक शर्तों या नियमों के पालन में पीछा किया जाए।
- किसी युक्तियुक्त कारण से विशेष परिस्थितियों में पीछा किया जाए।

(2) जो कोई पुरूष पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चयातवर्ति अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 355–जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने, से अन्यथा, इस आशय से करेगा कि तद्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 356–जो भी कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उसकी सम्पत्ति जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 357–जो भी कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न करने में करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 358–जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–अंतिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन की धारा 352 है ।

अपरहण – व्यपहरण, दासत्व एवं विधिविरूद्व श्रम के विषय में - 359 to 363-a,366,366-a & b-369,371-374(364, 365, 367, 368, 370)*

धारा 359– व्यपहरण– व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।

धारा 360 –जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

धारा 361–जो कोई किसी अप्राप्तव्यय को, यदि वह नर हो तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्यय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता मे से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण –इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तव्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास कि वह ऐसे शिशु के विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरूद्व प्रयोजन के लिए न किया जाए।

धारा 362–अपहरण–जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने लिये बल द्वारा विवश करता या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण (लालच इत्यादि) उपायों से उत्प्रेरित करता है उसे व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है।

धारा 363–व्यपहरण के लिए दण्ड–भारत में से व्यपहरण या विधिपूर्ण संरक्षकता में से **व्यपहरण** –7 वर्ष कैद और जुर्माना

वरदराजन बनाम राज्य, AIR 1965 SC 942

जहाँ एक अप्राप्तवय बालिका अभियुक्त की ओर से बगैर किसी उत्प्रेरणा और अनुनय के अपने आप ही अपना घर छोड़कर अभियुक्त के पास चली जाती है तो अभियुक्त को विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण का अपराध कारित करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि बालिका द्वारा अपना घर छोड़ने में अभियुक्त की ओर से कोई सक्रिय सहभागिता नहीं थी या सक्रिय कदम नहीं उठाया गया था।

प्राण कृष्ण शर्मा (1882) 8 कलकत्ता 969 के मामले में एक हिन्दू स्त्री अपनी अप्राप्तवय पुत्री को लेकर अपने पति का घर छोड़ कर अभियुक्त के घर चली गयी और उसी दिन उस पुत्री के पिता की बिना सम्मति के पुत्री का विवाह, अभियुक्त के भाई के साथ कर दिया गया। अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त धारा 109 के साथ धारा 363 के अधीन विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के अपराध का दुष्प्रेरण करने का दोषी है।

धारा 363''क''–भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण–

(1) जो कोई अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या उसकी अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा की ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

दण्ड–दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहॉ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) इस धारा में (क) भीख मांगने से अभिप्रायः हैः–

1. लोक स्थान से भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, आदि
2. भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना

3. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव आदि को अभिदर्शित करना।

4. भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना

(ख) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

1. यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है तथा

2. यदि नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।

धारा 364ः–हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरणः–

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाये या उसको ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(क)क इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढाई जाए, भारत में से य का व्यपहरण करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की हत्या की जाए। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 364 ए :–फिरौती आदि के लिए व्यपहरण जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या उसके आचरण से ऐसी आशंका उत्पन्न हो कि ऐसे अपहरण या व्यपहरण किए गए व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित हो सकती है या मृत्यु अथवा उपहति कारित करेगा जिससे की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए विवरण किया जाए, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

पी० लियाकत अली खाँ बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2009 CrLJ 3736 (SC) के मामले में थैली, जिसमें फिरौती की रकम थी को उठाते हुए अभियुक्त को पकड़ लिया गया। उसके द्वारा प्रकट की गयी बात के आधार पर अपहृत बालक को बरामद कर लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 364–क के अधीन दोषसिद्ध किया।

धारा 365ः– किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण का दण्ड 7 वर्ष कैद और जुर्माना

धारा 366ः– किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरणः–

जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये उस स्त्री को विवश करने के आशय से या विवश की जावेगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिये उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या सम्भावना जानते हुए विवश करेगा।

दण्ड – 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 366 ए– अप्राप्तवय लडकी का उपापन जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की लडकी को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या विवश किये जाने की संभावना जानते हुये, ऐसी लडकी को किसी स्थान से जाने को या कार्य करने को उत्प्रेरित करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 366 बी–विदेश से लडकी का आयात करना–जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लडकी को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू–कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 370 :–व्यक्ति का दुर्व्यापार–(1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए–

पहला–धमकियों का प्रयोग करके ; या

दूसरा– बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीडन का प्रयोग करके ; या

तीसरा– अपहरण द्वारा ; या

चौथा– कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या

पांचवां–शक्ति का दुरुपयोग करके ; या

छठा– उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिहनित, संश्रित, स्थानान्तरित या गृहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है,

किसी व्यक्तियों या किन्ही व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है,(घ) स्थानान्तरित करता है या, (ड) गृहित करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1.—"शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता या अंगों का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण 2.—दुर्व्यापार के अपराध के अवधारणा में पीडित की सम्मति महत्वहीन है।

(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(4) जहां अपराध में किसी अव्यस्क का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) जहां अपराध में एक से अधिक अव्यस्कों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अव्यस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 370क – ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण

(1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अव्यस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अव्यस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

लैगिंक अपराधों विषय में - 375,376, 376-A to 376E

धारा 375 :–बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई पुरुष अपने लिंग को किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है

(ख) जब कोई पुरुष कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो लिंग नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित सात परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है :–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति उस स्त्री की या उससे हितबद्व व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।
5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।
6. उस स्त्री की सम्मति से सम्मति के बिना जबकि वह सोलह साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पर्वांक्त छः परिस्थितियों में सातवी ं परिस्थिति जोडी गई है

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वाकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :– इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भगौष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :– सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विनिर्दिष्ट कृत्य में भाग़ लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद– 1. किसी चिकित्सीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

.2. पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है।

धारा 376 (1)

जो कोई उपधारा (2) में वर्णित उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा वह सश्रम कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 (2) जो कोई ––

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्संग करेगा

(i) उस थाने की सीमाओं के अन्तर्गत जिसमें वह नियुक्त है

(ii) किसी भी थाने के परिसर में

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में

(ख) लोक सेवक होते हुए अपनी किसी ऐसी स्त्री से जो उसकी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में है, के साथ बलात्संग करेगा।

(ग) किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जाए, किसी स्त्री से ऐसे स्थान पर बलात्संग करेगा।

(घ) किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए वहां के किसी निवासी से बलात्संग करेगा

(ड) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। (च) किसी स्त्री का रिश्तेदार, अभिभावक या अध्यापक होते हुए या उसके विश्वास या प्राधिकार में उस स्त्री से बलात्संग करेगा।

(छ) साम्प्रदायिक या पंथीय दंगों के दौरान किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ज) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा।

(झ) किसी स्त्री से, जो सहमति देने में असक्षम है, बलात्संग करेगा।

(ट) अपने नियन्त्रण या प्रभाव के अधीन किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ठ) किसी स्त्री से, जो शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से पीडित हो, बलात्संग करेगा।

(ड) किसी स्त्री से बलात्संग करते हुए घोर शारीरिक क्षति पहुंचाये या विकलांग करे या विद्रूपित करे या जीवन को संकट में डालेगा।

(ढ) किसी स्त्री से लगातार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –1 सशस्त्र बल में नौसेना, वायु सेना या थलसेना या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सहायक बल के सदस्य शामिल है।

स्पष्टीकरण –2 अस्पताल से तात्पर्य अस्पताल का अहाता जिसमें संस्था के वे परिसर सम्मिलित है जो लोगों की बीमारी के इलाज या चिकित्सीय देखभाल या पुर्नवास के लिए स्थापित है।

स्पष्टीकरण –3 पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन दी गई अभिव्यक्ति पुलिस में सन्निहित है।

स्पष्टीकरण –4 :– स्त्रियों या बालकों की संस्था में कोई अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों या विधवाओं के लिए संचालित कोई संस्था शामिल है।

धारा 376 (3)

जो कोई किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। किया गया जुर्माना पीडित

के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा। इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 क–पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड–

जो कोई धारा 376 (1) या 376 (2) के अन्तर्गत बलात्संग करता है तथा ऐसे कृत्य के दौरान वह उस स्त्री को इस तरह की उपहति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वह निरन्तर विकृतशील की स्थिति में पहुंच जाए तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 376 कख

जो कोई किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा। किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा। इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 ख

जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा या रुढि के अधीन उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 ग

जो कोई

1. पद पर एक हैसियत पर रहते हुए या वैश्वासिक संबंध में होते हुए या

2 लोक सेवक होते हुए या

3. किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए या

4.किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए

अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाते हुए या किसी स्त्री को प्रेरित करते हुए या पद भ्रष्ट करके वैश्वासिक संबंध या पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर किसी स्त्री से अपने साथ ऐसा मैथुन करने के

लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पॉच वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 इस धारा में लैंगिक संभोग से आशय धारा 375 में वर्णित खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में वर्णित सभी कृत्यों से है।

स्पष्टीकरण 2 इस धारा में धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3 जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था के संबंध में अधीक्षक में वह व्यक्ति सम्मिलित होंगें जो जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था में पदस्थ है और ऐसे व्यक्ति का नियन्त्रण इनमें रहने वाले लोगों पर रहता है।

स्पष्टीकरण 4 "अस्पताल" और "स्त्रियों" या बालकों के संस्थान का वहीं अर्थ होगा जो धारा 376(2) में दिया गया है।

धारा 376 घ – सामूहिक बलात्संग

जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया, जाएगा।

¬किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।

¬इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 घक

जहां किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है,, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 घख

जहां किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

¬किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।

¬इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 ड

जो कोई व्यक्ति धारा 376 या 376क या 376कख या 376घ या 376(घक) या 376 (घख) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है तथा पुनः उक्त धाराओं में वर्णित दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा।

बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, AIR 1996 SC 922

मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बलात्कार का अपराध मानव अधिकारी के विरुद्ध अपराध है। इससे जीने के अधिकार का अतिलंघन होता है।

प्रकृतिविरूद्व अपराधों के विषय में - sections- 377

धारा 377ः–प्रकृति के विरूद्व अपराधः– जो कोई किसी पुरूष, स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

नाज फाउण्डेशन बनाम सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2010 CrLJ

इस वाद में धारा 377 की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को संवैधानिक ठहराते हुये कहा तक यह धारा न तो अवैधानिक है और न असंवैधानिक । फिर भी यदि विधायिका चाहे तो इस धारा को संशोधित कर सकती है।

MODULE- C

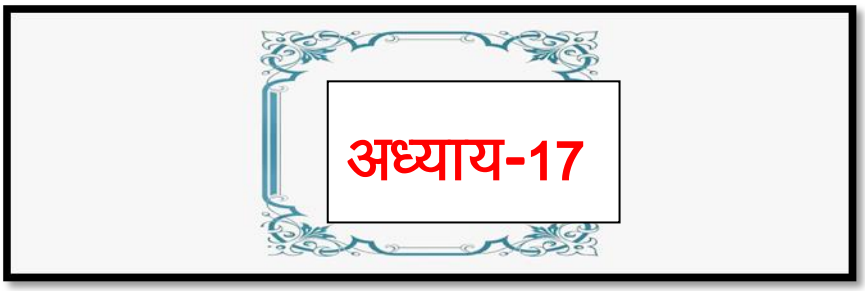

अध्याय – 17

सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में

धारा 378:– चोरी:–जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

धारा 378:– चोरी:–चोरी गठित करने के लिए निम्न पांच तत्व आवश्यक हैं।

1. बेईमानी से सम्पत्ति प्राप्त करने का आशय
2. चल सम्पत्ति
3. सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ली जानी चाहिए
4. बिना सहमति लेना
5. सम्पत्ति का हटाया जाना आवश्यक है

धारा 379:– चोरी के लिए दण्ड:–

तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दानों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 380:– जो कोई किसी निर्माण, जलयान या तम्बू, में चोरी करेगा जो मानव निवास या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 381:– जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 382:–जो कोई चोरी करने के लिये या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने, या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखने के लिये, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या अवरोध, या इसका भय

कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 383 :–उद्दापनः– जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साशय डालता है और इस प्रकार भय में डाले व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति (कीमती दस्तावेज) में बदला जा सकता हो किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है।

धारा 384ः–उद्दापन के लिये दण्ड– तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 385–जो भी कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 386–जो भी कोई किसी व्यक्ति से, स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 387–जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर उपहति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 388–जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास, से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है, तो वहआजीवन कारावास, से दंडित किया जा सकेगा।

धारा 389–जो भी कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्धऐसे अपराध (जिसकी सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक

कारावास है) का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दण्डनीय है, तो उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा।

धारा 390 लूटः– सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

चोरी कब लूट है :– चोरी लूट है यदि चोरी करने के लिए या चोरी करने में, चोरी की सम्पत्ति को ले जाते समय या ले जाने के प्रयत्न में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या प्रयत्न करता है

उद्दापन कब लूट है :–उद्दापन लूट है यदि अपराधी उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु तत्काल उपहति, या तत्काल सदोष अवराध के भय में डालकर उद्दापन करता है और भय में डाले गये व्यक्ति से उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही देने के लिए उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण :–अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो।

उदाहरण :–**क, य** को दबोच लेता है और **य** के कपडे में से **य** का धन और आभूषण **य** की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है यहां **क** ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया **य** का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए **क** ने लूट की है।

1. **क, य** को राजमार्ग पर मिलता है एक पिस्तोल दिखाता है और **य** की थैली मांगता है, परिणामस्वरूप **य** अपनी थैली दे देता है यहां **क** ने **य** को तत्काल उपहति का भय दिखाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है अतः **क** ने लूट की है।

धारा 391 डकैतीः– जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसी लूट किये जाने में या प्रयत्न में मदद करते हैं तथा कुल मिलाकर पांच या अधिक है तब प्रत्येक व्यक्ति को जो इस प्रकार लूट करता है, प्रयत्न करता है, या उसे मदद करता है तो कहा जायेगा कि वह डकैती करता है।

धारा 392 – लूट के लिए दण्ड –जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच की जाये तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा।

धारा 393:– लूट करने का प्रयत्न– सात वर्ष तक का कठिन कारावास एवं जुर्माना ।

धारा 394:– लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना –

जो कोई लूट करने में या इसका प्रयत्न करने स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबद्ध होगा। वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठोर कारावास से और जुर्माने से दण्डित होगा।

धारा 395 :–डकैती के लिए दण्ड –

जो कोई डकैती करेगा तो आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 396 :–हत्या सहित डकैती –

यदि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों में से जो सयुंक्त होकर डकैती कर रहे हो कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मुत्यु से या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 397–यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

धारा 398 –यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह कारावास, जिसे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

धारा 399 :–डकैती करने के लिये तैयारी करना–

जो कोई डकैती करने के लिये कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

चोरी धारा 378 भा.द.स.	लूट धारा 390 भा.द.स.
1. सहमति :– अपराधी सम्पत्ति को बिना स्वामी की सहमति के लेता है। 2. चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जाती है। 3. बल :– चोरी में बल का तत्व नहीं उत्पन्न होता है। 4. अपराधियों की संख्या :– चोरी केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। 5. भय का तत्व :– चोरी में भय का तत्व नहीं होता।	1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2. लूट अचल सम्पत्ति के विषय में भी हो सकती है। यदि वह दबाव डालकर लेने का रूप है अन्यथा नहीं। 3. लूट के सभी रूपों में बल एक जरूरी तत्व है यद्यपि इसका प्रयोग न किया जाए तो भी इसमें कुछ भय हो सकता है। 4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 5. बेईमानी का तत्व विद्यमान होता है।
लूट–**धारा 390** भा.द.स.	डकैती –**धारा 391** भा.द.स.
1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है, जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2. इसमें डरा कर लेना और भय दिखलाना आवश्यक है। 3. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 4. इसमें बेईमानी का तत्व भी शामिल है। 5. इसकी सजा धारा 392 आई.पी.सी. में दी गई है। 6. इसकी तैयारी करना अपराध नहीं है।	1. इसमें सहमति नहीं होती यदि होती भी है तो अवैध ढ़ंग से प्राप्त की जाती है। 2. डकैती में भय का तत्व विद्यमान होता है। 3. डकैती में कम से कम पाँच या अधिक व्यक्ति होते हैं। 4. डकैती में बेईमानी का तत्व होता है 5. इसकी सजा धारा 395 आई.पी.सी. में दी गई है। 6. इसकी तैयारी करना अपराध है।

धारा 400–जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास, से,

या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 401 – जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकूओं की टोली में न हो, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 402 – जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों मे से एक होगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

सुकलाल बनाम म० प्र० राज्य, 1998 Cr- L-J- 1366 (म० प्र०)

धारा 399 और 402 के बीच अन्तर है डकैती की तैयारी के लिए मात्र एकत्रित होना ही धारा 402 के अधीन दण्डनीय हैं जबकि धारा 399 के अपराध के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि डकैती की तैयारी के लिए कतिपय अतिरिक्त कदम उठाये गये थे।

संपत्ति कें आपराधिक दुर्विनियोग– धारा– 403 और 404

धारा – 403 सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग

जो कोई बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

दृष्टांत

(क) क, य की सम्पत्ति को उस समय जब कि क उस सम्पत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह सम्पत्ति उसी की है, य के कब्जे में से सद्भावपूर्वक लेता है। क, चोरी का दोषी नहीं है। किन्तु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात् उस सम्पत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ख) क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मत्ति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहां यदि, क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो क ने चोरी नहीं की है। किन्तु

यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी हैं।

(ग) क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहां, क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है। किन्तु यदि के उस घोड़े को बेच देता है, और सम्पूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 1 दृकेवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है।

दृष्टांत

क को य का एक सरकारी वचनपत्र मिलता है, जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। क, यह जानते हुए कि वह वचनपत्र य का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंककार के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

स्पष्टीकरण 2 जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पड़ी मिल जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किन्तु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस सम्पत्ति की युक्तियुक्त समय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है।

ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है।

यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि सम्पत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी सम्पत्ति है, या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता।

दृष्टांत

(क) क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है क उस रुपए को उठा लेता है। यहां क ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है।

(ख) क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निदेश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ग) वाहक–देय एक चेक क को पड़ा मिलता है। वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किन्तु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसने वह चेक लिखा है। क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था, क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(घ) क देखता है कि य की थैली, जिसमें धन है, य से गिर गई है। क वह थैली य को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है। किन्तु तत्पश्चात् उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

(ङ) क को एक थैली, जिसमें धन है, पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। उसके पश्चात् उसे यह पता चल जाता है कि वह य की है, और वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(च) क को एक मूल्येवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरन्त बेच देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

धारा 404 – ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी

जो कोई किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।

दृष्टांत - य के कब्जे में फर्नीचर और धन था। वह मर जाता है। उसका सेवक क, उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा – 405 आपराधिक न्यासभंग

जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्यथन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति कर ऐसा करना सहन करता है वह "आपराधिक न्यास भंग" करता है।

स्पष्टीकरण 1

(1)जो व्यक्ति, 3(किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य–निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं), तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य–निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी–अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।)

स्पष्टीकरण 2 - जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी–अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।)

दृष्टांत -

(क) क एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए उस विधि की, जो चीजबस्त को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निदेश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है, और उस चीजबस्त को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। कने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(ख) क भांडागारिक है। य यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भांडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(ग) क, जो कलकत्ता में निवास करता है। य का, जो दिल्ली में निवास करता है अभिकर्ता है। क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को प्रेषित सब राशियां क द्वारा य के निदेश के अनुसार विनिहित की जाएंगी। य, क को इन निर्देशों के साथ एक लाख रुपए भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए। क उन निदेशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारबार के उपयोग में ले आता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(घ) किंतु यदि पिछले दृष्टांत में क बेईमानी से नहीं प्रत्युत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक आफ बंगाल में अंश धारण करना य के लिए अधिक फायदाप्रद होगा, य के निर्देशों की अवज्ञा करता है, और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय य के लिए बैंक आफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि य को हानि हो जाए और उस हानि के कारण, वह क के विरुद्ध सिविल कार्यवाही करने का हकदार हो, तथापि, यतः क ने, बेईमानी से कार्य नहीं किया है, उसने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है।

(ङ) एक राजस्व आफिसर, क के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को, जो उसके पास न्यस्त किया गया है, एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आबद्ध है । क उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(च) भूमि से या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास, जो एक वाहक है, संपत्ति न्यस्त की है। क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

धारा 406 – आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड

जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा – 407 वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग

जो कोई वाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 408 –लिपिक या सेवक द्वारा अपराधिक न्यासभंग

जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 409 – लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग

जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

साधुपति नागेश्वर राव बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश AIR 2012 SC 3242 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 409 के अन्तर्गत आपराधिक न्यास भंग के अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक बताया -

(1) अभियुक्त का लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता होना; (2) उसे सम्पत्ति का न्यस्त किया जाना; (3) अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण आशय होना; तथा (4) अभियुक्त द्वारा सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाना।

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में– धारा– 410 से 414

धारा 410 चुराई हुई संपत्ति

वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग 1''' किया गया है, चुराई हुई संपत्ति" कहलाती है, 2चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग

3भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती।

संशोधन

1.1891 के अधिनियम में 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 और 1882 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा "का अपराध शब्द निरसित ।

2. 1882 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

3.'ब्रिटिश भारत' शब्दों के स्थान पर, अनुक्रमशः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 411 – चुराई हुई सम्पति को बेईमानी से प्राप्त करना –

जो कोई व्यक्ति चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धारा 412 – जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अन्तरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 413 – जो कोई ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में वह यह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करेगा, या उसमें व्यापार करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 414 – जो भी कोई ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, को छिपाने, या व्ययन, या इधर उधर करने में स्वेच्छा पूर्वक

सहायता करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 415 – जो भी कोई किसी व्यक्ति को धोखा दे कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार धोखा दिया गया है, कपटपूर्व या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंप दे, या यह सहमति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे धोखा दिया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह नहीं करता या करने का लोप न करता यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या क्षति कारित होती है, या कारित होनी सभ्भाव्य है, उसे छल करना कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण––तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है।

धारा 416 – कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है ।

स्पष्टीकरण –यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक ।

दृष्टांत –

(क) क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकार है इस अपदेश द्वारा छल करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ।

(ख) ख, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ।

धारा 417 – जो भी कोई छल करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 418 – जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा, या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 419 – प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड – तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो।

धारा 420 – छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना–

जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। **दण्ड**–सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन बनाम ए० रविशंकर प्रसाद एवं अन्य लोग, (2009) 3 क्रि० लॉ ज० 3437 (एस० सी०)–का वाद भा० द० सं० की धारा 420 के अन्तर्गत बैंक को धोखा देने से सम्बन्धित है। बैंक के अधिकारियों पर प्राइवेट अभियुक्तगणों को जो विभिन्न कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कम्पनियों को बड़ी मात्रा में ऋण स्वीकृत करते समय पक्ष लेने का आरोप था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र समझौते के अधीन ऋण की अदायगी द्वारा अभियुक्तों को दाण्डिक कार्यवाही से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

धारा 421–जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद्द्वारा निवारित करने के आशय से, या तद्द्वारा सम्भाव्यतः निवारित करेगा यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 422–जो कोई किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋण को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलभ्य होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 423–जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखत को हस्ताक्षरित करेगा, निष्पादित करेगा, या उसका पक्षकार बनेगा, जिससे किसी सम्पत्ति का, या उसमें के किसी हित का, अंतरित किया जाना, या किसी भार के अधीन किया जाना, तात्पर्यित है, और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित, या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित, जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, वह

दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 424–जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करेगा, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को, जिसका वह हकदार है, छोड़ देगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 425 रिष्टि – जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पति का नाश या किसी सम्पति में या उसकी स्थिति मे ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पडता है वह रिष्टि करता है।

उदाहरण – क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे उसको स्वेछया संत्यक्त करा देता है। क ने रिष्टि की है।

धारा 426–जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 427 –जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा पचास रूपये या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 428–जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 429–जो भी कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 430–जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कृषिक प्रयोजनो के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या

किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 431–जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनो में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 432 –भारतीय दंड संहिता की धारा 432 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक जलनिकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 433–जो कोई किसी दीपगृह को, या समुद्री– चिह्न के रूप में उपयोग में आने वाले अन्य प्रकाश के, या किसी समुद्री–चिह्न या बोया या अन्य चीज के, जो नौ–चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई हो, नष्ट करने या, हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे कोई ऐसा दीपगृह, समुद्री– चिह्न, बोया या पूर्वोक्त जैसी अन्य चीज नौ–चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 434–जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 435–जो कोई किसी सम्पत्ति को, एक सौ रुपए या उससे अधिक का, या (जहां कि सम्पत्ति कृषि उपज हो) वहां दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 436–जो भी कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासना–स्थान के रूप में या मानव–विकास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश

कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 437—जो भी कोई किसी तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बना देने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसे नष्ट करेगा, या असुरक्षित बना देगा, उस जलयान की रिष्टि करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 438—जो कोई अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्टि करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, जैसे पूर्ववर्ती धारा 437 में वर्णित है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 439—जो भी कोई किसी जलयान को इस आशय से कि वह उसमें निहित किसी संपत्ति की चोरी या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 440—जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका संदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 441:— आपराधिक अतिचारः—

इसके अन्तर्गत निम्न तत्व हैं

1. किसी ऐसी सम्पति में या उस पर प्रवेश जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है।
2. यदि प्रवेश विधि पूर्ण है तो विधि विरूद्ध रूप में उस पर बने रहना।
3. प्रवेश या विधि विरूद्ध रूप से बने रहना कोई अपराध करने के लिए या उस सम्पति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति को अभित्रस्त , अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से किया गया हो।

धारा 442:– गृह अतिचारः–

जो कोई किसी निर्माण (मकान) तम्बू, या जलयान में जो मानव निवास या उपासना स्थल के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण :–आपराधिकअतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश–गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है।

धारा 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार :– जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् अतिचार करता है कि ऐसे गृह–अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण (निर्माण) तम्बू या जलयान में से जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है तो यह कहा जायेगा कि वह प्रच्छन्न (छुपकर) गृह–अतिचार करता है।

धारा 444–जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह–अतिचार करता है, वह "रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार" करता है, यह कहा जाता है।

धारा 445:–गृह भेदन की परिभाषाः–

जो व्यक्ति नीचे लिखे छः तरीकों में से किसी गृह में अपराध करने के प्रयोजन से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो कहा जायेगा उसने गृह भेदन किया है।

1. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस

   गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिये बनाया है।

2. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशायित नहीं है या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक की वह किसी दीवार या भवन पर सीढ़ी द्वारा पहुंचता है या बाहर निकलता है।

3. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने ऐसे साधन द्वारा खोला है जैसा कि गृह स्वामी द्वारा आशयित नहीं हो।

4. यदि उस गृह अतिचार को करने के लिए वह ताले को खोल कर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।

5. यदि वह प्रवेश या निकास आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या धमकी द्वारा करता हैं

6. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि इस प्रकार के गृह अतिचार को रोकने के लिए बन्द किया हुआ है।

उदाहरण :– य को क के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो क से खो गयी थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर क के घर मेंप्रवेश करके गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

धारा 446 :– रात्रौ गृह भेदन –जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन करता है वह रात्रौ गृह भेदन करता है, कहा जाता है।

धारा 447– जो भी कोई आपराधिक अतिचार करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 448 :– गृह अतिचार के लिए दण्ड –एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।

धारा 449– जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह–अतिचार करेगा, वह आजीवन कारावास, से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 450– जो कोई आजीवन कारावास, से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 451– जो भी कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह–अतिचार करेगा, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

तथा यदि वह अपराध जिसका आशय चोरी करना हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 452– उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार

जो काई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में किसी भांति के

कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

आपराधिक अतिचार क्या है

ब्लैक लॉ की डिक्शनरी के अनुसार आपराधिक अतिचार की परिभाषा को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया गया है, कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर बिना किसी अधिकार के अपना वैध अधिकार या बिना किसी अनुमति के अपना खुद का नियंत्रण स्थापित करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक अतिचार का अपराध करता है।

आपराधिक अतिचार से तात्पर्य मूल रूप से एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति में गैरकानूनी रूप से प्रवेश को संदर्भित करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी संपत्ति के कब्जेदार की अनुमति के बिना उस संपत्ति में प्रवेश करता है, चाहे वह किसी भी कारण से ऐसा कर रहा हो, कानून की भाषा में उस व्यक्ति को अपराधी की नजरों से ही देखा जायेगा, जिसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है। दुनिया भर में किसी व्यक्ति की संपत्ति में अतिचार करने वाले व्यक्ति को एक गलत नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। हालाँकि, भारत सहित कई देशों ने इसे एक आपराधिक अपराध भी बना दिया है।

धारा 453– जो कोई प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 454 :– कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन– जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा वह तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 455– जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 456– जो कोई रात में छिप कर गृह–अतिचार या गृह–भेदन करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 457 :– कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन–

जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करेगा वह पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशायित हो, चोरी हो तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 458 उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन – जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करेगा तो वह चौदह वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 459 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित करना– जो कोई प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 460 जो रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करने में संयुक्त संपृक्त हर व्यक्ति, (आजीवन कारावास) से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 461– जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उद्‌बन्धित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा

धारा 462– जो कोई ऐसा बंद पात्र, जिसमें संपत्ति हो, या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलेगा या उद्‌बन्धित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

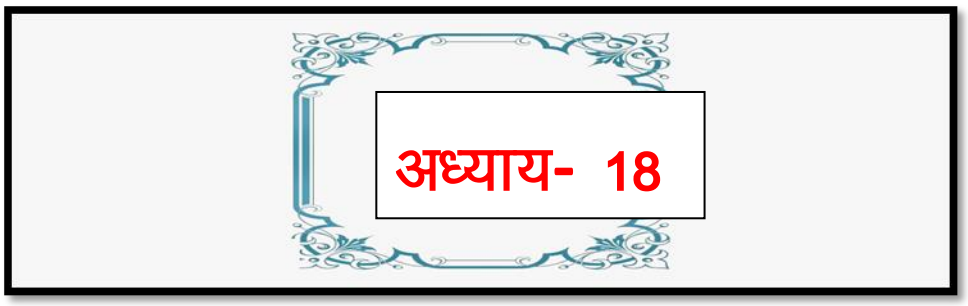

दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध

Offences relating to documents & property marks- (chapter -xviii) sections- 463,464,467,468,470,471,472, 473, 474 (465 to 467) *

धारा 463–जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है ।

धारा 464–उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है,–

पहला–जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से–

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है,

(ख) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है,

(ग) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है,

(घ) दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है,कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा

या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है या

दूसरा—जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग मेंपरिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसीअन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाए जाने के पश्चात् उसे रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है य अथवा

तीसरा—जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को या परिवर्तन के रूप को, विकृतचित्त या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाया जाना कारित करता है।

दृष्टांत

(क) क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है । ख से कपट करने के लिए क 10,000 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था । क ने कूटरचना की है ।

(ख) क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, य के प्राधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है, जो कि य की ओर से क की सम्पदा का हस्तान्तरपत्र होना तात्पर्यित है । क ने कूटरचना की है ।

(ग) एक बैंकार पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है । चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है । क 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है । क कूटरचना करता है ।

(घ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकार पर लिखा हुआ, क द्वारा हस्ताक्षरित चेक, देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि, जो दस हजार रुपए से अधिक न हो अंकित

करके चेक भर ले । ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपए अंकित करके उसे भर लेता है । ख कूटरचना करता है ।

(ङ) क, ख के प्राधिकार के बिना ख के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकार से असली विनिमयपत्र की भांति बट्टा देकर उसे भुना ले, और उस विनिमयपत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले, यहां क इस आशय से उस विनिमयपत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकार को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की प्रतिभूति प्राप्त है, और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बट्टा लेकर भुना दे । क कूटरचना का दोषी है ।

(च) य की विल में ये शब्द अन्तर्विष्ट हैं कि मैं निदेश देता हूं कि मेंरी समस्त शेष सम्पत्ति क, ख और ग में बराबर बांट दी जाए । क बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए और ग के लिए ही छोड़ी गई थी । क ने कूटरचना की है ।

(छ) क एक सरकारी वचनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द य को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके आदेशानुसार देय कर देता है । ख बेईमानी से "य को या उसके आदेशानुसार दे दो" इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष पृष्ठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है । ख कूटरचना करता है ।

स्पष्टीकरण :– 1 किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण :–2 कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में रची गई थी, कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण :–3 इस धारा के प्रयोजनों के लिए "2(इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर) करना" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में समनुदेशित है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के आवश्यक तत्व

भारतीय दंड संहिता की धारा 465 में केवल जालसाजी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है, और जालसाजी का अपराध क्या होता है, इस बिषय में भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में इस अपराध की परिभाषा को विस्तार से समझाया गया है। इस धारा के आवश्यक तत्वों में यह दिया गया है, कि जो भी कोई व्यक्ति किसी फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या ऐसे दस्तावेज के किसी भी भाग को बदलने या उसमें कोई संसोधन करने का काम इस उद्देश्य से करता है, जिससे किसी व्यक्ति या सरकार को या कोई व्यक्ति को नुकसान या क्षति की जाए या किसी प्रकार के दावे, हक का समर्थन किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ किये गए किसी संविदा या अनुबंध में कपट करने या सम्पति को अलग करने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज बदलता है, तो वह अपराध जालसाजी का अपराध कहा जाता है।

धारा 465 के लिए सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 465 में भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के प्रावधानों वर्णित जालसाजी का अपराध करने के लिए एक अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था की गयी है। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत अपराध किया है, उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसकी समय सीमा को 2 बर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है,

धारा 464 में स्पष्ट किया गया है कि "मिथ्या दस्तावेज रचना" क्या है ?

यदि मिथ्या दस्तावेज रचने के पीछे धारा 463 के तत्त्व या आशय है तो कूटरचना का अपराध कारित हो जाएगा।

धारा 466—जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या मुख्तारनामा हो, कूटरचना करेगा, उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दण्डादेश दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है।

धारा 467–जो काई किसी ऐसे दस्तावेज जिसका अभिप्राय कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना हो, अथवा जिसका अभिप्राय किसी व्यक्ति कोमूल्यवान प्रतिभूति की रचना या हस्तांतरण का प्राधिकार देना, या उस पर कोई मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करना, या कोई भी चल संपत्ति, पैसे या मूल्यवान सुरक्षा प्राप्त करने या देने के लिए हो, या कोई दस्तावेज जिसका अभिप्राय धन के भुगतान को स्वीकार करके ऋणमुक्ति की रसीद होना, या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति कीभरपाई रसीदहोना हो, की कूटरचना करता है, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आवश्यक तत्त्व

- मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण करने का प्राधिकार, या कोई धन प्राप्त करने आदि के लिए कूटरचना।
- सजा – आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड।
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 468–यदि कोई व्यक्ति इस आशय से कूटरचना करता है कि कूटरचित दस्तावेजों को छल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आवश्यक तत्त्व – छल के प्रयोजन से कूटरचना

- सजा – सात वर्ष कारावास. आर्थिक दंड।
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 469– जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के

कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 470—वह मिथ्या, दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कहलाती है

धारा 471— जो कोई किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसके बारे में वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करता है, तो उसे उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ही उन दस्तावेजो या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की कूटरचना की है

आवश्यक तत्त्व

- कूटरचित दस्तावेज जिसका कूटरचित होने का पूर्वज्ञान हो का असली के रूप में उपयोग करना।
- सजा— जो ऐसे दस्तावेज की कूटरचना के लिए दी जाती है।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

धारा 472— जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह 3ख्आजीवन कारावास, से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 473— जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति करेगा, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 467 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 474— जो कोई, किसी दस्तावेज या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति का हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

तथा यदि वह दस्तावेज धारा 467 में वर्णित भांति का हो तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

करेंसी नोटों या बैंक नोटों के विषय में
(counterfeiting of currency notes or bank notes)- section- 489-A to E

आईपीसी की धारा 489 क

करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण–

जो कोई किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, या जानते हुये करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को सम्पादित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के और धारा 489ख, 489ग, 489घ और 489ङ के प्रयोजनों के लिये 'बैंक नोट' पद से उसके वाहक को मांग पर धन देने के लिये ऐसा वचनपत्र या वचन–बन्ध अभिप्रेत है, जो संसार के किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया गया हो, या किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालित किया गया हो, और जो धन के समतुल्य या स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित हो।

आईपीसी की धारा **489 ख**के अनुसार

कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना–

जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप में उसे उपयोग में लाएगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

आईपीसी की धारा 489ग,के अनुसार

कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंकनोटों को कब्जे में रखना–

जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लायी जा सके, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

आईपीसी की धारा489 घ

करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिये उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना–जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेंसी या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित है, बनायेगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग का सम्पादन करेगा, या खरीदेगा या बेचेगा, या व्ययनित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

आईपीसी की धारा 489 ङ

करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग,

(1) जो कोई किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्यित हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश हो या इतने निकटतः सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो, रचेगा या रचवाएगा या किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोग में लायेगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो, जिसकी रचना उपधारा (1) के अधीन अपराध है, किसी पुलिस आफिसर को या उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा वह मुद्रित की गयी थी, या अन्यथा रची गयी थी, बताने के लिये अपेक्षित किये जाने पर उसेविधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिनाबताने सेइन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जहां कि किसी ऐसी दस्तावेज पर, जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया हो, या किसी अन्य दस्तावेज पर, जो उस दस्तावेज के सम्बन्ध में उपयोग में लायी गयी हो, या वितरित की गयी हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वहाँ जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसी व्यक्ति ने वह दस्तावेज रचवाई है।

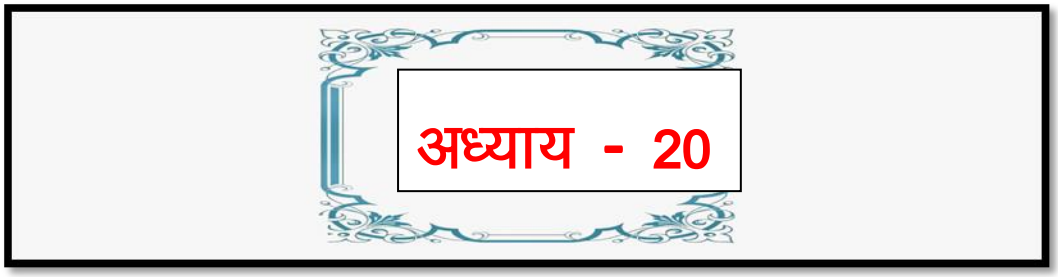

अध्याय - 20

अध्याय 20

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

Of offences relating to marriage- (chapter xx) sections- 494, 497 & 498

धारा 494– जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाहकरेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना शून्य होता है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

अपवाद–(1)–इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो।

(2)और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नि के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नि उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि हो ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविकता स्थिति की जानकारी, जहां तककि उनका ज्ञान उसको हो, दे दे।

आवश्यक तत्त्व

- यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति (पति या पत्नी जिसके जीवनसाथी ने पुनः विवाह किया है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।

आई. पी. सी. की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना)

इसके अतिरिक्त यदि किसी स्त्री या पुरुष की शादी हो चुकी है, और वह किसी भी वजह से, बिना तलाक के अपने साथी के साथ न रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती या रहता है, और उससे विवाह भी कर लेता है, तो ऐसी स्तिथि में वह स्त्री या पुरुष अपने साथी को तो धोखा दे ही रहा है, और इसके साथ ही साथ वह कानूनन अपराध भी कर रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में इस अपराध के लिए प्रावधान दिया गया है, इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता की इस धारा में ऐसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पति को तलाक देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति केसाथ विवाह करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी नहीं हो सकता है।

धारा 497– जो भी कोई ऐसी महिला के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषीहोगा, औरउसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। **ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।**

आवश्यक तत्त्व

सजा– 5 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों

यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है ५

यह अपराध महिला के पति की सहमति द्वारा समझौता करने योग्य है।

व्यभिचार

माननीय उच्च न्यायालय के में पांच जजों की संविधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 497– व्याभिचार पर फैसला सुनाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, ''यह अपराध नहीं होना चाहिए।'' सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने व्यभिचार–रोधी कानून को रद्द कर दिया है और कहा है कि व्यभिचार अपराध नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तलाक का आधार हो सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है। कोर्ट ने कहा कि पति महिला का मालिक नहीं है

और जो भी व्यवस्था महिला की गरिमा से विपरीत व्यवहार या भेदभाव करती है, वह संविधान के कोप को आमंत्रित करती है। जो प्रावधान महिला के साथ गैरसमानता का बर्ताव करता है, वह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिला की अखंडता और सेक्सुअल च्वॉयस का असम्मान करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि व्यभिचार की वजह से एक जीवनसाथी खुदकुशी कर लेता है और यह बात अदालत में साबित हो जाए, तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुष हमेशा फुसलाने वाला और महिला हमेशा पीड़िता – ऐसा अब नहीं होता।

आई.पी.सी. की धारा 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध है। लेकिन इसमें शादीशुदा महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इस सेक्शन में सबसे जरूरी बात ये है कि विवाहित महिला का पति भी अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकता है। शिकायत का अधिकार संबंध बनाने वाली महिला के पति को है।

इस कानून के तहत अगर आरोपी पुरुष पर आरोप साबित होते है तो उसे अधिक्तम पांच साल की सजा हो सकती है। इस मामले की शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में नहीं की जाती है बल्कि इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से की जाती है और कोर्ट को सबूत पेश किए जाते हैं।

जोसेफ शाइन की याचिका

जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका आई.पी.सी. की धारा 497 को चुनौती देती है, जो एक विवाहित महिला के साथ व्याभिचार में एक पुरुष के खिलाफ मुकदमा चलाने की ओर ले जाती है, लेकिन महिला को दण्डित नहीं करती है।

उन्होंने याचिका में आई.पी.सी. की धारा 497 को चुनौती देते हुए इसे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा, यह पुरुषों के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इस कानून में महिलाओं को अपराधी नहीं माना जाता।

यह याचिका द.प्र.स. कि धारा 198 को भी चुनौती देता है जो एक विवाहित महिला के व्यथित पति को व्याभिचारी के संबंध में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है लेकिन व्याभिचारी पुरुष की उत्तेजित पत्नी को नहीं।

शीर्ष अदालत ने धारा 497 के मामले में क्या कहा –8 अगस्त को अगली सुनवाई में, अदालत ने केंद्र से सवाल किया था कि जब महिला का पति उसके साथ खड़ा था, तो 497 ने विवाह की ''पवित्रता'' को कैसे संरक्षित किया, जब विवाहेतर संबंध गैर–दंडनीय हो गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''शादी की पवित्रता पारस्परिक पारस्परिकता, समायोजन और रहने की इच्छा पर निर्भर है और शादी में पत्नी द्वारा सेक्स के लिए कोई स्थायी सहमति नहीं है।''

कानून को लिंग–तटस्थ बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया

सरकार की इस दलील के जवाब में कि अदालत को कानून को लिंग–तटस्थ बनाना चाहिए और इस तरह के रिश्तों में महिलाओं को अपराध का विस्तार करना चाहिए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि अदालत एक अपराध के कैनवास को चौड़ा नहीं कर सकती है लेकिन इसे संकीर्ण कर सकती है।

उन्होंने कहा, ''भले ही हमने आईपीसी की धारा 497 को लिंग–तटस्थ बनाया हो, यह पुरुष को दंडित करने और महिला को बख्शने के मुद्दे को संबोधित करेगा, लेकिन हमें अभी भी यह तय करना है कि क्या यह अपराध होना चाहिए।''

धारा 498– जो भी कोई किसी विवाहित स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उस स्त्री की देखरेख करता है, को फुसलाकर इस आशय से ले जाए या छिपाए या उस स्त्री को निरुद्ध करे, कि वह स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

आवश्यक तत्त्व

- विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना।
- सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
- यह एक जमानती, गैर–संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध पीड़ित पति और पत्नी के द्वारा समझौता करने योग्य है।
-

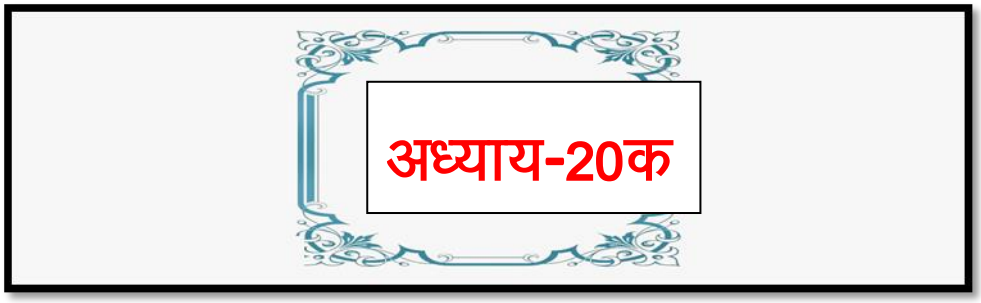

अध्याय 20–क - पति या पति के संबंधियों द्वारा क्रूरता के विषय में

Of cruelty by husband or relatives of husband- (chapter xx-a) section-498क

धारा **498 क**– भारतीय दंड संहिता की धारा **498 क** के अनुसार,
जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है:––

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित की सम्भावना है या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।

धारा 498ए– किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना

शादी बंधन से बंधी महिलाओं के खिलाफ क्रूरता ने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और अपराध सिद्ध करने के मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना किया। ऐसा इसलिए था, क्योंकि अधिक बार, महिलाएं चुप्पी में अपने कष्टों को सहन करती हैं। स्वतंत्र गवाहों को प्राप्त करना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि आम तौर पर घर के चार दीवारों के भीतर पत्नी की हिंसा को जनता की निगाह से दूर रखा जाता है। इसके अलावा, दहेज की मांग के कारण महिलाओं का उत्पीड़न शुरू हो जाता

है, अगर वे उसी से मिलने में विफल रहीं। हिंसा आम तौर पर सूक्ष्मतर और अधिक विचारशील रूपों में होती है (उदाहरण के लिए, मानसिक क्रूरता), लेकिन समान रूप से अत्याचारी, या कई बार महिला को अपनी जान लेने के लिए उकसाना।

धारा 498 क को आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा आई. पी. सी. में 1983 में डाला गया था। इस धारा का उद्देश्य विवाहित महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित करने से रोकना और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उसे प्रताड़ित करना था। 1983 से पहले, अपने पति या उसके ससुराल वालों द्वारा पत्नी का उत्पीड़न आई. पी. सी. के सामान्य प्रावधानों द्वारा मारपीट, चोट, शिकायत या दुख से निपटने के लिए किया गया था। हालांकि, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, विशेष रूप से युवा, नवविवाहित महिलाओं और दुल्हन जलने की बढ़ती घटनाएं हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गईं। यह महसूस किया गया कि आई. पी. सी. के सामान्य प्रावधान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

इस समस्या से निपटने के लिए, संसद द्वारा यह महसूस किया गया कि तीन स्तरों पर व्यापक विधायी परिवर्तन आवश्यक थेः

- पतियों के पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के प्रति क्रूरता के अपराध को परिभाषित करना
- ऐसी प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए जो महिलाओं की कुछ मौतों के मामलों में जांच को अनिवार्य बनाती हैं
- साक्ष्य अधिनियम में बदलाव लाने के लिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में अभियुक्तों को अभियोजन और दोषसिद्धि को आसान बना देगा।

तदनुसार, धारा 498 ए और धारा 304 बी (दहेज हत्या) को आई. पी. सी. में जोड़ा गया था। इसके बाद, धारा 174, सीआरपीसी में संशोधन किया गया था, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विवाह के सात वर्षों के भीतर महिलाओं की आत्महत्या या संदिग्ध मौतों के मामलों में जांच को अनिवार्य करना है।

धारा 113 बी को साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि यह दिखाया गया है कि किसी महिला की मृत्यु से पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो यह माना जाएगा कि इस तरह के महिला को परेशान करने वाले व्यक्ति ने महिला की मौत (दहेज मृत्यु) का कारण बना।

धारा 498 ए की अनिवार्यता

इस धारा को आकर्षित करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें पूरी करनी होती हैं। ये नीचे दिए गए हैं:

- ✓ महिला शादीशुदा होनी चाहिए। इस धारा को महिलाओं को उनके पति या उनके ससुराल वालों से अनियंत्रित और क्रूर व्यवहार (ज्यादातर मामलों में, अपने वैवाहिक घर में) से बचाने के लिए डाला गया है।

- ✓ क्रूरता या उत्पीड़न: उस महिला को क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन होना चाहिए। क्रूरता का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है। यहां तक कि दहेज की मांग भी क्रूरता का हिस्सा हो सकती है।

- ✓ ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना या तो पति या पति के रिश्तेदारों, या दोनों द्वारा दिखाई जानी चाहिए थी।

- ✓ **क्रूरता क्या है?**

सरल शब्दों में, क्रूरता से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति या जीवित प्राणी के प्रति दुख या निष्क्रियता को भड़काना है। यह 'अमानवीय' कार्यों का भी उल्लेख कर सकता है। ज्यादातर समय, क्रूरता इस तरह के दर्द और चोट या दूसरे पर चोट पहुंचाने में की बात से स्पष्ट हो जाता है। क्रूरता स्पष्ट रूप से एक बहुत व्यापक शब्द है, और इसमें कई प्रकार के अर्थ शामिल हैं। क्रूरता हिंसक या शारीरिक और यहां तक कि मानसिक या भावनात्मक दोनों हो सकती है। धारा 498 ए मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों को सम्मिलित करती है। धारा 498 ए के तहत क्रूरता का गठन करने के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें।

कोई भी ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है

कोई भी उपयोगी आचरण जिससे किसी महिला को गंभीर चोट लगने की संभावना हो,

कोई भी उपयोगी आचरण जिससे महिला के जीवन, अंग या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है,

किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके या उसके रिश्तेदारों के साथ जबरदस्ती करने की दृष्टि से महिला का उत्पीड़न,

दहेज की ऐसी मांगों को पूरा करने में महिला की विफलता के कारण महिला का उत्पीड़न।

एक सामान्य अर्थ में उत्पीड़न या क्रूरता शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति को लगातार हस्तक्षेप या धमकी के माध्यम से उसे या उसे पीड़ा देना है। यदि संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए पत्नी या उसके रिश्तेदारों के साथ जबरदस्ती करने की दृष्टि से ऐसा उत्पीड़न किया जाता है, तो यह धारा 498 ए द्वारा चिंतन के अनुसार उत्पीड़न होता है। जबरदस्ती का अर्थ है किसी व्यक्ति को बल या धमकियों के जरिए कुछ करने के लिए राजी करना या मजबूर करना।

शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता

शारीरिक क्रूरता तब होती है जब भौतिक शरीर पर दर्द का प्रवाह होता है। यह धड़कन, जलन, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, मुक्का मारना, काटना, मरोड़ना, थप्पड़ मारना, घुटना टेकना आदि हो सकता है। शारीरिक क्रूरता ज्यादातर मामलों में नग्न आंखों से देखी जा सकती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शारीरिक क्रूरता किसी दूसरे पर चोट है। शारीरिक क्रूरता आसानी से पहचानी जा सकती है, जैसे कि चोट के निशान या खंडित हड्डियां। कोई भी शारीरिक हिंसा जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा या चोट पहुँचाती है।

मानसिक क्रूरता एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेवजह या भावनात्मक क्रूरता का कार्य हो सकता है, जिसमें धमकी देना, डराना, कम करना, दूसरे व्यक्ति को परेशान करना, नाम–पुकार करना, चिल्लाना आदि शामिल है। मानसिक क्रूरता में शारीरिक क्रूरता के समान भार है। शारीरिक क्रूरता की तुलना में मानसिक क्रूरता अधिक चुनौतीपूर्ण है।

शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार, यदि पति या पति के रिश्तेदार स्त्री को क्रूरता के अधीन करते हैं, चाहे वह शारीरिक या मानसिक क्रूरता जो महिला को आत्महत्या करने या जीवन, अंग, या मानसिक या शारीरिक रूप से किसी गंभीर चोट या खतरे का कारण बनने की संभावना है महिला का स्वास्थ्य, या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके या उसके रिश्तेदारों के साथ जबरदस्ती करने की दृष्टि से महिला को परेशान करता है।

<u>क्रूरता के उदाहरण धारा 498 क के तहत आते हैं:</u>

- ✓ दहेज की लगातार मांग से क्रूरता
- ✓ झूठी और द्वेषपूर्ण मुकदमेबाजी द्वारा क्रूरता
- ✓ वंचित और बेकार की आदतों से क्रूरता
- ✓ वैवाहिक संबंधों द्वारा क्रूरता

- ✓ गैर – दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न और क्रूरता
- ✓ बालिका की स्वीकृति न होने से क्रूरता
- ✓ पत्नी को लिंग – निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करके क्रूरता
- ✓ शुद्धता पर झूठे हमलों से क्रूरता
- ✓ बच्चों को ले जाकर क्रूरता
- ✓ पत्नी को चोट पहुँचाना या मारना या शारीरिक रूप से चोट पहुँचाना (शराब के प्रभाव में या नहीं)

<u>पति द्वारा क्रूरता या पति के रिश्तेदार</u>

धारा 498 ए केवल पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए कृत्यों या चूक तक ही सीमित है। हालांकि, रिश्तेदारों शब्द को अनुभाग में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रासंगिक मामलों के कानूनों को पढ़ने से पता चलता है कि आमतौर पर, माता–पिता, बहनें और भाई यानी पति के तत्काल परिवार पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

एक मामले में यह तर्क दिया गया था कि 'दूसरी पत्नी' का 'पति', जो अपने पहले के कानूनी विवाह के अस्तित्व के दौरान उससे शादी करता है, धारा 498 ए और 'दूसरी पत्नी' के अर्थ के भीतर 'पति' नहीं है। इसलिए उनके या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के लिए धारा 498क को लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए के विधायी इरादे पर भरोसा करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।

धारा 498 ए के तहत अपराध की प्रकृति

संज्ञेय : अपराधों को संज्ञेय और गैर–संज्ञेय में विभाजित किया जाता है। कानून द्वारा, पुलिस एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत करने और उसकी जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

गैर–जमानती : इसका मतलब है कि धारा 498 ए के तहत दायर एक शिकायत में मजिस्ट्रेट को जमानत देने से इंकार करने और किसी व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने की शक्ति है।

अशमनीय : यह एक अशमनीय अपराध है।

भारत में धारा 498 ए की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

इसके हमारे देश में कई कारण मौजूद हैं, जिनके लिए भारत में धारा 498ए जैसे कानून की आवश्यकता पड़ती है। धारा 498 ए महिलाओं को शक्ति प्रदान करता है, और दहेज की मांग के लिए पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की बदसलूकी और दर्दनाक स्थितियों में लड़ने में मदद करता है। इस तरह के कानून की आवश्यकता के मुख्य कारणों में से कुछ नीचे दिए गए हैं:

10 में से, शादी के बाद क्रूरता के कम से कम 9 मामले दहेज से संबंधित हैं। यह कानून महिलाओं को अनियंत्रित और अवैध दहेज की मांगों और किसी भी क्रूरता से संबंधित सुरक्षा से बचाता है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए और दहेज की सामाजिक बुराई से पति और रिश्तेदारों को दंडित करने के लिए, धारा 498 ए जैसे कानूनों की आवश्यकता है।

विवाह में महिलाओं को न केवल शारीरिक यातना बल्कि ज्यादातर मामलों में मानसिक यातना दी जाती है। महिलाओं को ऐसी मानसिक क्रूरता से बचाने के लिए धारा 498 ए की आवश्यकता है। इस तरह के धाराएं एक महिला को न्याय दिलाने और ऐसी यातनाओं से खुद को बचाने में मदद करती हैं।

धारा 498 ए आत्मरक्षा के रूप में कार्य करती है और पकड़े जाने के डर के कारण, परिवारों और रिश्तेदारों को अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए देखा गया है।

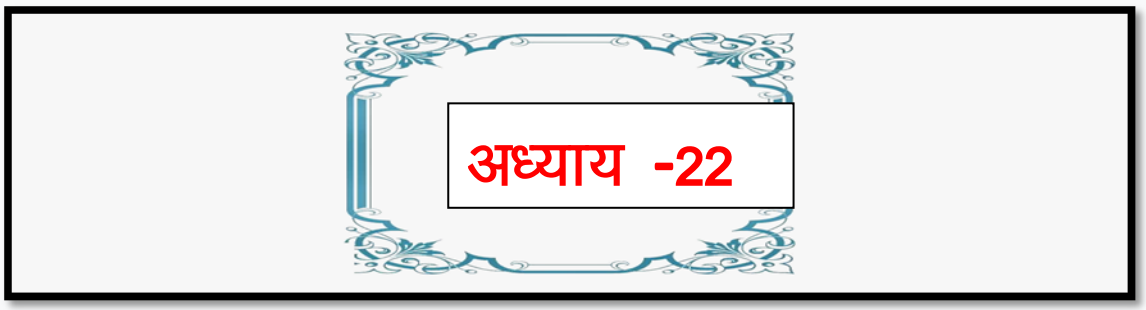

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

Offences of criminal intimidation, insult & annoyance-(chapter xxii) section- 503 to 510

धारा 503– जो भी कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उस व्यक्ति को ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

स्पष्टीकरण– किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

धारा 504– जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है को किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा

आवश्यक तत्त्व

- उकसा कर लोकशांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
- सजा – दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध पीड़ित अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।

धारा 505–(1) जो भी कोई किसी कथन, जनश्रुति या सूचना –

(क) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, (नाविक या वायुसैनिक) विद्रोह करे या अन्यथा वह उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा

(ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, सामान्य जन या जनता के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाया जाए,

को रचेगा, प्रकाशित या परिचालित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन – जो भी कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या सूचना, इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म–स्थान, निवास–स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, को रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा (2) के अधीन अपराध – जो भी कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान पर या किसी जनसमूह में, जो धार्मिक पूजा या कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अपवाद––ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या सूचना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने, प्रकाशित करने या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए यथोचित आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या सूचना सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता, प्रकाशित करता या परिचालित करता है।

आवश्यक तत्त्व

1. सैन्य–विद्रोह या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति, आदि परिचालित करना।

- सजा – तीन वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
- यह अपराध गैर–जमानती, संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

- विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति, आदि, परिचालित करना।
- सजा – तीन वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
- यह अपराध गैर–जमानती, संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।

3. शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में असत्य कथन, जनश्रुति, आदि, परिचालित करना।

- सजा – पाँच वर्ष कारावास, और आर्थिक दण्ड।
- यह अपराध गैर–जमानती, संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 506– जो कोई भी आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट, आदि के लिए है – और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने, या आग से किसी संपत्ति का नाश कारित करने के लिए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या किसी महिला पर अपवित्रता का लांछन लगाने के लिए हो, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

धारा 507– जो भी कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास–स्थान छिपाने का पूर्वोपाय करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, तो उसे इस अपराध के लिए पूर्ववर्ती धारा 506 में उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा ।

आवश्यक तत्त्व

- अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास।
- सजा – धारा 506 में उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त दो वर्ष कारावास।
- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 508– जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके, कि यदि वह उस बात को न करेगा, जिसे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोप कराना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, अपराधी के किसी कार्य से दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा,

या बना दिया जाएगा, स्वेच्छया उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोप करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

दृष्टांत

(क) क, यह विश्वास कराने के आशय से य के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह य को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) क, य को धमकी देता है कि यदि य अमुक कार्य नहीं करेगा, तो क अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणामस्वरूप यह विश्वास किया जाए, कि य दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 509– जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आवश्यक तत्त्व

- किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या अंगविक्षेप करना।
- सजा – तीन वर्ष साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित महिला (जिसकी लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण हुआ है) द्वारा समझौता करने योग्य है।

धारा 510– जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे चौबीस घंटे तक की अवधि के लिए सादा कारावास, या दस रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

लागू अपराध

- नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए लोक स्थान में प्रवेश करना।
- सजा – चौबीस घंटे सादा कारावास या दस रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।

- यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

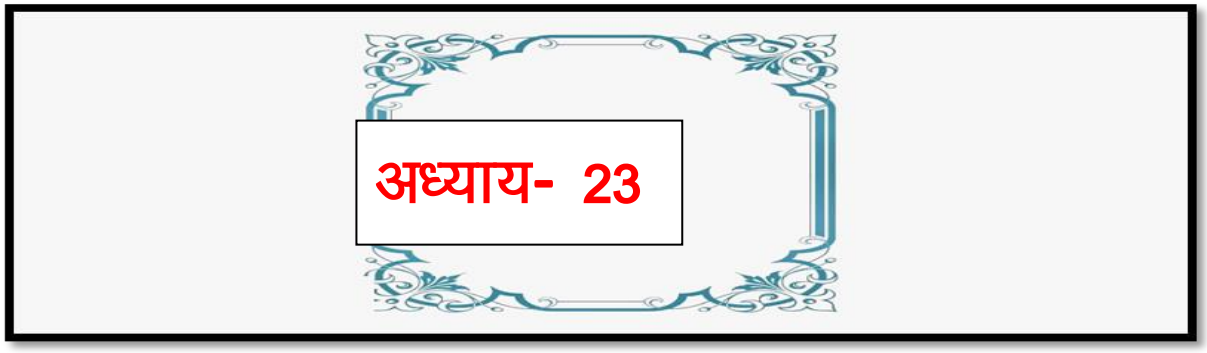

अपराधों को करने के प्रयत्नोंके विषय में धारा– 511

Attempts to commit offences (chapter xxiii) Section- 511

धारा 511– जो भी कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई स्पष्ट रूप से कथित प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे आजीवन कारावास से आधी अवधि तक या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि से आधी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या उस अपराध के लिए उपबन्धित आर्थिक दंड से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

आर० बनाम रिंग के मामले में अभियुक्त को एक महिला के झोले में सामान चोरी करने के प्रयत्न हेतु दोषसिद्ध किया गया, यद्यपि उस झोले में कुछ नहीं था।

MODULE-D = 14

आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013

Criminal law amendment act 2013

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक–2013 पर 3 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ ही देश में महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने का कानून देश भर में लागू हो गया। महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के लिए कड़ी सजाओं के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 को 19 मार्च, 2013 को लोकसभा और 21 मार्च, 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ऐसे किसी कानून की मांग दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में मेडिकल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के पश्चात् व्यापक तौर पर की गई थी। सरकार ने दिसंबर, 2012 में ही ऐसे कानून में किए जाने वाले प्रावधानों की संस्तुति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था जिसकी संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत् एक अध्यादेश जारी किया और उसी अध्यादेश को कुछ संशोधनों के साथ कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। आलोच्य कानून के द्वारा लैंगिक अपराधों से जुड़े भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता कानूनों में संशोधन किया गया।

Criminal law amendment act 2018

अध्यादेश महिलाओं के बलात्कार की सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए आईपीसी, 1860 में संशोधन करता है।

12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है।

16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

अध्यादेश लड़कियों के बलात्कार की सजा को बढ़ाने के लिए आईपीसी, 1860 में संशोधन करता है। पर नाबालिग लड़कों के बलात्कार की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार नाबालिग लड़कों के साथ बलात्कार पर कम अवधि की सजा का प्रावधान है, जबकि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की सजा ज्यादा लंबी हो जाती है। दोनों स्थितियों में सजा की अवधियों (क्वांटम ऑफ पनिशमेट) के बीच काफी अंतर आ जाता है।

अध्यादेश 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करता है। बलात्कार के लिए मृत्यु दंड देने पर भिन्न–भिन्न विचार हैं। कुछ लोगों का मत है कि मृत्यु दंड देने से व्यक्ति अपराध करने से हतोत्साहित होता है और अपराध रुकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मृत्यु दंड बलात्कार के अनुपात में ज्यादा बड़ा दंड है।

भाग क : मुख्य विशेषताएं

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत महिलाओं और नाबालिग बच्चों से बलात्कार अपराध है। 2016 में बलात्कार के कुल 39,068 मामलों में 21 प्रतिशत मामले 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से संबंधित थे, पिछले वर्ष कई राज्यों ने ऐसे बिल पेश और पारित किए थे जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। 21 अप्रैल, 2018 को सरकार ने क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया।

प्रमुख विशेषताएं

अध्यादेश आईपीसी, 1860, पॉक्सो एक्ट, 2012 और महिलाओं से बलात्कार से संबंधित दूसरे कानूनों में संशोधन करता है। पॉक्सो एक्ट, 2012 कहता है कि नाबालिगों के बलात्कार के मामलों में वह दंड लागू होगा, जोकि पॉक्सो, 2012 और आईपीसी, 1860 के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड में से अधिक होगा।

तालिका 1: आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में मुख्य संशोधन

महिला की उम्र		IPC	Criminal law Amendment Act 2018
12 वर्ष से कम	बलात्कार	न्यूनतमः 10 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास	न्यूनतम : 20 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्यु दंड
	सामूहिक बलात्कार	न्यूनतम : 20 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास	न्यूनतमः आजीवन कारावास अधिकतमः आजीवन कारावास या मृत्यु दंड
12 – 16 वर्ष	बलात्कार	न्यूनतम : 10 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास	न्यूनतम : 20 वर्ष अधिकतमः कोई परिवर्तन नहीं
	सामूहिक बलात्कार	न्यूनतम : 20 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास	न्यूनतम : आजीवन कारावास अधिकतमः कोई परिवर्तन नहीं

16 वर्ष से अधिक	बलात्कार	न्यूनतम : 7 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास	न्यूनतम : 10 वर्ष अधिकतमः कोई परिवर्तन नहीं

आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 के अंतर्गत बच्चों के बलात्कार के मामलों में जांच तीन महीनों में पूरी होनी चाहिए चाहिए। अध्यादेश बलात्कार के सभी मामलों में इस अवधि को दो महीने करता है।

अध्यादेश 16 वर्ष के कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। इसके अतिरिक्त बलात्कार के मामलों में दंड के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई छह महीने में पूरी होनी चाहिए।

भाग खः प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

बलात्कार की परिभाषा और सजा में लिंग आधारित भेदभाव

बलात्कार की परिभाषा जेंडर न्यूट्रल नहीं है

पॉक्सो एक्ट, 2012 का कहना कि नाबालिगों के बलात्कार के मामलों में पीड़ित लड़का या लड़की हो सकता है (और अपराधी भी किसी भी लिंग का हो सकता है)। आईपीसी, 1860 में बलात्कार तभी अपराध के रूप में परिभाषित है, जब अपराधी पुरुष हो और पीड़ित महिला। लॉ कमीशन (2000) की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा कमिटी (2013) ने सुझाव दिया था कि बलात्कार की परिभाषा जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए और पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर लागू होनी चाहिए।

पॉक्सो एक्ट कहता है कि नाबालिगों के बलात्कार के मामलों में वह सजा लागू होगी, जो पॉक्सो या आईपीसी, दोनों में निर्दिष्ट सजा में से अधिक होगी। इस एक्ट में बलात्कार के लिए एक बराबर सजा है, भले ही पीड़ित लड़का हो या लड़की। हालांकि आईपीसी के प्रावधान, जोकि महिला पीड़ितों के बलात्कार पर ही लागू होते हैं, में अधिक सजा निर्दिष्ट है। अध्यादेश इस अंतर को और बढ़ाता है।

बलात्कार पर मृत्यु दंड की सजा पर भिन्न–भिन्न विचार

अध्यादेश 12 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार पर मृत्यु दंड देने के लिए आईपीसी, 1860 में संशोधन करता है। हालांकि मृत्यु दंड को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं, हम यहां बलात्कार के अपराध में मृत्यु दंड प्रस्तावित करने पर चर्चा कर रहे हैं।

बलात्कार के मामलों में सजा पर विचार करते समय जस्टिस वर्मा कमिटी (2013) ने इस बात पर भी विचार किया था कि क्या मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। कमेठी ने कहा था कि हालांकि बलात्कार एक हिंसक अपराध था, दंड उसके अनुपात मे होना चाहिए, चूंकि सर्वाइवर को रीहैबलिटेट (पुर्नवास) करना संभव है। कमिटी ने बलात्कार के लिए सजा को आजीवन कारावास तक करने का समर्थन किया था लेकिन मृत्यु दंड का नहीं। लॉ कमीशन (2015) ने कहा था कि

नाबालिग लड़कों और लड़कियों के बलात्कार और मृत्यु से संबंधित मामलों में अदालतों ने अलग–अलग फैसले किए हैं। किन्हीं मामलों में मृत्यु दंड दिया है, किन्हीं मामलों में मृत्यु दंड नहीं दिया है। मार्च 2013 में संसद ने क्रिमिनल लॉ (संशोधन) एक्ट, 2013 पारित किया ताकि बलात्कार के उन मामलों में मृत्यु दंड देने के लिए आईपीसी, 1860 में संशोधन किया जा सके, जहां बलात्कार के साथ की गई क्रूरता से पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वह लगातार वेजिटेटिव स्टेट (निष्क्रिय) में चली जाए, या अगर अपराधी कई बार अपराध कर चुका हो।

दूसरी ओर यह कहा गया कि बलात्कार में मृत्यु दंड देने से लोगों को ऐसे अपराध करने से रोका जा सकता है और इस प्रकार अपराधों में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त मृत्यु दंड देने से पीड़ित को रीट्रिब्यूटिव जस्टिस (जैसे को तैसा) मिलेगा। पिछले वर्षों में विभिन्न अदालती फैसलों में मृत्यु दंड की सजा को दुर्लभ से दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) मामलों तक सीमित कर दिया गया और यह निर्धारित करने के लिए मानदंड जारी किया गया कि आरोपी को मृत्यु दंड देना चाहिए अथवा नहीं। इसका यह अर्थ है कि अदालतें केवल असाधारण स्थितियों में बलात्कार के लिए मृत्यु दंड दे सकती हैं जिनमें वे मामले शामिल हैं जब दोषी के सुधार और पुनर्वास की कल्पना नहीं की जा सकती।

Latest Rulings and Land mark Judgments of Supreme court/High courts.

धारा 504 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

1. श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013)

फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) के मामले में, यह माना गया कि जानबूझकर अपमान इस हद तक होना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति को जनता को तोड़ने के लिए उकसाए।

शांति या किसी अन्य अपराध के कमीशन में लिप्त।

केवल गाली देने से अपराध के तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं।

2. रमेश कुमार बनाम श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव (1996)

रमेश कुमार बनाम श्रीमती में सुशीला श्रीवास्तव (1996), राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से आरोपी ने शिकायतकर्ता को संबोधित किया वह प्रथम दृष्टया ऐसा था जिसमें यह दर्शाया गया है कि उस व्यक्ति का अपमान किया गया था और उसे उकसाया गया था। '**अपमान**' शब्द का अर्थ है, या तो अपमानजनक व्यवहार करना या व्यक्ति को अपमानित करना। यह अनुमान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उस स्वर से और जिस तरीके से बोला जाता है, उससे निकाला जाना है।

3. अब्राहम बनाम केरल राज्य (1960)

के मामले में, केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि केवल अच्छे शिष्टाचार का उल्लंघन खंड के दायरे में नहीं आता है। अपराध का अनिवार्य घटक अपराधी के इरादे का पता लगाना है।

4. फिलिप रंगेल बनाम सम्राट (1931)

फिलिप रंगेल बनाम सम्राट (1931) में, आरोपी एक बैंक में एक शेयरधारक था और शेयरधारकों के लिए एक बैठक की आवश्यकता थी। बैठक में, यह प्रस्तावित किया गया था कि उसे निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। अभद्र शब्दों का उच्चारण कर आरोपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शब्दों को 'मात्र मौखिक दुरुपयोग' से अधिक कुछ होना चाहिए। यदि जानबूझकर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तों का कोई इरादा नहीं था तो उन शब्दों को 'अपमानजनक रूप से' नहीं लिया जाना चाहिए जिनके द्वारा इसे संबोधित किया गया था।

5. राम चंद्र सिंह बनाम नबरंग राय बर्मन (1998)

राम चंद्र सिंह बनाम नबरंग राय बरम (1998) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने अपनी छत पर एक चारदीवारी बनाई थी। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया, तो उसके साथ गंदी भाषा का उपयोग किया गया। न्यायालय ने माना कि क्या इस धारा के तहत केवल दुर्व्यवहार अपराध की राशि होगी, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर है जैसे कि पार्टियों की स्थिति, दुरुपयोग की प्रकृति और कई अन्य कारक। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर पक्षकार झगड़े में करते हैं और इसलिए इस प्रावधान के तहत अपराध की राशि नहीं है।

6. देवी राम बनाम मुलख राज (1962)

यह आवश्यक नहीं है कि इस खंड के आवेदन के लिए शांति का वास्तविक उल्लंघन होना चाहिए। आवश्यक तत्व अपराधी का इरादा शांति भंग करने के लिए उकसाना है या उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके उकसावे से अपराध का अंदेशा है।

7. मोहम्मद इब्राहिम माराकेयार बनाम इस्माइल माराकेयार (1949)

मोहम्मद इब्राहिम माराकेयार बनाम इस्माइल माराकेयार (1949) में, वेल्लोर में रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी और उसके पति के लिए एक अपमानजनक पत्र लिखा था। न्यायालय ने माना कि अपमानित व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक जानबूझकर अपमान जो उत्तेजना को बढ़ावा देगा और बाद में शांति भंग होने पर अपराधी को इस धारा के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

8 मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य (2009) 13 एससीसी 330

फैसला

न्यायालय ने कहा कि धारा 498–ए आईपीसी के उद्देश्य के लिए ''क्रूरता'' धारा 498–ए आईपीसी के संदर्भ में स्थापित किया जाना है क्योंकि यह अन्य वैधानिक प्रावधानों से अलग हो सकता है। यह

पुरुष के आचरण पर विचार करके, उसके कृत्यों की गंभीरता या गंभीरता को तौलकर और यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या यह महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है, आदि। यह स्थापित किया जाना है कि महिला पर किया गया है, लगातार या कम से कम शिकायत दर्ज करने के समय के करीब क्रूरता के अधीन। कोर्ट ने आगे कहा कि छोटे झगड़ों को आईपीसी की धारा 498–ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए ''क्रूरता'' नहीं कहा जा सकता है।

9 बीबी परवाना खातून बनाम बिहार राज्य (2017) 6 एससीसी 792

पिछले मामलों की तरह इस मामले में भी तथ्य यह है कि पत्नी को उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने आग लगाकर मार डाला. मृतक पत्नी की साली और साले ने सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

फैसला

अदालत ने इस तथ्य को नोटिस में लाया कि मामले में अपीलकर्ता दुर्घटना के स्थान पर रहते भी नहीं थे। उचित संदेह से परे उनके आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया और कहा कि अदालत को रिश्तेदारों के झूठे फँसाने से बचना चाहिए।

10 राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 821)

वर्तमान मामले में पति समेत अन्य रिश्तेदारों पर दहेज की मांग के एवज में पत्नी के साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, अन्य रिश्तेदारों ने मांग की कि अधिक प्रभाव को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में धारा 498ए के मामलों में पति के रिश्तेदारों को भी अदालतों में घसीटा जा रहा है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि वे अपराध के पक्षकार रहे हों। इस प्रकार, अपील में धारा 498ए, आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देशों की आवश्यकता के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था।

आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 व 2018

धारा 100 –शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है–

सातवां–तेजाब आदि ज्वलीनशील पदार्थ फैंककर या फैंकने के प्रयत्न से किये जाने कृत्य जिसका परिणाम घोर उपहति होगा।

धारा 166 ए :–जो कोई लोक सेवक होते हुए

(क) जानते हुए, विधि के किसी भी निदेश की अवज्ञा करे, जो उसे, किसी अपराध या किसी अन्य मामले के जांच के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर हाजिरी की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करे।

(ख) किसी व्यक्ति से पूर्वाग्रह रखते हुए विधि के अन्य निदेश जो कि इस बात का नियमन करता है कि इस तरह की जांच में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, को जानते हुए अवज्ञा करे।

(ग) धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व धारा 509 के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराधों की सूचना अभिलिखित करने में विफल होता है।

कठोर कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा, किंतु जो दो वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

166बी :–जो कोई किसी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह सरकारी हो या निजी या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो, धारा 357सी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

1. धारा 228 ए :– कतिपय अपराधी आदि से पीडित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण –जो कोई किसी नाम या अन्य बात को किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके विरुद्ध धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी या 376ई का अपराध किया गया है उसका नाम मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह किसी भांति के दो वर्ष के कारावास से एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।पीडित व्यक्ति की पहचान या उसके संबंध में कोई मुद्रण या प्रकाशन अपराध नहीं होगा जब–

1. किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया हो।

1.पीडित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है।

2.जहां पीडित की मृत्यु हो चुकी है या वह अव्यस्क या विकृत्त चित्त है, वहां पीडित के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है।

धारा 326ए :– एसिड हमला –

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके कोई उपहति कारित करता है वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना इतना होगा जिससे पीडित का इलाज किया जा सके।

- किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 326बी :– एसिड हमले का प्रयास

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके कोई उपहति कारित करने का प्रयास करता है वह न्यूनतम 5 वर्ष के जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, के कारावास से तथा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- इस धारा के प्रयोजन के लिए एसिड के अर्न्तगत कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी प्रकृति जलाने की हो या जो शारीरिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हो जिससे शरीर पर दाग, विद्रूपण या अस्थाई या स्थाई निःशक्तता होती हो, सम्मिलित होगा।
- स्थाई या आंशिक क्षति में शरीर के भाग या भागों को विरुपित या विकलांग करना या जलाना या स्वरुप बिगाडना या निःशक्त करना शामिल है।

धारा 354 :– स्त्री की लज्जा भंग करना

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह वह दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से जो न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 354क :– लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड

(1) निम्नांकित कृत्य लैंगिक उत्पीडन का अपराध गठित करेंगें :–

(i) शारीरिक संपर्क करना और ऐसा मित्रतापूर्वक व्यवहार जताने का प्रयास करना जिसमें कि अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव अंतर्वलित हो

(ii) लैंगिक सहयोग हेतु मांग या निवेदन करना।

(iii) बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाना।

(iv) लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना।

(2) जो कोई पुरुष उपधारा 1 के खण्ड (i) या (ii) या (iii) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे तीन वर्ष तक के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई पुरुष उपधारा 1 के खण्ड (iv) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ख :–

जो कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसे निर्वस्त्र या विवस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ग अन्तःस्थापित की गई है:–

दर्शयरतिकता :– जो कोई पुरुष किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र लेता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- निजी कृत्य में ऐसे कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों में एकांतता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पीडिता के जननांग, नितंब या वक्ष अभिदर्शित होते है या केवल अन्तःवस्त्र से ढके होते है या पीडिता शौचालय का उपयोग कर रही है या पीडिता द्वारा कोई ऐसा लैंगिक कृत्य किया जा रहा है जो कि इस प्रकार का न हो कि आम तौर पर सार्वजनिक रुप से किया जाए।
- यदि पीडिता अपना चित्र या कोई कृत्य को लिये जाने की सहमति देती है परन्तु उसका प्रसार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है और यदि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।

धारा 354घ :–

पीछा करना :– (1) कोई पुरुष पीछा करता है –

(i) जो कोई किसी स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है या पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके लिए उस स्त्री की कोई अभिरुचि नहीं है या

(ii) किसी स्त्री पर इन्टरनेट का उपयोग कर नजर या निगरानी रखता है या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण द्वारा या ईमेल द्वारा या दृष्टव्य साधनों से मानिटरिंग करता है तो ऐसा कृत्य पीछा करने का अपराध कारित करता है।

परन्तु निम्नांकित कृत्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगें –

- यदि पीछा अपराध का निवारण करने के लिए किया जाए।
- किसी विधि के अधीन आवश्यक शर्तों या नियमों के पालन में पीछा किया जाए।
- किसी युक्तियुक्त कारण से विशेष परिस्थितियों में पीछा किया जाए।

(2) जो कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 370:– व्यक्ति का दुर्व्यापार करना :–

(1) जो कोई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का शोषण के प्रयोजन के लिए (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है (ग) संश्रय देता है (घ) अंतरित करता है या (ड) प्राप्त करता है :–

1. धमकी का प्रयोग करते हुए
2. बल का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य प्रपीडन द्वारा
3. अपहरण करके
4. कपट या धोखे का प्रयोग करके
5. शक्ति का दुरुपयोग करके या
6. उत्प्रेरण द्वारा

नियन्त्रण कर सके, ऐसा व्यक्ति दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है।

- शोषण में वैश्यावृत्ति या अन्य किस्म का लैंगिक शोषण, बलपूर्वक मजदूरी या सेवाएं, दासत्व या बलपूर्वक अंगों का निकाला जाना शामिल है।
- ऐसे दुर्व्यापार के अपराध में पीडित की सहमति अतात्विक है।

(2) जो कोई व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम सात वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(3) जो कोई एक व्यक्ति से अधिक के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(4) जो कोई अवयस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(5) जो कोई एक से अधिक अवयस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह न्यूनतम चौदह वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(6) जो कोई एक अवसर से अधिक बार अवयस्क के दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है वह आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(7) जब कोई लोक सेवक जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित है, दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

धारा 370ए :– दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति को नियोजित करना –

(1) जो कोई यह जानते हुए की कोई अवयस्क दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम पांच वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए की कोई व्यक्ति दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

धारा 375 :– बलात्संग –

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई पुरुष अपने लिंगको किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ख) जब कोई पुरुष कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो लिंग नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई पुरुष अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित सात परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता हैः–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति उस स्त्री की या उससे हितबद्व किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।
5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।
6. उस स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वह 18 साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :–इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भगोष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :–सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विशेष कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद–

1. किसी चिकित्सकीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

2. **पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।**

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण माना है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है।

धारा 376 (1)

जो कोई उपधारा (2) में वर्णित उपबन्धों के सिवाय, बलात्संग करेगा वह **सश्रम कारावास** से जिसकी अवधि **दस** वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो **आजीवन कारावास** तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 (2)

जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्संग करेगा –

(i) उस थाने की सीमाओं के अन्तर्गत जिसमें वह नियुक्त है

(ii) किसी भी थाने के परिसर में

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में

(ख) लोक सेवक होते हुए अपनी किसी ऐसी स्त्री से जो उसकी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में है, के साथ बलात्संग करेगा।

(ग) किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जाए, किसी स्त्री से ऐसे स्थान पर बलात्संग करेगा।

(घ) किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए वहां के किसी निवासी से बलात्संग करेगा।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा।

(च) किसी स्त्री का रिश्तेदार, अभिभावक या अध्यापक होते हुए या उसके विश्वास या प्राधिकार में उस स्त्री से बलात्संग करेगा।

(छ) साम्प्रदायिक या जातीय दंगों के दौरान किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ज) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा।

(झ) अधिनियम 2018 द्वारा विलोपित

(ञ) किसी स्त्री से, जो सहमति देने में असक्षम है, बलात्संग करेगा।

(ट) अपने नियन्त्रण या प्रभुत्व के अधीन किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ठ) किसी स्त्री से, जो शारीरीक या मानसिक निःशक्तता से पीडित हो, बलात्संग करेगा।

(ड) किसी स्त्री से बलात्संग करते हुए घोर शारीरिक क्षति पहुंचाये या विकलांग करे या विद्रूपित करे या जीवन को संकट में डालेगा।

(ढ) किसी स्त्री से लगातार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –1 सशस्त्र बल में नौसेना, वायुसेना या थलसेना या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सहायक बल के सदस्य शामिल है।

स्पष्टीकरण –2 अस्पताल से तात्पर्य अस्पताल का अहाता जिसमें संस्था के वे परिसर सम्मिलित है जो लोगों की बीमारी के इलाज या चिकित्सकीय देखभाल या पुर्नवास के लिए स्थापित है।

स्पष्टीकरण –3 पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन दी गई अभिव्यक्ति पुलिस में संन्निहित है।

स्पष्टीकरण –4 स्त्रियों या बालकों की संस्था में कोई अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों या विधवाओं के लिए संचालित कोई संस्था शामिल है।

धारा 376 (3)

जो कोई किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।

इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 क :– जो कोई धारा 376 (1) या 376 (2) के अन्तर्गत बलात्संग करता है तथा ऐसे कृत्य के दौरान वह उस स्त्री को इस तरह की उपहति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वह निरन्तर निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाए तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 376 कख :– जो कोई किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा और जुर्माने या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 ख :– जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी **अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी** से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 ग :– जो कोई

1. पद पर एक हैसियत पर रहते हुए या वैश्वासिंक संबंध में होते हुए या
2. लोक सेवक होते हुए या
3. किसी 'जेल' या 'प्रतिप्रेषण गृह' या 'अभिरक्षा के अन्य स्थान' या 'स्त्रियों या बालकों की संस्था' का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए या
4. किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए

अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाते हुए या किसी स्त्री को प्रेरित करते हुए या पद भ्रष्ट करके वैश्वासिक संबंध या पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर किसी स्त्री से अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है **वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो 10 वर्ष तक की हो** सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा में लैंगिक संभोग से आशय धारा 375 में वर्णित खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में वर्णित सभी कृत्यों से है।

स्पष्टीकरण 2– इस धारा में धारा 375 के स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3– जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था के संबंध में अधीक्षक में वह व्यक्ति सम्मिलित होंगें जो जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था में पदस्थ है और ऐसे व्यक्ति का नियन्त्रण इनमें रहने वाले लोगों पर रहता है।

स्पष्टीकरण 4– अस्पताल या स्त्री या बालकों के संस्थान का वहीं अर्थ होगा जो धारा 376(2) में दिया गया है।

धारा 376 घ– सामूहिक बलात्कार- जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया, जाएगा।

- किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 घक :– जहां किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 घख :– जहां किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 (ङ) - जो कोई व्यक्ति धारा 376 या 376क या 376कख या 376घ या 376 (घक) या 376 (घख)के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है तथा पुनःश्च उक्त धाराओं में वर्णित दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

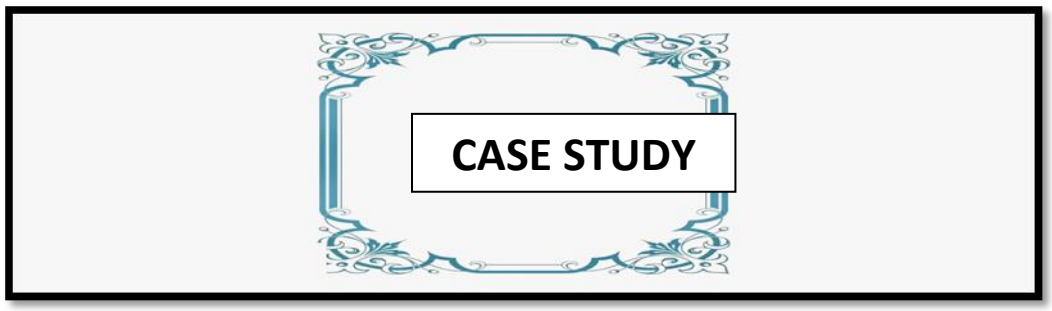

1. रेग बनाम गोविन्द आई. एल. आर. (1876) 1 मुम्बई 342

भूमिका

यह प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 299 एवं धारा 300 से सम्बन्धित है। इसमें मुख्य रूप से आपराधिक मानव वध (Culpable homicide) एवं हत्या (Murder) के बीच अन्तर को स्पष्ट किया गया है।

तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अभियुक्त गोविन्दा एक 18 वर्षीय श्रमिक था तथा सतारा जिले का रहने वाला था। उसका विवाह एक 15 वर्षीया स्त्री बलाई के साथ हुआ था। एक दिन क्रोधित अवस्था में गोविन्दा ने अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया तथा उसकी छाती पर बैठकर उसके मुँह पर दो–तीन घूँसे मारे । बलाई की आँख पर आन्तरिक चोटे लगी तथा उसके सिर से खून बहने लगा । इस घटना के कुछ ही समय बाद पत्नी की मृत्यु हो गई । शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गम्भीर चोंटे आना बताया गया । अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अन्तर्गत हत्या के अपराध के लिए अभियोजित किया गया ।

विचारण सतारा के जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष चला । सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अन्तर्गत हत्या का दोषी पाते हुए उसे मृत्यु दण्ड (**Death sentence**) से दण्डित किया। मामला मृत्यु दण्ड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया । उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील भी की गई ।

उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की गई और दोनों न्यायाधीशों ने अपने भिन्न–भिन्न मत प्रकट किये। एक न्यायाधीश ने इसे हत्या का मामला माना तो दूसरे न्यायाधीश ने आपराधिक मानव वध का। इस पर मामला उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश मेलविल को सौंपा गया।

निर्णय

न्यायाधीश मेलविल द्वारा मामले को गम्भीरता से सुना गया और दोनों पक्षों के तर्कों पर गम्भीरता से विचार किया गया ।

न्यायाधीश मेलविल ने इसे हत्या का मामला नहीं मानकर संहिता की धारा 299 के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध का मामला माना। न्यायाधीश मेलविल ने कहा कि अभियुक्त गोविन्दा का आशय अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करने का नहीं था और न ही चोंटे इस स्वरूप की थीं कि वे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में (**In ordinary course of nature**) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । न्यायाधीश मेलविल ने आपराधिक मानव वध व हत्या के बीच अन्तर को स्पष्ट किया; यथा

धारा 299 **आपराधिक मानव वध** कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध करता है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है	धारा 300 **हत्या** कुछ अपवादों के अध्यधीन आपराधिक मानव वध हत्या होती है, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है
(क) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है; या	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है; या
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे.. मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य है; या	(2) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिसके बारे में अभि युक्त यह जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है; या
	(3) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में (**In ordinary course of nature**) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो; या

(ग) यह ज्ञान रखते हुए कार्य किया गया हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।	(4) इस ज्ञान से कार्य किया गया हो कि वह इतना आसन्न संकटकारी है कि उससे मृत्यु कारित होना अधिसम्भाव्य है।

इस प्रकार आपराधिक मानव वध व हत्या के बीच अन्तर को स्पष्ट करते हुए
न्यायाधीश मेलविल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि

(i) किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने का आशय सदैव हत्या का अपराध गठित करता है; तथा

(ii) कोई कार्य आपराधिक मानव वध है या हत्या, यह उस कार्य की सम्भाव्यता की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु कारित हो जाने की सम्भावना हो तो वह आपराधिक मानव वध है और यदि वह अधिसम्भाव्य परिणाम है तो वह हत्या

इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गोविन्दा का उद्देश्य अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करने का नहीं था और न ही उसके द्वारा कारित की गई चोंटे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

परिणामस्वरूप अभियुक्त के मृत्यु दण्डादेश को अपास्त करते हुए उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध के लिए सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया ।

विधि के सिद्धान्त

इस प्रकरण में विधि के निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये –

(1) जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होता है तो अपराध आपराधिक मानव वध का होता है; हत्या का नहीं ।

के (2) जब कारित चोंटे इस स्वरूप की होती हैं कि वे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में (**In ordinary course of nature**) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है तब अपराध हत्या का होता है; आपराधिक मानव वध का नहीं ।

(3) जब कारित चोंटे इस स्वरूप की होती है कि उनसे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य लगता है तब अपराध आपराधिक मानव वध का होता है जबकि चोंटे मृत्यु कारित करने के लिए अधिसम्भाव्य प्रकृ ति की होती हैं तो अपराध हत्या का होता है; आपराधिक मानव वध का नहीं ।

2. के. एम. नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए. आई. आर. (1962) एस. सी. 605

भूमिका

यह प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 के अपवाद 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' से सम्बन्धित है। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त को 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' (**Grave and sudden provocation**) के अपवाद का लाभ दिया जा

तथ्य

नौसेना में सेकण्ड–इन–कमाण्ड के पद पर कार्यरत था। सन् 1949 में नानावटी का विवाह प्रोट्र्समाउथ में सिलविया नाम की महिला के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद वे विभिन्न स्थानों पर रहे और अन्त में मुम्बई में बस गये। मुम्बई में आहूजा नाम का एक व्यक्ति. था जो ऑटोमोबाइल का व्यवसाय करता था। वह अविवाहित था और श्रीग्राम में अपनी बहिन के साथ रहता था। कालान्तर में वह शीतलवाड़ रोड़ पर 'जीवन ज्योति' नामक भवन में रहने लगा। सन् 1957 में नानावटी परिवार का अग्निक नामक व्यक्ति के माध्यम से आहूजा से परिचय हुआ। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हुआ कि सिलविया और आहूजा के बीच अवैध सम्बन्ध स्थापित हो गये । नानावटी के तीन सन्तानें थी और नानावटी अक्सर बाहर रहता था।

एक दिन नानावटी को सिलविया के व्यवहार से उस पर आशंका हो गई। सिलविया ने 27 अप्रैल, 1959 को नानावटी के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह पतिव्रता नहीं रह सकी है। उसके आहूजा के साथ अवैध सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं जिसके लिए स्वयं आहूजा जिम्मेदार है। यह सुनकर नानावटी एकदम क्रोधित हो गया तथा जहाज पर गया और वहाँ से एक स्वचालित रिवाल्वर लेकर आहूजा के घर पहुँचा। नानावटी आहूजा से कहा कि क्या वह सिलविया से शादी करने तथा उसके बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार है ? इस पर आहूजा ने कहा कि क्या वह हर ऐसी स्त्री से विवाह कोथा जिसके साथ वह सो चुका है। इससे नानावटी और अधिक क्रोधित हो गया तथा सने आहूजा को गोली मार दी जिससे उसका प्राणान्त हो गया । नानावटी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अभियोजित किया गया ।

इस मामले की सुनवाई वृहत् मुम्बई के सेशन न्यायाधीश तथा 9 जूरी सदस्यों (न्याय सभा) द्वारा की गई। बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि – "27 अप्रैल, 1959 को सिलविया द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर ली गई थी। उनके मत में नानावटी दोषी था। इस पर मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने नानावटी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी घोषित करते हुए उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई।

निर्णय

उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि क्या अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' के अपवाद का लाभ प्राप्त करने का हक़दार है ?

न्यायाधीशों के मत में 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' का प्रश्न एक तथ्य का प्रश्न था। जूरी सभी ने बहुमत से अपीलार्थी के कृत्य को 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' का मामला माना। गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन की कसौटी यह है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अभियुक्त के वर्ग का ही सदस्य हो, उन परिस्थितियों में जिनमें अभियुक्त था, रख दिया जाये तो क्या वह अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठेगा ? यदि हाँ, तो इसे संहिता की धारा 300 के एक अपवाद के रूप में माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका निर्धारण करते समय मुख्य घटना के पूर्व की घटनाओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है जिनके कारण अभियुक्त उस सीमा तक पहुँचा।

न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि घटना के पश्चात् और आहूजा को गोली मारने के बीच अभियुक्त – अपीलार्थी को इतना पर्याप्त समय मिल चुका था कि यदि वह चाहता तो अपने मन को स्थिर एवं स्वस्थ कर सकता था। दोनों के बीच गाली–गलौच होना तथा गाली का जवाब गाली से देना स्वाभाविक था और इसका कोई महत्त्व भी नहीं है। अतः इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी 'गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन' के अपवाद का लाभ प्राप्त करने का हक़दार नहीं है । परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया।

3. बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1980 एस. सी. 893

भूमिका

यह प्रकरण संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53 एवं 302 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 से सम्बन्धित है। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि मृत्यु दण्ड (**Death sentence**) किन मामलों में दिया जाना चाहिये अर्थात मृत्यु दण्ड का मानदण्ड क्या होना चाहिये ?

तथ्य

अभियुक्त अपीलार्थी पर हत्या का आरोप था और इस आरोप के लिए अभियोजित किया जाकर उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। दण्ड के सम्बन्ध में सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम, न्यायालय का एक ही मत रहा।

उच्चतम न्यायालय में मृत्यु दण्डादेश की संवैधानिकता को निम्नांकित आधारों पर चुनौती दी गई।

(1) संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार अर्थात् जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। मृत्यु – दण्ड देकर उसे जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53 में विभिन्न प्रकार के दण्डों का तथा धारा 302 में मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान किया गया है। अतः मृत्यु दण्ड दिया जाना आवश्यक नहीं है।

(3) मृत्यु दण्ड की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

बचाव पक्ष की ओर से मृत्यु दण्ड को समाप्त किये जाने पर बल दिया गया। बेचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि

(क) लोकतान्त्रिक देशों में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये। संविधान भी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार (**Right to life**) प्रदान करता है। मृत्यु–दण्ड के माध्यम से उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता में मृत्यु दण्ड का प्रावधान सन् 1860 में किया गया और तब से अब तक यह दण्ड दिया जाता रहा है परन्तु अपराधों मे कोई कमी नही आई हैं।

(ग) में मृत्यु दण्ड की बजाय आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है; ताकि अभियुक्त इस संसार में जीवित तो रह सकें।

अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष के तर्को का खण्डन करते हुए यह कहा गया

(i) संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि– "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।" अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (**procedure established by law**) से ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं ।

हत्या के मामलों में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु दण्ड दिया जाता है। अभियुक्त का विचारण चलता है; उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है तथा दोषसिद्ध होने पर ही मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाता है। अतः इसे विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न नहीं कहा जा सकता ।

(ii) यह कहना गलत है कि मृत्यु दण्ड के बावजूद भी अपराधों में कमी नहीं आई है। मृत्यु दण्ड से अपराधों पर काफी नियन्त्रण हुआ है। लोगों में अपराधों के प्रति भय रहता है । अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि मृत्यु दण्ड केवल कानून की किताबों में सिमट कर रह गया है।

(iii) विधि के शासन **(Rule of law)** में विधि का भय रहना आवश्यक है। भय से अपराधों का निवारण होता है। अतः मृत्यु दण्ड का भय बनाये रखना अपरिहार्य है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि आयोग (**Law Commission**) की रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा यह भी देखा गया कि अमेरिका में मृत्यु दण्ड समाप्त हो जाने से वहाँ हत्या के अपराधों में अभिवृद्धि हुई परिणामस्वरूप मृत्यु दण्ड को पुनः प्रभावी कर दिया गया है। '

निर्णय

उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 : 1 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ संहिता की धारा 302 के असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि मृत्यु–दण्ड अत्यन्त विरले अर्थात् विलक्षण (**Rarest of the rare**) मामलों में ही दिया जाना चाहिये । सामान्यतः हत्या के मामलों में आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाना ही उचित है। यदि मामला अत्यन्त गम्भीर एवं नृशंस प्रकृति का है तो मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है; अन्यथा नहीं । किस मामले में मृत्यु दण्ड दिया जाये और किसमें आजीवन कारावास; यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

विधि के सिद्धान्त

इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये

(1) हत्या के अपराध में मृत्यु दण्ड दिया जाना संवैधानिक है।

(2) मृत्यु दण्ड अत्यन्त विरले अर्थात विलक्षण (**Rarest of the rare**) प्रकृति के मामलों में ही दिया जाना चाहिये ।

(3) हत्या के मामलों में दण्ड दिये जाने के समय अभियुक्त की आयु, स्वभाव, चरित्र एवं भावी सम्भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

4. राजेश शर्मा बनाम यू.पी. CRIMINAL APPEAL NO. 1265 OF 2017

27 जुलाई, 2017 को राजेश शर्मा व अन्य के मामले में। (2017 की आपराधिक अपील संख्या 1265), विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या धारा 498ए, आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई निर्देश मांगे गए हैं जैसा कि कुछ अध्ययनों और निर्णयों में स्वीकार किया गया है।

मुद्दे की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए और 30 अगस्त, 2012 की विधि आयोग की 243वीं रिपोर्ट, याचिकाओं पर राज्य सभा समिति की 140वीं रिपोर्ट (सितंबर, 2011) और पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह था "जिस उद्देश्य के लिए प्रावधान को क़ानून में लाया गया था, उसके प्रति सचेत", साथ ही, "निर्दोषों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा अकारण गिरफ्तारी या असंवेदनशील जांच के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों को संबोधित किया गया है। फिर भी, समस्या काफी हद तक जारी है।"

तदनुसार, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गएः –

- (ए) प्रत्येक जिले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा एक या अधिक परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें अधिमानतः तीन सदस्य होंगे। ऐसी समितियों के गठन और कामकाज की समय–समय पर समीक्षा की जा सकती है और साल में कम से कम एक बार जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश जो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, द्वारा समीक्षा की जा सकती है।

- (बी) समितियों का गठन अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/कार्यकारी अधिकारियों की पत्नियों/अन्य नागरिकों से किया जा सकता है जो उपयुक्त और इच्छुक पाए जा सकते हैं।
- (सी) समिति के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा।
- (डी) पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त धारा 498 ए के तहत प्रत्येक शिकायत को ऐसी समिति द्वारा संदर्भित और देखा जाना चाहिए। ऐसी समिति पार्टियों के साथ व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित संचार के किसी अन्य माध्यम से बातचीत कर सकती है।
- (म) ऐसी समिति की रिपोर्ट शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर उस प्राधिकरण को दी जानी चाहिए जिसके द्वारा शिकायत की गई है।
- (च) समिति तथ्यात्मक पहलुओं और मामले में अपनी राय के बारे में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट दे सकती है।
- (छ) समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, सामान्य रूप से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। (ज) रिपोर्ट पर जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।
- (प) समिति के सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आवश्यक न्यूनतम न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- (जे) समिति के सदस्यों को ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जिसे व्यवहार्य माना जा सकता है।

➢ (ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहां भी आवश्यक और उचित समझे, लागत निधि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

ii धारा 498ए और अन्य संबंधित अपराधों के तहत शिकायतों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस तरह के पदनाम आज से एक महीने के भीतर किए जा सकते हैं। ऐसे नामित अधिकारी को ऐसी अवधि (एक सप्ताह से कम नहीं) के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है जो उचित समझी जा सकती है। प्रशिक्षण आज से चार महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है;

iii) जिन मामलों में समझौता हो जाता है, जिला और सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा जिले में नामित किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के पास आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटान करने के लिए खुला होगा यदि विवाद मुख्य रूप से वैवाहिक कलह से संबंधित है ;

iv) यदि लोक अभियोजक/शिकायतकर्ता को कम से कम एक स्पष्ट दिन के नोटिस के साथ जमानत आवेदन दायर किया जाता है, तो उसी दिन जहां तक संभव हो उस पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि पत्नी/नाबालिग बच्चों के भरण–पोषण या अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, तो विवादित दहेज की वस्तुओं की वसूली अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत के मामलों, व्यक्तिगत भूमिकाओं, आरोपों की प्रथम दृष्टया सच्चाई, आगे गिरफ्तारी/हिरासत की आवश्यकता और न्याय के हित से निपटने में सावधानी से तौला जाना चाहिए;

v) आमतौर पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना नियमित नहीं होना चाहिए;

vi) जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित एक नामित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए वैवाहिक विवादों से उत्पन्न पक्षों के बीच सभी जुड़े मामलों को जोड़ने के लिए खुला होगा ताकि न्यायालय द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण लिया जा सके जिसके पास ऐसे सभी मामले हैं सौंपा गया; और अपप) परिवार के सभी सदस्यों और विशेष रूप से बाहरी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है और ट्रायल कोर्ट को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देनी चाहिए या परीक्षण की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति की अनुमति देनी चाहिए।

viii) ये निर्देश उन अपराधों पर लागू नहीं होंगे जिनमें वास्तविक शारीरिक चोट या मृत्यु शामिल है। यह भी कहा गया कि "उपरोक्त व्यवस्था के छह महीने के लिए काम करने के बाद, लेकिन 31 मार्च, 2018 तक नवीनतम, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण उपरोक्त निर्देशों में किसी भी बदलाव की आवश्यकता के बारे में या किसी और निर्देश के लिए एक रिपोर्ट दे सकता है। मामला अप्रैल, 2018 में न्यायालय द्वारा विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

5. शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य 2017

मुद्दे का विवरणः

वर्ष 2016 में, शायरा बानो को रिजवान अहमद ने शादी के 15 साल बाद तात्कालिक ट्रिपल तालक विधि या तलाक–ए बिदत के माध्यम से तलाक दे दिया था। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक–ए–बिद्दत, बहुविवाह, निकाह–हलाला को असंवैधानिक ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी बानो ने यह भी दावा किया कि इस तरह की प्रथाओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन किया है।

निर्णयः

भारत संघ और बेबाक कलेक्टिव और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) जैसे महिला अधिकार संगठनों ने शायरा बानो की याचिका का समर्थन किया। वे सहमत थे कि इस तरह की प्रथाओं को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। याचिका स्वीकार होने के बाद शीर्ष अदालत ने 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक किसी भी रूप में अवैध है। इसने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। 22 अगस्त 2017 को, शीर्ष अदालत ने तीन तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और पति को तीन साल तक की जेल की घोषणा की।

6. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018

मुद्दे का विवरणः

नवतेज जौहर और एलजीबीटी समुदाय के पांच अन्य लोगों ने जून 2016 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। 6 सितंबर, 2018 को, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सर्वसम्मति से पांच लोगों ने खारिज कर दिया। –जज बेंच।

निर्णयः

अदालत ने एलजीबीटी समुदाय के व्यक्तियों के बीच सहमति से संबंधों की अनुमति दी जिसने इसे सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों में से एक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एलजीबीटी व्यक्तियों का समान लिंग के व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का विकल्प उनकी पसंद है। वे अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के समान रूप से हकदार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से समान लिंग में संबंधों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालाँकि, कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधानों को बरकरार रखा, जो जानवरों पर किए गए गैर–सहमति वाले कृत्यों को अपराध मानते हैं

7. तुकाराम और एएनआर बनाम प्रतिवादीः महाराष्ट्र राज्य 1978

मामले के तथ्यः

अपीलकर्ता नंबर 1 पुलिस का हेड कांस्टेबल था, देसाईगंज पुलिस स्टेशन से जुड़ा था और अपीलकर्ता नंबर 2 भी था, जो एक पुलिस कांस्टेबल था। मथुरा (पीडब्लू 1) वह लड़की थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसके माता–पिता की मृत्यु हो गई जब वह एक बच्ची थी और वह अपने भाई, गामा (पीडब्लू 3) के साथ रह रही थी, दोनों ने जीविकोपार्जन के लिए मजदूर के रूप में काम किया। मथुरा काम के लिए नुशी (पीडब्ल्यू 2) के घर जाता था और उस घर के दौरे के दौरान, अशोक के संपर्क में आया, जो नुशी की बहन का बेटा था और बाद में रहता था। संपर्क एक अंतरंगता में विकसित हुआ जिससे अशोक और मथुरा ने पति–पत्नी बनने का फैसला किया।

26 मार्च 1972 को गामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना देसाईगंज में पी–8 ने आरोप लगाया कि मथुरा का अपहरण नुशी, उसके पति लक्ष्मण और उक्त अशोक ने किया है। रिपोर्ट हेड कांस्टेबल बाबूराव (पीडब्ल्यू 8) द्वारा दर्ज की गई थी, जिसके कहने पर तीनों लोगों ने शिकायत की थी और साथ ही मथुरा को रात लगभग 9 बजे पुलिस स्टेशन लाया गया था। बाद में दोनों प्रेमियों के बयान दर्ज किए गए। तब तक रात के करीब 10.30 बज चुके थे। और बाबूराव कुछ दस्तावेज लाने और भोजन करने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल गए। उस समय दोनों आरोपित थाने में मौजूद थे।

बाबूराव के मथुरा चले जाने के बाद नुशी, गामा और अशोक थाने से निकलने लगे। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने मथुरा को पुलिस स्टेशन में इंतजार करने के लिए कहा और उसके साथियों को बाहर जाने के लिए कहा। तत्पश्चात गणपत (अपीलकर्ता) मथुरा को मुख्य भवन के पीछे स्थित एक शौचालय में ले गया, उसके अंडरवियर को ढीला कर दिया, एक मशाल जलाई और उसके गुप्तांगों को देखा। फिर वह उसे एक छपरी में ले गया, जो मुख्य भवन की सेवा करती थी। छपरी में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके विरोध और कड़े प्रतिरोध के बावजूद उसके साथ बलात्कार किया। वह अपनी वासना को संतुष्ट करके चला गया और फिर तुकाराम (अपीलकर्ता), जो पास में एक खाट पर बैठा था, उस स्थान पर आया जहाँ मथुरा था और उसके गुप्तांगों को ज़ब्त कर लिया। वह उसके साथ बलात्कार भी करना चाहता था लेकिन अत्यधिक नशे की हालत में होने के कारण ऐसा नहीं कर सका।

नुशी, गामा और अशोक, जो थाने के बाहर मथुरा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें शक हुआ जब उन्होंने थाने की लाइट बंद कर दी और उसका प्रवेश द्वार भीतर से बंद पाया। मामला क्या है यह

जानने के लिए वे थाने के पीछे गए। अंदर कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी और जब नुशी ने मथुरा के लिए चिल्लाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शोर ने भीड़ को आकर्षित किया और कुछ समय बाद मथुरा थाने के पीछे से निकला और नुशी और गामा को सूचित किया कि गणपत ने उसे खुद को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बलात्कार किया।

नुशी मथुरा को डॉ खुने (पीडब्ल्यू 9) के पास ले गई और पूर्व ने उसे बताया कि लड़की के साथ एक पुलिस कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल ने देसाईगंज थाने में बलात्कार किया। डॉक्टर ने उन्हें थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा।

कुछ लोग हेड कांस्टेबल बाबूराव को उनके घर से ले आए। उन्होंने पाया कि भीड़ अशांत हो गई थी और अपीलकर्ता गणपत को पीटने और थाने को जलाने की धमकी दे रही थी। हालाँकि, बाबूराव भीड़ को तितर–बितर करने के लिए राजी करने में सफल रहे और उसके बाद मथुरा के बयान (उदा। 5) को हटा दिया।

रात 8 बजे डॉ. कमल शास्त्री ने मथुरा की जांच की। 27 मार्च 1972 को। लड़की के शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी। उसके हाइमन में पुराने फटने का पता चला। योनि ने दो अंगुलियों को आसानी से स्वीकार कर लिया। जघन बालों की कोई चटाई नहीं थी। डॉक्टर ने बच्ची की उम्र 14 से 16 साल के बीच आंकी थी। डॉक्टर ने एक सीलबंद पैकेट में प्यूबिक हेयर और दो योनि–स्मीयर स्लाइड का एक नमूना रासायनिक परीक्षक को भेजा था, जिसमें वीर्य का कोई निशान नहीं मिला था। हालांकि, लड़की के कपड़े और पायजामा पर वीर्य की उपस्थिति का पता चला था जिसे गणपत ने उतार दिया था।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बंबई (नागपुर बेंच) में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 1976 के खिलाफ दायर की गई थी।

परीक्षण और उच्च न्यायालय में कार्यवाहीः

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई संतोषजनक सबूत नहीं था कि घटना की तारीख को मथुरा की उम्र 16 साल से कम थी। उन्होंने आगे कहा कि वह "एक चौंकाने वाली झूठी" थीं, जिनकी गवाही "झूठ और असंभवताओं से भरी हुई है"। लेकिन उन्होंने देखा कि "सबसे दूर तक उस पर विश्वास किया जा सकता है और पुष्टि करने वाली परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष होगा कि पुलिस स्टेशन में, उसने संभोग किया था और सभी संभावना में, यह आरोपी नंबर 2 के साथ था।" हालांकि उन्होंने कहा कि "संभोग" और "बलात्कार" के बीच अंतर की दुनिया थी, और यह कि बलात्कार साबित नहीं हुआ था।

उन्होंने आगे कहाः "नुशी को क्रोधित पाकर और यह जानकर कि नुशी को कुछ गड़बड़ होने का संदेह होगा, मथुरा यह अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने अपनी मर्जी से अपना शरीर एक पुलिस कांस्टेबल को सौंप दिया था। यही कारण है कि यह एक संभावना है कि उसने पुलिस स्टेशन में कैद होने और आरोपी नंबर 2 द्वारा बलात्कार की कहानी का आविष्कार किया

होगा। मथुरा को संभोग की आदत है, जैसा कि डॉ। शास्त्रीकर और आरोपी नंबर 2 की गवाही से स्पष्ट है। 2 और फिर निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न निष्कर्षों पर ध्यान दिया और फिर स्वयं इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़े कि यदि निचली अदालत द्वारा लिया गया विचार उचित रूप से संभव था तो बरी को उलट देना उचित नहीं होगा। भले ही उच्च न्यायालय तथ्यों पर एक अलग दृष्टिकोण रखने के लिए इच्छुक था।

तथ्य यह है कि न तो जघन बालों पर और न ही योनि–स्मीयरों पर वीर्य पाया गया था, इस कारण से कोई परिणाम नहीं माना गया था कि घटना के लगभग 20 घंटे बाद महिला चिकित्सक द्वारा लड़की की जांच की गई थी, और संभावना है कि इस दौरान उसने नहा लिया था। उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि यद्यपि विद्वान सत्र न्यायाधीश यह कहने में सही थे कि संभोग और बलात्कार के बीच अंतर की दुनिया थी, उन्होंने सहमति और "निष्क्रिय समर्पण" के बीच के अंतर की सराहना करने में गलती की। निष्कर्ष पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

"रिकॉर्ड पर मौखिक साक्ष्य से जो परिस्थितियां सामने आती हैं, उसके अलावा, हमें यह देखना होगा कि भौतिक समय में मथुरा किस स्थिति में था। दोनों आरोपी उसके लिए अजनबी थे। इसलिए, वास्तव में, यह अत्यधिक असंभव है कि मथुरा उसकी ओर से कोई प्रस्ताव देगा या आरोपी को अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए आमंत्रित करेगा। वास्तव में यह भी संभव नहीं है कि कोई लड़की जो अपने भाई द्वारा दायर की गई शिकायत में शामिल थी, इस तरह के प्रस्ताव या अग्रिम करेगी। इसलिए, पहल आरोपी की ओर से आई होगी और यदि इस तरह की पहल आरोपी की ओर से आती है, तो वास्तव में वह उस स्थिति के कारण इसका विरोध नहीं कर सकती थी जिसमें उसने खुद को विशेष रूप से अपने भाई द्वारा दायर की गई शिकायत के कारण पाया था। जिसके खिलाफ थाने में पूछताछ चल रही थी।

तुकाराम के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यह नहीं माना कि उसने लड़की के साथ बलात्कार करने का कोई प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता की बात को मान लिया, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने गणपत द्वारा संभोग के बाद उसके निजी अंगों को प्यार किया था। इन परिसरों में ही उच्च न्यायालय ने दो अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवलोकनः

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "निष्कर्ष पर पहुंचने में कि लड़की की सहमति 'निष्क्रिय सबमिशन' का मामला था, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस परिस्थिति पर भरोसा किया कि प्रासंगिक समय पर लड़की पुलिस स्टेशन में थी जहां वह असहाय महसूस करेगी। दो अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में, जो अधिकार में थे और जिनके अग्रिमों को वह शायद ही खुद से दूर कर सकती थी और यह अनुमान लगाया कि संभोग के कृत्य के लिए उसके अधीनता को भय का परिणाम माना जाना

चाहिए। यह तर्क दो त्रुटियों से ग्रस्त है। सबसे पहले, यह उस तथ्य की दृष्टि खो देता है जिसे लड़की ने जिरह में स्वीकार किया था और जिसे इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में वर्णित किया गया है।

उसने जोर देकर कहा कि घटना से पहले बाबूराव द्वारा अपना बयान दर्ज करने के बाद, उसने और गामा ने पुलिस स्टेशन छोड़ना शुरू कर दिया था और सामने के दरवाजे से गुजर रहे थे। जब वह वहां से गुजर रही थी तो गणपत ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वह रिपोर्ट देते समय हेड कांस्टेबल बाबूराव से आरोपी नंबर 2 का नाम गणपत के रूप में जानती थी। उसने कहा कि गणपत द्वारा उसका हाथ पकड़े जाने के तुरंत बाद वह चिल्लाई। हालाँकि, जब उसे शौचालय में ले जाया जा रहा था, तो उसे रोने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोका गया। उसने कहा कि उसने तब भी अलार्म बजाया था जब उसके अंडरवियर को शौचालय में ढीला कर दिया गया था और तब भी जब गणपत टार्च की सहायता से उसके गुप्तांगों को देख रहा था।

अपने साथियों से अपील करने में उसकी विफलता, जो उसके भाई, उसकी चाची और उसके प्रेमी के अलावा और कोई नहीं थे, और गणपत अपीलकर्ता का नम्रता से पालन करने और उसे अपनी वासना को पूरी तरह से संतुष्ट करने की सीमा तक उसके साथ रहने की अनुमति देने में उसकी विफलता, हमें बनाती है महसूस करें कि विचाराधीन सहमति एक सहमति नहीं थी जिसे 'निष्क्रिय निवेदन' के रूप में खारिज किया जा सकता है।"

दूसरे, यह ध्यान में रखना होगा कि अपराध के प्रत्येक घटक को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए अभियोजन की जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पर होती है और यह कि इस तरह की जिम्मेदारी कभी नहीं बदलती है। इसलिए, यह तय करना आवश्यक था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के सभी तत्व गणपत अपीलकर्ता द्वारा किए गए यौन संबंध के मामले में मौजूद थे।

इसके अलावा, किसी अपराध के घटक को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग करने के लिए, यह ऐसा होना चाहिए जिससे अपराधबोध के अलावा कोई उचित निष्कर्ष न निकले। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस डर के बारे में बात की जाती है वह इस परिस्थिति से बातचीत की जाती है कि लड़की को गणपत ने अपने करीबी लोगों के बीच से उस समय ले लिया था जब वे सभी पुलिस स्टेशन छोड़ रहे थे एक साथ और बाहर निकलने के लिए प्रवेश द्वार को पार कर रहे थे। इसलिए, उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य न केवल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तरीके से अलग तरीके से समझे जाने में सक्षम हैं, बल्कि वास्तव में इसके द्वारा निकाले गए अनुमान से किसी भी अनिश्चित माप का अपमान नहीं करते हैं। "

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया कि तुकाराम अपीलकर्ता के घर लाया गया एकमात्र आरोप यह है कि गणपत के जाने के बाद उसने लड़की के निजी अंगों को प्यार किया। उच्च न्यायालय ने स्वयं इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि लड़की ने प्राथमिकी में तुकाराम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर वह मुकदमे में वापस चली गई थी और जिन

कृत्यों के तहत उसने गणपत को अपने बयान में शामिल किया था। अब अगर लड़की अपनी मर्जी से इन गंभीर आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति बदल सकती है, तो यह आश्वासन कहां है कि तुकाराम के बारे में अब वह जो कहती है, उसके संबंध में उसकी बात सच है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होता है कि तुकाराम घटना के समय थाने में मौजूद थे और घटना के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। यह परिस्थिति, हमारी राय में, प्रेरक नहीं है और एक से अधिक स्पष्टीकरण देने में सक्षम है।"

अंतिम निर्णयः

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रश्न में यौन संबंध बलात्कार के रूप में साबित नहीं होता है और गणपत में कोई अपराध घर नहीं लाया जाता है।" तुकाराम के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि "इसलिए, हम तुकाराम अपीलकर्ता के संबंध में लड़की को उसके शब्द पर लेने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और यह मानते हैं कि उसके खिलाफ आरोप पूरी तरह से अप्रमाणित है।"

निर्णय के बाद की स्थिति :

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को बरी करने के बाद, सार्वजनिक आक्रोश और विरोध हुआ, जिसके कारण अंततः आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 हुआ, जिसमें:

धारा 114 (ए) को साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था जिसमें कहा गया है कि यदि पीड़िता कहती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी (कानून का खंडन योग्य अनुमान)।

आईपीसी में धारा 376 (ए), धारा 376 (बी), धारा 376 (सी), धारा 376 (डी) को भी जोड़ा गया, जिसने हिरासत में बलात्कार को दंडनीय बना दिया (जो कि निर्भया बलात्कार मामले के बाद 2013 में और संशोधित किया गया था)।

हिरासत में बलात्कार को परिभाषित करने के अलावा, एक बार संभोग स्थापित होने के बाद, संशोधन ने आरोप लगाने वाले से सबूत के बोझ को आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया; इसमें **इन–कैमरा ट्रायल**, **पीड़ित की पहचान के खुलासे पर रोक** और सख्त सजा के प्रावधान भी शामिल हैं।

8. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)

मामले के तथ्य

मामला मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में इंटरनेट के निलंबन से संबंधित था, हालांकि, मामले में एक मुद्दा आपराधिक संहिता की धारा 144 को अत्यधिक लागू करने के संबंध में था। प्रक्रिया, 1973, जो एक मजिस्ट्रेट को उन क्षेत्रों में आंदोलन और भाषण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जहां परेशानी हो सकती है।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में, यह माना कि धारा 144 सीआरपीसी को राय की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि धारा 144 सीआरपीसी न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक भी है, और केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाएगा जहां खतरे या खतरे की आशंका है। सीआरपीसी की धारा 144 के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को दबाने के लिए नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–राज्य या सक्षम अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू सभी आदेशों और भविष्य के किसी भी आदेश को प्रकाशित करने और इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावित व्यक्ति इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकें । माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पारित एक आदेश में भौतिक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सके। शक्ति का प्रयोग प्रामाणिक और उचित तरीके से किया जाना चाहिए, और इसे भौतिक तथ्यों पर भरोसा करके पारित किया जाना चाहिए, जो दिमाग के आवेदन का संकेत है जो न्यायिक जांच को सक्षम करेगा।

9. परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)

मामले के तथ्य

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विद्वान न्याय मित्र को सुनने के बाद, श्री दिलीप के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2015) के मामले में दिए गए दिशा–निर्देशों पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि स्थापित करने की आवश्यकता है सीसीटीवी कैमरा फुटेज और समय–समय पर इसकी टिप्पणियों की एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और फैसला सुनाए जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया जो नाइट विजन से लैस होंगे और केंद्रीय ब्यूरो जांच (सीबीआई) कार्यालयों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स में ऑडियो और वीडियो फुटेज से युक्त होंगे। नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कार्यालय और अन्य समान केंद्रीय एजेंसियां उन स्थानों पर जहां लोगों से पूछताछ होती है।

10. शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य (2020)

मामले के तथ्य

इस मामले में, आरोपी, जो अपराध किए जाने के समय किशोर था, ने एक ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 के तहत दंडनीय है। घटना के समय किशोर ऊपर था। 16 साल लेकिन 18 साल से कम, और किशोर न्याय बोर्ड ने माना कि आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है, और इसलिए एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह माना कि एक अपराध जिसके लिए 7 साल से अधिक कारावास की सजा है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा नहीं है, या 7 साल से कम की न्यूनतम सजा प्रदान नहीं की जा सकती है, के रूप में नहीं माना जा सकता है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(33) के दायरे में एक जघन्य अपराध।

11. तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ (2020)

मामले के तथ्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जब विद्वान न्याय मित्र ने अदालत का ध्यान दो परिस्थितियों और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बच्चों की हिरासत और यातना के संबंध में कुछ आरोपों की ओर आकर्षित किया।

माननीय न्यायालय का फैसला

शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा कि एक बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और इसके बजाय उसे एक निगरानी गृह या सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अदालत ने किशोर अपराधियों को जमानत की अनिवार्यता पर भी जोर दिया, जिसके प्रावधान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत निहित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जेजे अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि जब किसी भी बच्चे को कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बच्चे के प्रभार में रखा जाना चाहिए। इस तरह के प्राधिकरण को बच्चे को बिना समय गंवाए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष और बच्चे को पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर पेश करना चाहिए।

माननीय न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड पर भी जमकर निशाना साधा, जो मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे और उनके पास कोई मामला आने पर ही आदेश पारित करेंगे। जेजे बोर्ड उन परिस्थितियों का भी संज्ञान ले सकता है जब बोर्ड को पता चलता है कि किसी बच्चे को पुलिस हिरासत या जेल में रखा गया है। किशोर अपराधियों को जमानत देना या कम से कम उन्हें निगरानी गृह या ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना जेजे बोर्डों का प्राथमिक कर्तव्य है।

12. अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य। (2020)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसने सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी की बेटी केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण–पोषण की हकदार है।

सत्र न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत एक समीक्षा याचिका दायर की। आखिरकार, मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आया, हालाँकि, विद्वान अदालत ने भी निर्णय को बरकरार रखा। सत्र न्यायालय, और बाद में मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।

इस मामले में उठाया गया प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी अपने पिता से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केवल तब तक भरण–पोषण का दावा कर सकती है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती या क्या वह शादी होने तक भरण–पोषण का दावा कर सकती है।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में, यह माना कि एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से तब तक भरण–पोषण का दावा कर सकती है जब तक कि उसकी शादी हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) के तहत नहीं हो जाती, हालांकि, ऐसी बेटी को यह साबित करना होगा कि वह है अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसके बाद ही वह 1956 के अधिनियम के तहत भरण–पोषण की हकदार होगी

13. अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2020)

मामले के तथ्य

इस मामले में, याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार भी है, ने एक धार्मिक बहस की मेजबानी और एंकरिंग की, जिसके कारण उसके खिलाफ कम से कम 7 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। इस मामले में याचिकाकर्ता अंततः भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। अधिकांश दंडात्मक धाराएं भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153बी और धारा 295ए सहित एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं के उल्लंघन से संबंधित हैं।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभद्र भाषा और मुक्त भाषण के बीच के अंतर और अभद्र भाषा के अपराधीकरण की आवश्यकता और अभद्र भाषा को निर्धारित करने के लिए परीक्षणों पर भारी पड़ा। न्यायालय ने माना कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में फर्क करना जरूरी है। जबकि मुक्त भाषण में सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, अभद्र भाषा का अर्थ किसी समूह या समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाना है।

अदालत ने आगे, तर्कसंगतता के संबंध में परीक्षणों पर विचार करते हुए, उन सीमाओं की प्राप्ति को शामिल किया जिसमें तर्कसंगत प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें स्थिति और परिस्थितियों की विशेषताओं को ध्यान में रखना भी शामिल है और यदि किसी विशेष समूह के प्रभावित होने की संभावना है, और साथ ही, समाज को कुछ सहिष्णुता रखने का भी अधिकार है।

14. अनवरसिंह @ किरणसिंह फतेसिंह जाला बनाम गुजरात राज्य (2021)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने गुजरात के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की अपील के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत आरोपों को उलट दिया, लेकिन धारा 363 के तहत अपहरण के आरोप को बरकरार रखा।

इस मामले में अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सहमति से बना मामला नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ बचाव हो सकता है?

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि सहमति से बना मामला नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ बचाव नहीं है। अदालत ने माना कि नाबालिग लड़की के असाधारण जुनून या प्यार को बचाव के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है, या यह अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार का उल्लंघन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह (2014) के मामले पर विचार करते हुए कहा कि अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी। प्रत्येक अदालत को अपराध की प्रकृति और इसे कैसे निष्पादित या किया गया था, को ध्यान में रखते हुए एक उचित सजा देनी चाहिए। सजा सुनाने वाली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सजा के सवाल से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा को लागू करने के लिए आगे बढ़ें।

न्यायालय को उचित सजा के अधिरोपण पर विचार करते समय न केवल अपराध के शिकार के अधिकारों को बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपराध की डिग्री पर

विचार किए बिना पूरी तरह से समय व्यतीत होने के कारण लगाई गई अल्प सजा लंबे समय में और समाज के हित के खिलाफ प्रतिकूल होगी।

अदालत ने आगे कहा कि, एक बार जब अभियोजन पक्ष सबूत स्थापित करता है जो दर्शाता है कि अपहरण का अपराध लड़की की शादी के लिए मजबूर करने या उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाने के इरादे या ज्ञान के साथ किया गया था, आईपीसी की धारा 366 के दंडात्मक उपाय आकर्षित किया जाएगा, हालांकि आरोपी के खिलाफ धारा 376 का कोई अपराध नहीं बनाया जा सका।

15. लक्ष्मीबाई चंदरगी बी बनाम कर्नाटक राज्य (2021)

मामले के तथ्य

उक्त मामले में याचिकाकर्ता के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है. जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता की बेटी की शादी याचिकाकर्ता नं. 2 अपनी मर्जी से, और शादी का प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता द्वारा अपने परिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया गया था। याचिकाकर्ता के विवाह की जानकारी होने के बावजूद इस मामले में जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिकाकर्ता संख्या. 1 ने अपने निवास स्थान पर थाने में बयान दर्ज कराने पर जोर दिया।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में, शीर्ष अदालत ने आईओ और अन्य पुलिस अधिकारियों के आचरण पर कड़ी फटकार लगाई, जो न केवल एक महिला को पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए जोर देने के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि उसके माता–पिता द्वारा दर्ज किए जा सकने वाले झूठे मामले के बारे में उसे धमकी भी दे रहे थे। पुलिस, जिसके परिणामस्वरूप उसके पति की गिरफ्तारी होगी। अदालत ने आगे कहा कि उन मामलों में कबीले, परिवार या समुदाय की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है जहां दो वयस्कों ने स्वेच्छा से विवाह में प्रवेश करने का फैसला किया है।

16. भारत संघ बनाम प्रतीक शुक्ला (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, प्रतिवादी की कंपनी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 द्वारा शासित अपनी तिमाही रिटर्न जमा नहीं की थी और प्रतिवादी की कंपनी ने 896 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड और 1.885 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन खरीदा था। प्रतिवादी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तलाशी के दौरान तलाशी ली गई, जिसमें 9650 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड का खुलासा हुआ और आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। बाद में आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उसे एक स्वच्छ अतीत और एक शिक्षित व्यक्ति होने के आधार पर जमानत दे दी।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विद्वान उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गलती की है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने सबूत का उल्टा बोझ रखा है, जो कि धारा 68 (जे) के अनुसार एनडीपीएस के मामलों में आरोपी पर है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और आरोपी की शैक्षिक पृष्ठभूमि और स्पष्ट अतीत को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को आरोपी को जमानत देने में त्रुटिपूर्ण पाया और आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

17. शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य

मामले के तथ्य

इस मामले में, आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत सत्र अदालत और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पत्नी की मौत के लिए हत्या का दोषी पाया गया था। दोनों अदालतों ने चिकित्सा परीक्षा पर भरोसा किया जो स्वयं से भरा था विसंगतियां मामला अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में, शीर्ष अदालत ने माना कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह निर्धारित करने में गलती की है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को एक उचित संदेह से परे स्थापित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हत्या के मामलों में, आमतौर पर एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं और आत्महत्या के मामलों में, आमतौर पर, एक से अधिक व्यक्ति अधिनियम में शामिल होते हैं, जब तक कि पीड़ित बच्चा या बहुत कमजोर और कमजोर न हो, या किसी नशीले या नशीले पदार्थ द्वारा बेहोश कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बर्धी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) के मामले पर भरोसा करते हुए 5 सिद्धांत दिए जिन्हें किसी आरोपी के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

परिस्थितियाँ निर्णायक और प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। उन्हें साबित होने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में अभियुक्त द्वारा कार्य किया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि आत्महत्या के मामले में, पीड़िता की गर्दन पर फांसी के निशान ऊपर की ओर होते हैं, जिसकी पुष्टि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने की थी, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सत्र

न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट, और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दें।

18. राजस्थान राज्य बनाम लव कुश मीणा (2021)

मामले के तथ्य

मामला मुख्य रूप से इस सवाल से जुड़ा था कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, धारा 323, और धारा 341 के आरोपों के तहत प्रतिवादी को बरी करने के परिणामस्वरूप संदेह का लाभ प्रतिवादी के लिए शामिल होने का अवसर पैदा कर सकता है। राजस्थान पुलिस सेवा में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में।

माननीय न्यायालय का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय, अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए। (2016), ने माना कि केवल एक बरी होने का तथ्य पर्याप्त नहीं होगा, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि सबूत के पूर्ण अभाव के आधार पर बरी किया गया था या संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में, यदि दोषमुक्ति विशुद्ध रूप से संदेह के लाभ के आधार पर आधारित है, और यह प्रतिवादी को नियुक्ति के लिए योग्य नहीं बनाएगा।

19. सुधा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 120बी, धारा 302, धारा 3 और धारा 25 के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मृतक पीड़िता की पत्नी ने अपील की थी. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश सहित कम से कम 15 मामले दर्ज हैं। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि विद्वान उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी करने से पहले उसके पिछले आपराधिक इतिहास और गवाहों की धमकी पर विचार नहीं किया है, जिसने सत्र न्यायालय को गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर किया है।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में शीर्ष अदालत का विचार था कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में अभियुक्तों को गवाहों को दी गई धमकियों पर विचार किए बिना आरोपी को जमानत देने में गलती की है, जिसने सत्र न्यायालय को गवाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर किया है। . शीर्ष अदालत ने नीरू यादव बनाम यूपी राज्य (2015) के मामले पर जोर देते हुए कहा कि अदालतों को जमानत देने से पहले अपराधी के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। इसने आगे प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और एक अन्य (2010) के मामले पर जोर दिया और उच्च न्यायालयों के लिए

निर्णयों की श्रेणी द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानी और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए कुछ कारकों पर प्रकाश डालाः

क्या यह मानने का प्रथम दृष्टया या उचित आधार था कि आरोपी ने अपराध किया है।

- आरोपों की प्रकृति और गंभीरता।
- दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता।
- जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने या भागने का खतरा।
- चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और अभियुक्त की स्थिति।
- अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना।
- गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका।
- जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

शीर्ष अदालत ने उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसने आरोपी को जमानत दे दी थी

20. पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने आरोपी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 3(2)(अ) के तहत दोषी ठहराया था। अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(1)। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 3(2)(अ) की सामग्री स्थापित नहीं की गई थी। अदालत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किम्बर्ली क्रेंशॉ द्वारा प्रतिच्छेदन के सिद्धांत पर विचार किया।

माननीय न्यायालय का फैसला

अदालत ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के मामले पर जोर देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) पर परस्पर लेंस लागू किया जो भेदभाव के खिलाफ क़ानून की गारंटी प्रदान करता है। अदालत ने माना कि अंतर्विरोध का मतलब उस उत्पीड़न से है जो विभिन्न दमनों के संयोजन से उत्पन्न होता है जो संयुक्त रूप से अकेले खड़े होने वाले भेदभाव के अन्य रूपों से कुछ अनोखा पैदा करते हैं। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि कुछ समय के लिए कुछ उपाय किए गए हैं लेकिन वे बहुत दूर और बहुत कम हैं और उन्होंने निश्चित रूप से समाज और इसकी संस्थाओं के पुनर्गठन और परिवर्तन का प्रयास नहीं किया है, लेकिन राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी महिला जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। या धर्म।

माननीय न्यायालय ने आगे न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जो 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद गठित की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से

पहचान को भेदने के कारण भेदभाव विशिष्ट समुदायों, लिंग, धर्म आदि के खिलाफ हिंसा को बढ़ाता है। अदालत ने शर्तों पर भी चर्चा की समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं और यह माना गया कि परिवर्तन लाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि कानून उस उद्देश्य को लाभान्वित करें जिसके साथ उन्हें अधिनियमित किया गया था।

अदालत ने अंत में एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) पर चर्चा की। इसने धारा के तहत कोई आवश्यक नहीं मिलने पर उक्त धारा के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा।

21. अचार सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे जहां उन्होंने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

वर्तमान मामले में अपीलार्थी नं. धारा 1 और 2 पर क्रमशः धारा 452, धारा 326, धारा 323 और धारा 302, भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 1860 के तहत मुकदमा चलाया गया और सत्र न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ उठाकर बरी कर दिया गया।

मुरुगेसन और 16 अन्य बनाम राज्य पुलिस (2012) के मामले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब तक ट्रायल कोर्ट का विचार एक संभावित दृष्टिकोण है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत आगे की जांच की जाती है। 1973 की जरूरत नहीं थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 378 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले विद्वान उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित था।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में, यह माना कि आपराधिक न्यायशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित होने तक आरोपी की बेगुनाही का अनुमान है और वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट, सभी का विश्लेषण करने के बाद सबूत, रिकॉर्ड और गवाहों ने आरोपी को बरी कर दिया था। सीआरपीसी की धारा 378 के क्षेत्राधिकार के तहत, यदि दो संभावित विचार हैं, तो ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हालांकि, इस तरह के नियम को अपील के आदेश के खिलाफ अपील की रूपरेखा को प्रतिबिंबित करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। धारा 378 सीआरपीसी के तहत जो यह निर्धारित करने के लिए सीमित है कि ट्रायल कोर्ट का विचार संभव था या नहीं, इसके अलावा,

उच्च न्यायालय पर बरी के आदेश के खिलाफ अपील के दौरान सबूतों की फिर से सराहना करने पर कोई रोक नहीं है।

इस प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में, दोनों अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिनमें से एक एक वृद्ध महिला के सिर पर डंडे से प्रहार करने के लिए जिम्मेदार था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि गवाहों की गवाही को अधिक बताया गया था, सत्य के तत्वों और अवयवों का सुझाव देता है, और ऐसे मामलों में जहां सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपर्याप्त था, लेकिन सबूत का बाकी हिस्सा आरोपी के अपराध को साबित करता है, इस पर दोष सिद्ध हो सकता है और गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (2002) के मामले पर भरोसा किया गया।

22. गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता को नजरबंद कर दिया गया था, और इस मामले में प्राथमिक सवाल यह था कि क्या 34 दिनों की अवधि, जिसे अपीलकर्ता पहले ही नजरबंद कर चुका है, को धारा 167 सीआरपीसी के तहत 90 दिनों की अवधि के तहत गिना जाएगा। .

माननीय न्यायालय का फैसला

वर्तमान मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न में भाग लेते हुए आयोजित किया:

जब मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, तो वर्तमान मामले में प्रतिबंधों को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 437 के बजाय सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका दायर की जा सकती है। धारा 397 सीआरपीसी के तहत आवेदन रिमांड के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन जमानत के लिए होगा। रिमांड के अवैध होने या बिना किसी अधिकार क्षेत्र के लगाए जाने या किसी भी तरीके से संचालित होने के मामले में, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के तहत उपाय की तलाश कर सकता है, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट रखरखाव योग्य नहीं है ।

आमतौर पर, मजिस्ट्रेट की अदालत धारा 167 सीआरपीसी के तहत रिमांड की शक्ति का अभ्यास करती है, और उच्च न्यायालयों द्वारा उक्त धारा के तहत शक्ति का प्रयोग उस अवधि को निर्धारित करने के लिए होगा जिसके भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए, और विफलता के मामले में आरोप पत्र दायर करें, आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार है। रिमांड का आदेश ट्रांजिट रिमांड आदेश होना चाहिए, और धारा 167 सीआरपीसी के तहत पारित किया जाना चाहिए, हालांकि यह अदालत में अपीलकर्ता को प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है, इसमें धारा 167 सीआरपीसी के तहत निरंतर हिरासत की अनुमति भी शामिल है। यदि कानून की अदालत धारा 167 सीआरपीसी के

तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करती है और उसका प्रयोग करती है, तो निरोध उन मामलों में भी योग्य होगा जहां निरोध का आदेश अवैध था।

अदालत ने आगे कहा कि हाउस अरेस्ट बाहर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और घर के निवासियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शामिल करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना चाहिए, और ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए गार्ड को रखना न्यायिक हिरासत होगा, लेकिन नहीं धारा 167 सीआरपीसी के अधिकार क्षेत्र के तहत।

23. शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता के उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसने अपीलकर्ता को धारा 364ए आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में अदालत के सामने प्राथमिक सवाल यह था कि आईपीसी की धारा 364ए के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आईपीसी की धारा 364ए की कौन–सी अनिवार्यताएं तर्कसंगत संदेह से परे साबित की जानी चाहिए।

माननीय न्यायालय का फैसला

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक बातें रखीं जो अभियुक्त के अपराध को घर लाएगीः

किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण और ऐसे व्यक्ति को अपहरण या अपहरण के बाद हिरासत में रखना,

व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने का खतरा है, या अपहरणकर्ता के आचरण से उचित आशंका होती है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या चोट का कारण बन सकता है,

ऐसा अपहरणकर्ता ऐसे व्यक्ति को किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे परहेज करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए चोट या मृत्यु का कारण बनता है। पहली शर्त स्थापित करने के बाद, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए दूसरी या तीसरी शर्त स्थापित करनी होगी।

24. लक्ष्मण सिंह बनाम बिहार राज्य (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश से व्यथित था जिसने आईपीसी की धारा 323 और धारा 147 के तहत अभियुक्तों के दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपितों ने अवैध रूप से सभा की और पीड़ित व्यक्ति के साथ मौजूद मतदाता सूची को छीनने का प्रयास किया और पीड़ित व्यक्ति के मना करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और बाद में एक आरोपी ने

गोली भी चला दी. ं निचली अदालत ने 16 लोगों को धारा 323, धारा 307, धारा 147, धारा 149 और धारा 379 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी पाया।

माननीय न्यायालय का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 323 और धारा 147 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने तब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन के मामले पर जोर दिया। बनाम भारत संघ (2004), जिसने माना कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

अदालत ने आगे कहा कि "मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रणाली का सार होना चाहिए। इसलिए बूथ कैप्चरिंग और/या फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

25. हर्षवर्धन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(अ) के तहत विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। 1989। वर्तमान मामले में अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि वह नवंबर 2020 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आरोपी का शैक्षणिक करियर भी है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि बिल्कुल झूठे आरोप के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता की मेडिकल जांच में रेप के कोई निशान नहीं मिले हैं। जांच के दौरान होटल के मैनेजर और वेटर ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी को बयान दिए. और कथित घटना से इनकार किया था।

माननीय न्यायालय का फैसला

हाईकोर्ट ने मौजूदा मामले में धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया कि बलात्कार समाज में सबसे अधिक शारीरिक और नैतिक रूप से शर्मनाक अपराध है, जिसका प्रभाव पीड़िता पर आजीवन पड़ता है। यह एक चलन बनता जा रहा है कि आरोपी पीड़िता से उसके साथ यौन संबंध बनाने की सहमति हासिल कर लेता है। शादी का झांसा देकर सेक्स के ऐसे मामले तेजी

से बढ़ रहे हैं क्योंकि आरोपियों का मानना है कि कानून का फायदा उठाकर वे दंडात्मक कार्रवाई से बच जाएंगे।

इसलिए, विधायिका को उन परिस्थितियों के संबंध में विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है जहां आरोपी शादी के झूठे वादे पर पीड़िता की सहमति प्राप्त करता है, हालांकि, जब तक ऐसा कानून नहीं बनाया जाता है, यह अदालत का कर्तव्य है। शादी के झूठे वादों पर संभोग की शिकार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखना। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि पुरुष प्रधानता की मानसिकता कि महिलाएं आनंद की वस्तुओं के अलावा और कुछ नहीं हैं, को सावधानीपूर्वक संबोधित करने की आवश्यकता है और इससे इस तरह से निपटा जाना चाहिए कि यह एक स्वस्थ समाज का निर्माण करे और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करे।

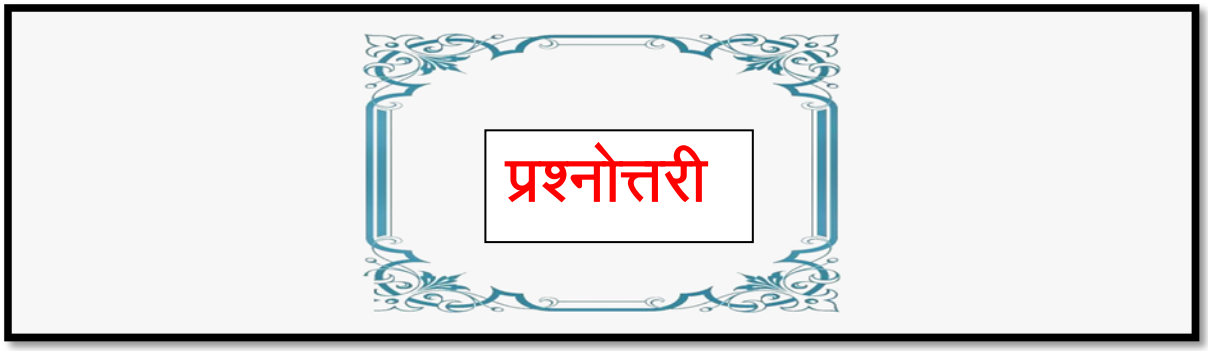

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न 1. – निम्नलिखित की परिभाषा दीजिये–

(क) लोक सेवक

(ख) चल सम्पत्ति

(ग) बेईमानी

(घ) कपटपूर्वक

(ड़) कूटकरण

उत्तर –(क) भारतीय दण्ड संहिता एक्ट नं 45 सन् 1860 की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा – 21 **"लोक सेवक"** शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक किस्म में आता हो, अर्थात्–

पहला – रद्द हो गया।

दूसरा – भारत की जल सेना, थल सेना या वायु सेना का प्रत्येक कमीशन प्राप्त (Commissioned) अधिकारी,

तीसरा – प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय देने सम्बन्धी कार्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्यों के रूप में पालन करने के लिये विधि द्वारा सशक्त किया गया हो;

चौथा – न्यायालय का प्रत्येक पदाधिकारी जिसके अन्तर्गत रिसीवर, समापक या आयुक्त भी आता है जिसका ऐसे पदाधिकारी की हैसियत से यह कर्त्तव्य है कि वह किसी कानून की सम्बन्धी मामले की जाँच (तफतीश) करे या रिपोर्ट करे या किसी दस्तावेज को बनाये या प्रमाणित (तसदीक) करे या अपनी अभिरक्षा में रखे या किसी प्रकार की शपथ दिलवाये या अनुवादक का काम करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाये रखे और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिये न्यायलय द्वारा विशेष रूप से अधिकार दिया गया हो।

पाँचवां :– किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक ज्यूरी का सदस्य, ऑफीसर या पंचायत का सदस्य;

छठा :– प्रत्येक मध्यस्थ (सालिस या बिचौलिया) अन्य व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमें या मामले का निर्णय करने या रिपोर्ट करने के लिये दिया गया हो;

सातवां :– प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त कि जिसकी हैसियत से वह किसी व्यक्ति को कैद रखने का अधिकार रखता है;

आठवां :–सरकार का वह प्रत्येक पदाधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी की हैसियत से यह कर्त्तव्य है कि वह अपराधों को रोक, अपराधों की सूचना दें, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधा की रक्षा करें।

नवां :– प्रत्येक पदाधिकारी, जिसका ऐसे अधिकरी की हैसियत से यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार की ओर से नापे, आंके या सोदा करे या किसी माल महकममे के किसी हुक्मनामे की तामील करे या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले की जाँच करे या रिपोर्ट करे या सरकार के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी कानून के उल्लंघन को रोके;

दसवां :– प्रत्येक पदाधिकारी, जिसका ऐसे पदाधिकारी की हैसियत से वह कर्त्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के लौकिक (सार्वजनिक) उद्देश्य के लिए किसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले, प्राप्त करे, अपने पास रखे या खर्च करे, कोई मापतोल करे, मूल्यांकन करे या कर लगाने या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों को निश्चित करने के लिए किसी दस्तावेज को बनाये, तसदीक करे या अपने पास रखे।

ग्यारहवां :– प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे पद पर है, जिसकी हैसियत से उसे अधिकार है कि वह किसी निर्वाचन (चुनाव) की सूची बनाये, प्रकाशित करें, कायम रखे या दोहराए और चुनाव का पूर्ण या आंशिक रूप से प्रबन्ध करे या संचालित करने को सशक्त हो।

बारहवां :– प्रत्येक व्यक्ति

(क) जो सरकार की सेवा में हो या सरकार से वेतन प्राप्त करता हो या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक लेता हो;

(ख) प्रत्येक पदाधिकारी जो किसी स्थानीय सत्ता की सेवा या सेवन में हो या केन्द्रीय प्रान्तीय या राज अधिनियम द्वारा स्थापित व्यापार या उद्योग में लगे हुए नियम की सेवा में या वेतन में हो।

(ख) चल सम्पत्ति (Movable property) भा0द0स0 एक्ट नं0 45 सन् 1860 की धारा 22 के अनुसार चल सम्पत्ति की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 22 **"चल सम्पत्ति"** से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की शक्ल (आकार) रखने वाली सम्पत्ति से है, सिवाय भूमि और उन चीजों के, जो पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों। अर्थात् पृथ्वी से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार (आकार या शक्ल) की वस्तुएं चल सम्पत्ति कहलाती हैं। साधारण शब्दों में चल सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसे एक स्थान दूसरे से स्थान पर लाया या ले जाया जा सके।

जैसे :– (i) गन्ना जब तक खेत में खड़ा रहता है तब तक अचल सम्पत्ति है लेकिन जैसे ही उसे काटकर ट्रैक्टर में लाद दिया जाये तो वह चल सम्पत्ति कहलाती है।

(ii) गहने, आभूषण, रुपया, पैसा भी चल सम्पत्ति कहलाते हैं।

(ग) '**बेईमानी से**' (Dishonestly) – भा0द0सं0 एक्ट नं0 45 सन् 1861 की धारा 25 के अनुसार बेईमानी की परिभाषा इस प्रकार है –

धारा 24 ''बेईमानी से'' जो व्यक्ति इस आशय से कोई काम करता है कि किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) लाभ हो या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) हानि हो, तो यह कहा जाता है कि उसने यह बात बेईमानी से की है। जैसे :– 'क' ने 'ख' की सम्पत्ति उसके अधिकार से इसलिए हटाई कि वह वापस नहीं करेगा, जब तक कि उसको धन प्राप्त न हो जाये 'क' ने बेईमानी से ऐसा किया है।

(घ) **कपटपूर्वक** (Fraudulently) भा0द0सं0 एक्ट नं0 45 सन् 1860 की धारा 25 के अनुसार कपटपूर्वक की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 25 ''कपटपूर्वक'' से तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कपट करने के आशय (इरादे या नीयत) से करे तो उसके लिये कहा जाएगा कि उसने उस काम को कपटपूर्वक किया है अन्यथा नहीं।

उदाहरण :– 'क' अपने प्रमाण पत्र में आयु खुरचकर 35 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करके ऐसे पद के लिए भेज देता है, जिसमें आयु 25 वर्ष अधिकतम है। 'क' ने कपटपूर्वक कार्य किया है।

(ड़) भा0द0सं0 एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 28 के अनुसार 'कूटकरण' की परिभाषा इस प्रकार है –

धारा 28 – जो इस प्रकार इस आशय (नीयत) से कि वह उस समानता (सदृश्यता) से धोखा दे या वह जानते हुए कि इसके द्वारा धोखा दिये जाने की सम्भावना है, एक चीज को, दूसरी चीज के समान बनाता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह ''कूटकरण'' करता है। अर्थात् – यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान इसलिए बनाता है कि वह इसके द्वारा धोखा दें या यह जानता है कि इससे धोखा दिये जाने की सम्भावना है तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने कूटकरण किया है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित की परिभाषा दीजियेः–

(क) दस्तावेज

(ख) सामान्य आशय

(ग) सदभावनापूर्वक

(घ) आश्रय (शरण)

(ड़) दुष्प्रेरण

उत्तर –(क) दस्तावेज (Document) भा0द0सं0 एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 29 के अनुसार दस्तावेज की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 29 –''**दस्तावेज''** शब्द से तात्पर्य किसी बात से है जिसकी किसी पदार्थ (वस्तु) पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा प्रकट या वर्णन किया गया हो और जिसका उस बात के प्रमाण (साक्ष्य) के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

(ख) सामान्य आशय (आम नीयत Common Intention) एक्ट नं0 45 सन् 1860 की धारा 34 के अनुसार सामान्य आशय की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 34 **सामान्य आशय** – जब दो या दो से अधिक लेकिन पाँच से कम व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को पूरा करने में कोई आपराधिक काम किया जाए तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति पर उस काम की जिम्मेदारी उसी प्रकार लागू होगी कि मानो वह अकेला उसी ने किया है। उदाहरण के लिये, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों मिलकर 'घ' को मारने का निश्चय करते हैं। वे 'घ' के घर जाते हैं। 'ग' ने 'घ' को सोते समय चारपाई पर ही धर दबोचा जबकि 'क' और 'ख' ने 'घ' पर तलवार से आक्रमण किया परिणामस्वरूप 'घ' की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 'क' और 'ख' ने भा.द.सं. की धारा 302/34 तथा 'ग' ने भा.द.सं. की धारा 304/34 का अपराध किया है।

(ग) **सद्भावना (Good Faith)** – भा.दं.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 52 के अनुसार सद्भावनापूर्वक की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 52 **सद्भावनापूर्वक** : कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कहलाती है जो पूरी सावधानी और ध्यान के बिना नहीं की गई हो या विश्वास न की गई हो।

उदाहराणार्थ : एक पुलिस कान्सटेबल ने यथार्थ रूप से एक व्यक्ति को चोरी का माल ले जाते हुए सन्देह किया और उसने अपराधी से असंतोषजनक उत्तर मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अतः इस मामले में पुलिस आरक्षक (सिपाही) ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 79 के अन्तगर्त वह संरक्षित है।

(घ) आश्रय (शरण देना) (Harbour) – भा.दं.सं. एक्ट 45 सन् 1860 की धारा 52 (।) के अनुसार आश्रय (शरण देना) की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 52 (क) – धारा 152 में और धारा 130 में उस दिशा के अलावा जिसमें कि संश्रय (शरण देना) दिये गए, उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा दिया गया हो। ''संश्रय'' शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को भोजन, जल रुपया, कपड़ा, हथियार, युद्ध सामग्री या सवारी के साधन देना या पकड़े जाने से बचने के लिए किन्हीं साधनों से भी, चाहे वे इस धारा में कहे गए प्रकार के हों या न हों, किसी व्यक्ति की मदद करना भी शमिल है।

(ड़) **दुष्प्रेरण** (Abetment)–भा.दं.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण की परिभाषा इस प्रकार है–

(i) उस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या

(ii) उस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है, यदि उस पड़्यन्त्र के अनुसार काम करने के लिए कोई काम या अवैध कार्यलोप हो गया हो; या

(iii) उस काम के किये जाने में किसी कार्य या अवैध कार्यलोप द्वारा साशय (जानबूझकर) सहायता करता है।

उदाहरण :–यदि 'राम' 'हरीश' को 'सुदेश' की हत्या करने के लिए उकसाये। 'हरीश' उस दुष्प्रेरण के अनुसार 'सुदेश' की हत्या कर देता है तो 'राम' हत्या के लिए और 'हरीश' दुष्प्रेरण के अनुसार 'सुदेश' की हत्या कर देता है तो 'राम' हत्या के लिए और 'हरीश' दुष्प्रेरण का अपराधी होगा।

प्रश्न 3. निम्नलिखित की परिभाषा दीजिये :–

(क) आपराधिक षड़्यंत्र

(ख) विधि विरुद्ध सम्मेलन

(ग) बलवा (दंगा)

(घ) हंगामा

उत्तर –(क) **आपराधिक षड़्यंत्र** – भा.द.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 120 (क) के अनुसार आपराधिक षड़्यंत्र की परिभाषा इस प्रकार है – धारा 120 (क) आपराधिक षड़्यंत्र (Criminal Conspiracy)

धारा 120 – क जब दो या दो से अधिक व्यक्ति –

(i) किसी कानून के विरुद्ध (अवैध) कार्य को, या

(ii) किसी ऐसे काम को, जो कानून विरुद्ध न हो, किन्तु कानून विरुद्ध (अवैध) साधनों द्वारा करने या करवाने को इकरार करे तो इस प्रकार का इकरार आपराधिक षड़्यंत्र कहलाता है।

(ख) **विधि विरुद्ध जमाव** – भा.द.सं. एक्ट 45 सन् 1860 की धारा 41 के अनुसार विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा इस प्रकार है –

धारा 141 विधि विरुद्ध सम्मेलन (मजमा खिलाफ –ए कानून Unlawful Assembly) – पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन (समूह)''विधि विरुद्ध सम्मेलन'' कहा जाता है जबकि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो :–

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मंडल या किसी लोकसेवक को, जबकि वह उस लोकसेवक की हैसियत से काम कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा डराना हो; या

(ii) किसी कानून या कानूनी कार्यवाही (आदेश, विधि, प्रक्रिया) की तामील (निष्पादन) करने को रोकना हो; या

(iii) किसी रिष्टि (हानि) या आपराधिक अनाधिकृत प्रवेश या अन्य अपराध को करना हो; या

(iv) आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना या किसी रास्ते पर चलने या पानी के प्रयोग के अधिकार से या किसी अन्य अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या जिसका वह उपयोग करना हो, वंचित करना हो या किसी अधिकार या माने हुए (स्वीकृत) अधिकार को जबरन प्राप्त करना हो; या

(v) आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए जिसके करने के लिए वह कानूनन हकदार है, विवश करना हो।

उदाहरण :– 'क','ख','ग','घ' और 'ड़' पाँच व्यक्ति मिलकर 'च' की हत्या करने के उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अतः वे विधि विरुद्ध सम्मेलन के अपराधी हैं।

(ग) **बलवा (दंगा) (Rioting)** – भा.दं.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 के अनुसार बलवा की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 146 बलवा (दंगा) (Rioting) जब किसी विधि विरुद्ध सम्मेलन द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे सम्मेलन के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे सम्मेलन का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का अपराधी है।

(घ) **हंगामा (Affray)** – जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर उस स्थान की सार्वजनिक शांति भंग करें तो कहा जाएगा कि उन्होंने ''हंगामा'' किया है।

उदाहरण :– 'क', और 'ख' एक सार्वजनिक चौराहे पर आपस में लड़ते हैं और वे उस स्थान की सार्वजनिक शांति भंग करते हैं इसलिए वे दोनों हंगामा करने के अपराधी कहलायेंगे।

प्रश्न 4. निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए :–

(क) सदोष मानव वध (Culpable Homicide)

(ख) हत्या (Murder)

(ग) चोट (Hurt)

(घ) गंभीर चोट (Grievous Hurt)

(ड़) सदोष परिरोध (Wrongful Confinement)

उत्तर – (क) सदोष मानव वध (Culpable Homicide) – भा.द.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 299 के अनुसार सदोष मानव वध की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 299 **सदोष मानव वध (Culpable Homicide)** – जो कोई व्यक्ति मृत्यु करने के आशय (नीयत) से या किसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से जिससे कि मृत्यु हो जाना सम्भव है या जानते हुए कि यह सम्भावना है कि वह उस काम से मृत्यु करता है, तो वह सदोष मानव वध का अपराध करता है।

उदाहरण के लिए, 'क' यह जानता हो कि 'झ' इस झाड़ी के पीछे है और 'ख' यह न जानता हो 'क' 'झ' की मृत्यु कराने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे 'झ' की मृत्यु होना सम्भव है, 'ख' को उस झाड़ी पर बन्दूक चलाने के लिए प्रेरित करे और 'ख' उस झाड़ी पर बन्दूक चलाए और 'झ' की मृत्यु हो जाए। यहाँ हो सकता है कि 'ख' किसी भी अपराध का दोषी न हो, परन्तु 'क' ने ''सदोष मानव वध'' का अपराध किया है।

(ख) **हत्या (Murder) –** भा.द.सं. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 300 के अनुसार हत्या की परिभाषा इस प्रकार है–

हत्या (Murder)–उन दशाओं को छोड़कर जो नीचे अपवादित (अपवाद) हैं, सदोष मानव वध, ''हत्या'' कहलाता है।

(i) यदि वह काम जिसमें मृत्यु की जाये, मृत्यु करने के आशय (नीयत) से किया गया है; या

(ii) यदि वह काम किसी ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया है, जिससे कि अपराधी यह जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना सम्भव है जिसको वह हानि पहुँचाई गई है।

(iii) यदि वह काम किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक चोट जिसके पहुँचाने का आशय है, जो सम्भावतः (प्रकृति के साधारण क्रम में, मामूलीतौर पर) मृत्यु करने के लिए काफी है; या

(iv) यदि काम करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह काम इतना नजदीकी संकट देने वाला (सकंटापन्न) है कि उससे मृत्यु होना निश्चित है या ऐसी शारीरिक क्षति (चोट) पहुंचाना निश्चित है जिससे मृत्यु होने की पूरी सम्भावना है और व मृत्यु करने या उपरोक्त क्षति पहुँचाने का जोखिम उठाने के लिए बिना किसी कारण के ऐसे काम को करता है।

उदाहरण :– 'क' 'झ' को जान से मार डालने के आशय (नीयत) से उस पर गोली चलाता है और उससे 'झ' मर जाता है तो 'क' ने हत्या का अपराध किया है।

(ग) चोट (Hurt) – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 319 के अनुसार चोट की परिभाषा इस प्रकार है–

चोट (Hurt) – जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा (दर्द) पहुँचाये, बीमार कर दे या कमजोर कर दे तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने चोट पहुँचायी है।

(घ) गंभीर चोट (Grievous Hurt) – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 320 के अनुसार गंभीर चोट की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 320 गंभीर चोट – चोट की निम्नलिखित किस्में ही गम्भीर चोट कहलाती हैं–

(i) किसी व्यक्ति को नपुंसक कर देना।

(ii) दोनों आँखों से किसी भी आँख की दृष्टि (रोशनी) को हमेशा के लिए नष्ट कर देना।

(iii) दोनों कानों में से किसी भी कान की सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर देना।

(iv) किसी अंग या किसी जोड़ को नष्ट कर देना।

(v) किसी अंग या जोड़ शक्ति को नष्ट किया जाना या हमेशा के लिए कमजोर किया जाना।

(vi) सिर या चेहरे को हमेशा के लिए कुरूप (बदसूरत) बना देना।

(vii) किसी हड्डी या दांत का तोड़ डाला जाना या उखाड़ देना।

(viii) कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डाले या जिससे पीड़ित व्यक्ति बीस दिन तक सख्त शारीरिक पीड़ा में रहे या अपने साधारण कारोबार करने के अयोग्य रहे।

उदाहरण :– किसी व्यक्ति के अंग के किसी जोड़ का उतार जाना जैसे :–घुटना या कोहनी का उत्तर जाना ''गम्भीर चोट'' है।

(ड़) सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा के अनुसार सदोष परिरोध की परिभाषा इस प्रकार है –

धारा 340 सदोष परिरोध – यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से बेजा तौर पर (सदोष परिरोध करे) रोके, जिससे वह किसी निश्चित परिसीमा से बाहर न जा सके तो कहा जाएगा कि उसका ''सदोष परिधि'' (अनाधिकार परिरोध) किया गया है।

उदाहरण :– 'क' 'ख' को एक मकान में बन्द करके वहाँ एक बन्दूकधारी को 'ख' को भागने से रोकने के लिए बैठा देता है और बन्दूकधारी को यह आदेश देता है कि यदि 'ख' बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाये। इस अवस्था में यह कहा जाएगा कि 'क' ने 'ख' का दोषपूर्ण परिरोध किया है।

प्रश्न 5 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए –

(क) आपराधिक बल का प्रयोग

(ख) बलात्कार

(ग) उद्यापन

(घ) सदोष लाभ व सदोष हानि

उत्तर – (क) आपराधिक बल का प्रयोग – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 350 के अनुसार आपराधिक बल प्रयोग की परिभाषा इस प्रकार है :–

धारा 350 आपराधिक बल का प्रयोग (Use of Criminal Force) – जो कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति पर उसकी रजामन्दी के बिना जानबूझकर बल प्रयोग करे यह इस आशय (नीयत) से या इस बात की सम्भावना को जानते हुए कि ऐसा बल प्रयोग करने से उसे व्यक्ति को, जिस पर बल प्रयोग किया गया है क्षति, भय या कष्ट पहुँचाएगा तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग किया है।

उदाहरण – अ' किसी कुत्ते को 'झ' पर झपटने के लिए भड़काए तो इस दशा में यदि 'अ' का यह आशय हो कि 'झ' को हानि, भय या कष्ट पहुँचाए तो 'अ' ने 'झ' पर आपराधिक बल प्रयोग किया है।

(ख) धारा 375 :– बलात्संग –

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई पुरुष अपने लिंगको किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ख) जब कोई पुरुष कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो लिंग नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई पुरुष अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित सात परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है:–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना

3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति उस स्त्री की या उससे हितबद्व किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।

4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।

5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।

6. उस स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वह 18 साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :–इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भगोष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :–सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विशेष कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद–

1. किसी चिकित्सकीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

2. **पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।**

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण माना है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है। (ग) उद्यापन (दबाव डालकर लेना) – भा.द.स. एक्ट 45 सन् 1860 की धारा 383 के अनुसार उद्यापन या दबाव डालकर लेना की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 383 उद्यापन (दबाव डालकर लेना) (Extortion) – जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का भय दिखाने और उसके द्वारा व्यक्ति को, जिसको डराया गया है, बेईमानी से इस बात के लिए राजी करे कि वह

किसी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान प्रतिभूति या किसी हस्ताक्षर की हुई या मुहर लगी हुई चीज कि जो कीमती प्रतिभूति हो सकती है, किसी व्यक्ति को दे, तो उस व्यक्ति ने उद्यापन (दबाव डाल कर लेना) किया है।

उदाहरण – 'अ' 'झ' को यह धमकी देता है कि तुम मुझे 10 हजार रुपये दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं एक ऐसा लेख अखबार में प्रकाशित करवा दूँगा जिससे काफी बदनामी होगी। इस प्रकार 'झ' को वह रुपये देने के लिए राजी करे तो 'अ' ने उद्यापन किया है।

(घ) 'सदोष लाभ व सदोष हानि – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 383 के 23 के अनुसार सदोष लाभ व सदोष हानि की परिभाषा इस प्रकार से है–

धारा 23 सदोष लाभ व सदोष हानि – ''सदोष अभिलाभ'', विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो।

सदोष अभिलाभ प्राप्त करना सदोष हानि उठाना – कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है और तब भी जब कि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है।

प्रश्न 6 – निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए –

(क) डकैती

(ख) चोरी

(ग) लूट

(घ) डकैती की तैयारी करना

(ड़) सम्पत्ति का गबन (दुर्विनियोग)

उत्तर – (क) **डकैती (Dacoity)** – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा के अनुसार डकैती की परिभाषा इस प्रकार है –

धारा 391 डकैती – जब पाँच से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करें या लूट करने की कोशिश चेष्टा करें या जबकि वे व्यक्ति जो लूट करें या लूट करने की कोशिश करें, उनकी संख्या पाँच या पाँच से अधिक हो और वे व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित होकर लूट करने में या लूट करने की कोशिश में सहायता प्रदान करें तो इस प्रकार लूट करने या लूट की कोशिश करने वाले या उसमें सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि उसने डकैती की है।

(ख) **चोरी** (जैमजि) **–** भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 378 के अनुसार चोरी की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 378 चोरी – जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से, उस व्यक्ति की सम्मत्ति कि बिना, किसी चल सम्पत्ति को बेईमानी से, ले लेने की नीयत से, उस सम्पत्ति को उसके स्थान से हटाए तो कहा जाएगा कि उसने 'चोरी' की है।

उदाहरण – 'अ' को 'झ' की अंगूठी उस घर की मेज में मेज पर मिलती है जिसमें 'झ' रहता है, यहाँ पर अंगूठी 'झ' के कब्जे में है और यदि 'अ' उसको बेईमानी से उठा ले जाए, तो कहा जाएगा कि उसने चोरी की है।

(ग) **लूट** (Robbery) – भा.द.स. एक्ट नं. 45 धारा 390 के अनुसार लूट की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 390 लूट – प्रत्येक लूट में या चोरी या उद्यापन होता हैः–

चोरी कब लूट होती है? ''उद्यापन'' ''लूट'' है यदि अपराधी उद्यापन करते समय डराए गए व्यक्ति की उपस्थिति में हो और उस व्यक्ति को (स्वयं उसको) या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मार डालने, चोट पहुँचाने या बेजातौर पर रोके रखने का भय दिखलाकर उद्यापन करता है और इस प्रकार का भय दिखलाकर उस डराए हुए व्यक्ति को उसी समय और वहीं उस चीज को देने के लिए प्रेरित (राजी) करता है।

उद्यापन कब लूट है? ''उद्यापन'' ''लूट'' है यदि अपराधी उद्यापन करते समय डराये गये व्यक्ति की उपस्थिति में हो और उस व्यक्ति को (स्वयं उसको) या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मार डालने, चोट पहुँचाने या बेजा तौर पर रोके रखने में भय दिखलाकर उद्यापन करता है और इस प्रकार का भय दिखलाकर उस डराये हुए व्यक्ति को उसी समय और वहीं उसी चीज को देने के लिए प्रेरित (राजी), करता है।

उदाहरण :– (प) 'अ' 'झ' को नीचे दबा लेता है, और वह छल से 'झ' के कपड़ों में से उसका रुपया जेवर उसकी बिना रजामंदी ले लेता हैं, यहाँ 'अ' ने चोरी को करने में जानबूझकर 'झ' को बेजा तौर पर रोके रखा है इसलिए 'अ' ने लूट की है।

(पप) 'अ' सड़क पर 'झ' से मिलता है और 'झ' को पिस्तौल दिखाकर उसकी रुपयों की थैली मांगता है फलस्वरूप 'झ' अपनी रुपयों की थैली उसे देता है। यहाँ 'अ' ने 'झ' को तुरन्त चोट पहुँचाने का डर दिखाकर थैली उद्यापित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अतः 'अ' ने लूट की है।

(घ) डकैती की तैयारी करना – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 399 के अनुसार डकैती की तैयारी करना की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 399 डकैती की तैयारी करना – जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 403 सम्पत्ति का गबन (बेईमानी से दुर्विनियोग) (Misappropriation of Property) – जब कोई व्यक्ति बेइमानी से किसी चल सम्पत्ति को अपना ले या अपने उपयोग में लाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सम्मत्ति का गबन (आपराधिक दुर्विनियोग) किया है।

प्रश्न 7. की परिभाषा दीजिए –

(क) आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust)

(ख) चोरी की सम्पत्ति

(ग) रिष्टि

(घ) छल

(ड़) गृह भेदन (सेंधमारी)

उत्तर – (क) आपराधिक न्यास भंग – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 405 के अनुसार आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 405 आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust) – जो कोई व्यक्ति, जिसे किसी प्रकार से कोई सम्पत्ति अमानत के रूप में विश्वास करके सुपुर्द की गई हो या उस सम्पत्ति के प्रबन्धन का अधिकार दिया गया हो और वह व्यक्ति बेईमानी से उस सम्पत्ति को किसी प्रकट या अप्रत्यक्ष कानूनी समझौते को न मानते हुए अपना ले या उसे अपने प्रयोग में ले या उस सम्पत्ति को कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए हटा दें या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने दे तो उसने आपराधिक न्यास भंग किया है।

उदाहरण –'क' एक गोदाम वाला है 'ज' देशाटन (यात्रा) पर जा रहा है उसके पास कुछ लकड़ी का फर्नीचर व अन्य वस्तुएं इस शर्त पर रखता है कि वापस लौटने पर गोदाम का कुछ किराया देकर वह अपनी चीजें वापस ले लेगा। 'क' बेईमानी से उन चीजों को बेच देता है 'क' ने इस धारा के अनुसार अपराध किया है।

(ख) **चोरी का माल –** भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 410 के अनुसार चोरी की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 410 चोरी का माल (Stolen Property) – चोरी के माल (चोरी की सम्पत्ति) से तात्पर्य उस सम्पत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग (अमानत में खयानत) किया गया है या जिसके सम्बन्ध में आपराधिक न्यास भंग (गबन) किया गया है, चाहे वह हस्तांतरण या अमानत में खयानत या गबन, भारत के बाहर किया गया है या भीतर परन्तु यदि इसके पश्चात् वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के पास आ जाती है जो उसके कब्जे का कानूनन अधिकारी है तो वह ''चुराई हुई सम्पत्ति'' नहीं कहलाती है।

(ग) **रिष्टि –** भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 425 के अनुसार रिष्टि की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 425 रिष्टि – जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करें, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दील कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षति कारक प्रभाव पड़ता है वह ''रिष्टि'' करता है।

(घ) **छल –** भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 415 के अनुसार छल की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 415 छल (Cheating) – जो कोई व्यक्ति को धोखा देकर उस व्यक्ति को, जिसे कि इस प्रकार का धोखा दिया गया है, कपट से या बेईमानी से प्रेरित (राजी) करे कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को दे, या यह रजामंदी दें, कि कोई व्यक्ति किसी समपत्ति को ले या रखे या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार धोखा दिया गया है, प्रेरित (राजी) करे कि वह ऐसे काम को करे या करने के लिए कार्यलोप करे (जो कार्य करना चाहिए वह उपेक्षा से न करे) जिसे वह धोखा दिया गया होता तो न करता या करने में कार्यलोप न करता और जिस काम के कार्यलोप से शारीरिक, मानसिक ख्याति या सम्पत्ति सम्बन्धी हानि पहुँचने की सम्भावना हो तो कहा जाएगा कि उसने छल किया है।

उदाहरण :– 'अ' ऐसी वस्तुओं को जिसको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर 'झ' को जानबूझकर धोखा दे और इस प्रकार धन उधार के लिए 'झ' को बेईमानी से राजी करे तो कहा जाएगा कि 'अ' ने छल किया है।

(ड़) गृहभेदन या सेंधमारी – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 445 के अनुसार गृहभेदन की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 445 गृहभेदन या सेंधमारी (House Breaking) –जो कोई व्यक्ति गृह अनधिप्रवेश करता है वह यदि किसी गृह में या उसके किसी भाग में नीचे लिखे हुए छः तरीकों में से किसी से भी प्रवेश करता है अथवा यदि गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन के होते हुए या वहाँ अपराध कर चुकने पर गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे छः तरीकों में से किसी से निकलता है, तो वह गृह भेदन करता है, अर्थात् –

(i) यदि वह ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या निकलता है जो कि स्वयं उसने या उस अनधिकृत प्रवेश के किसी अभिप्रेरक ने गृह अनधिकृत प्रवेश करने के लिए बनाया है।

(ii) यदि वह किसी ऐसे रास्ते में, जो सिवाय उसके या उस अपराध में सहायता करने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मनुष्य के आने – जाने के लिए प्रयोग न किया जाता हो या किसी या किसी ऐसे रास्ते से, जिस तक कि वह सीढ़ी लगाकर या किसी दीवार या इमारत पर चढ़कर पहुँचा है, प्रवेश करता है या निकलता है।

(iii) यदि वह किसी ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या निकलता है जिसको कि उसने या उस गृह अनधिकृत प्रवेश के किसी अभिप्रेरक ने गृह अनधिकृत प्रवेश करने के लिए किसी भी ऐसे तरीके से खोला है जिस तरीके से उस रास्ते का खोला जाना उस गृह पर कब्जा रखने वाले का अभिप्राय नहीं था।

(iv) यदि वह गृह अनधिकृत प्रवेश करने के लिए या गृह अनधिकृत प्रवेश के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए किसी ताले को खोलकर या तोड़कर प्रवेश करता है या निकलता है।

(v) यदि वह आपराधिक बल प्रयोग करके या हमला करके किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी देकर प्रवेश करता है या निकलता है।

(vi) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या निकलता है, जिसको वह ऐसे प्रवेश करने या निकलने को रोकने के लिए बन्द किया हुआ है और स्वयं अपने द्वारा या गृह अनधिकृत प्रवेश के अभिप्रेरक द्वारा खोला हुआ है, जानता है।

प्रश्न 8. निम्नलिखित की परिभाषा दीजिएः–

(क) सामान्य आशय (Common Intention)

(ख) गंभीर चोट

उत्तर –– (क) **सामान्य आशय –** भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 34 के अनुसार सामान्य आशय की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 34 सामान्य आशय – जब दो या दो से अधिक लेकिन पाँच से कम व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को पूरा करने में कोई आपराधिक काम किया जाए तो उन व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति पर उस काम की जिम्मेदारी उसी प्रकार लागू होगी कि मानो वह अकेली उसी ने किया है। उदाहरण के लिये 'क' 'ख' और 'ग' तीनों मिलकर 'घ' को मारने का निश्चय करते हैं। 'घ' के घर जाते हैं। 'ग' ने 'घ' को सोते समय चारपाई पर ही धर दबोचा जबकि 'क' और 'ख' 302/34 भा. द.स. का अपराधी हैं।

(ख) गंभीर चोट – भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 320 के अनुसार सख्त चोट की परिभाषा इस प्रकार है–

धारा 320 गंभीर चोट (Grievous Hurt) – चोट की निम्नलिखित किस्में ही गम्भीर कहलाती हैं–

(i) किसी व्यक्ति को नपुंसक कर देना।

(ii) दोनों आँखों से किसी भी आँख की दृष्टि (रोशनी) को हमेशा के लिए नष्ट कर देना।

(iii) दोनों कानों में से किसी भी काम की सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर देना।

(iv) किसी अंग या किसी जोड़ को नष्ट कर देना।

(अ) किसी अंग या जोड़ शक्ति को नष्ट किया जाना या हमेशा के लिए कमजोर किया जाना।

(vi) सिर या चेहरे को हमेशा के लिए कुरूप (बदसूरत) बना देना।

(vii) किसी हड्डी या दांत का तोड़ डाला जाना या उखाड़ देना।

(viii) कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डाले या जिससे पीड़ित व्यक्ति बीस दिन तक सख्त शारीरिक पीड़ा में रहे या अपने साधारण कारोबार करने के अयोग्य रहे।

उदाहरण :– किसी व्यक्ति के अंग के किसी जोड़ का उत्तर जाना जैसे – घुटना या कोहनी का उत्तर जाना ''गम्भीर चोट'' है।

प्रश्न 9. निम्नलिखित में अन्तर बतलाएं–

(क) लोक सेवक एवं सरकार के सेवक में

(ख) सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में

उत्तर –(क) लोक सेवक एवं सरकार का सेवक में अन्तर इस प्रकार है–

लोक सेवक धारा 21 भा.द.स.	सरकार का सेवक धारा 14 भा. द.स.
1. लोक सेवक सरकार का नौकर भी हो सकता है और नहीं भी।	1. प्रत्येक सरकार का नौकर, सरकारी नौकर है।
2. लोक सेवक जनता का नौकर है जो जन – कार्यों को करता है।	2. सरकार का नौकर सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है।
3. लोक सेवक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाना जरूरी है।	3. यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
4. सरकारी नौकर बिना वेतन प्राप्त किये भी कार्य करता है जैसे कि नगरपालिका के सदस्य।	4. सरकार का नौकर अपने काम का वेतन पाता है।

(ख) – सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अन्तर इस प्रकार है–

सामान्य आशय (Common Intention) धारा 34 भा.द.स.	सामान्य उद्देश्य (Common Object) धारा 149 भा.द.स.
1. सामान्य आशय को पूरा करने के लिय	1. सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कम

कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, लेकिन पांच से कम।	से कम पाँच से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है।
2. सामान्य आशय के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपराध के दौरान उपस्थित होना आवश्यक है और उसमें भाग लेना भी आवश्यक है।	2. इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को ऐसे जमाव का सदस्य होना ही आवश्यक है जिसे अवैध करार दे दिया गया हो।
3. यह धारा स्वयं अपराध नहीं है लेकिन सभी अपराधों पर लागू होती है।	3. यह धारा स्वयं अपराध है और यह उन्हीं अपराधों पर लागू होती है। जो विधि विरुद्ध जमाव से सम्बन्धित है।
4. इसके अन्तगर्त सामान्य आशय को पूरा करने के लिये पृथक – पृथक कार्य करने के लिए व्यक्ति का उद्देश्य पृथक–पृथक हो सकता है।	4. धारा 149 के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य एक होता है जो विधि विरुद्ध सम्मेलन के सदस्य हों।
5. सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किये गए कार्य पर पूर्व विचार (पहले से किये गये कार्य पर पूर्व विचार) किया हुआ होना चाहिए तभी विचारा हुआ कार्य पूरा होता है।	5. सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्व विचार किये हुए कार्य के अलावा अन्य और भी कार्य पूरे हो जाते हैं।
6. सामान्य आशय की पूर्ति में सभी लोगों को दोषसिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपराध करने में कोई न कोई काम करने में भाग ले।	6. सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सभी लोगों को, जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं दोषसिद्व करने के लिए सभी का भाग लेने लेना जरूरी नहीं है। यदि कार्य एक व्यक्ति द्वारा पूरा हो जाता है तो भी सभी व्यक्ति अपराधी समझे जाएंगे।
7 इस धारा के अन्तर्गत सामान्य आशय में वे कार्य शामिल नहीं हैं जिन्हें करने का कोई इरादा (आशय) नहीं था लेकिन उसके होने की सम्भावना होती है।	7. धारा 149 के अन्तर्गत आने वाले कार्य भी शामिल होते हैं जिनके होने की सम्भावना होती है।

प्रश्न 10. निम्नलिखित में अन्तर बतलाएं–

(क) चोरी और लूट में (ख) चोरी और छल में

चोरी और लूट में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 378 भा.द.स.	लूट धारा 390 भा.द.स.
1. सहमति :– अपराधी सम्पत्ति को बिना स्वामी की सहमति के लेता है।	1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है
2. चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जाती है।	2. लूट या डकैती अचल सम्पत्ति के विषय में भी हो सकती है। यदि वह दबाव डालकर लेने का रूप है अन्यथा नहीं।
3. बल :– चोरी में बल का तत्व नहीं उत्पन्न होता है।	3. लूट या डकैती के सभी रूपों में बल एक जरूरी तत्व है यद्यपि इसका प्रयोग न किया जाए तो भी इसमें कुछ भय हो सकता है।
4. अपराधियों की संख्या :– चोरी केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है।	4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है।
1. भय का तत्व :– चोरी में भय का तत्व नहीं होता।	बेईमानी का तत्व विद्यमान होता है।

(ख) – चोरी और छल में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 378 भा.द.स.	छल धारा 415 भा.द.स.
1. इसमें स्वामी की सम्पत्ति बिना सहमति के प्राप्त करता है।	1. इसमें अपराधी दोषपूर्ण ढंग से पीड़ित व्यक्ति से सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है।
2. चोरी में सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ले ली जाती है।	2. इसमें पीड़ित व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाता है
3. इसमें चल सम्पत्ति को बेईमानी से हटाया जा	3. इसमें किसी वस्तु को लेने के लिए धोखा

सकता है 4. चोरी में सम्पत्ति का होना जरूरी है। 5. चोरी की नीयत से बेईमानी पूर्ण ढंग से किसी निजी सम्पत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जे में लेना।	करना पड़ता है। 4. इसमें चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति हो सकती है। 5. यह कपटपूर्वक ढंग से या बेईमानी से धोखा दिये गये व्यक्ति को उस विषय के लिए उत्प्रेरित (प्रलोभन)करता है कि वह किसी सम्पत्ति को दे दे।

प्रश्न 11. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट करें–

(क) मानव सदोष वध एवं मानव वध (हत्या) में

(ख) डकैती एवं लूट में

(ग) जारकर्म एवं बलात्कार में

उत्तर –(क) सदोष मानव वध एवं मानव वध (हत्या) में अन्तर इस प्रकार है–

सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स.	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स.
कोई व्यक्ति आपराधिक मानव–वध करता है यदि उस का कार्य जिससे मृत्यु हुई निम्न प्रकार से किया गया है–	कुछ अपवादों के प्रसंग में आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु हुई हो निम्नलिखित है–
सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स.	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स.
1. आशय (नीयत) कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया है। 2. ज्ञान–कार्य ऐसा हो जिससे मौत होना सम्भव हो। 3. सम्भावना –इस नीयत से शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु होना सम्भव हो।	1. नीयत–कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया हो। 2. ज्ञान–कार्य इतना अधिक खतरनाक है जिससे मृत्यु होने की सम्भावना हो गया ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होना सम्भव है। 3. इस नीयत से शरीरिक चोट पहुंचाना जिससे अभियुक्त जानता हो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है।

(ख) डकैती एवं लूट में अन्तर इस प्रकार है–

लूट धारा 390 भा.द.स.	डकैती धारा 391भा.द.स.
1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है, जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है।	1. इसमें सहमति नहीं होती यदि होती भी है तो अवैध ढ़ंग से प्राप्त की जाती है।
2. लूट चल या अचल सम्पत्ति दोनों की हो सकती है।	2. डकैती केवल चल सम्पत्ति की हो सकती है।
3. इसमें डरा कर लेना और भय दिखलाना आवश्यक है।	3. डकैती में भय का तत्व विद्यमान होता है।
4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है।	4. डकैती में कम से कम पाँच या अधिक व्यक्ति होते हैं।
5. इसमें बेईमानी का तत्व भी शामिल है।	5. डकैती में बेईमानी का तत्व होता है
6. इसकी सजा धारा 392 आई.पी.सी. में दी गई है।	6. इसकी सजा धारा 395 आई.पी.सी. में दी गई है।
7. इसकी तैयारी करना अपराध नहीं है।	7. इसकी तैयारी करना अपराध है।

(ग) जारकर्म एवं बलात्कार में अन्तर इस प्रकार है–

जारकर्म धारा 497 भा.द.स.	बलात्कार धारा 375 भा.द.स.
1. यह हल्का अपराध है।	1. यह अधिक गम्भीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
2. इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। स्त्री विवाहिता होनी चाहिए।	2. यदि स्त्री 15 वर्ष की आयु से कम है तब अपराध होता है।
3. इसमें पति असंतुष्ट पक्ष होता है।	3. इसमें स्त्री असन्तुष्ट पक्ष होता है।
4. यह विवाह से सम्बन्धित अपराध है।	4. परन्तु बलात्कार किसी महिला के शरीर के विरुद्ध अपराध है।
5. इसमें स्त्री की इच्छा व रजामंदी होती है।	5. बलात्कार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध व

इसमें दोनों ओर रजामंदी होनी चाहिए। 6. इसमें स्त्री का विवाहित होना आवश्यक है। वह दूसरे व्यक्ति की पत्नी हो जिसके साथ संभोग किया हो।	उसकी रजामन्दी के बिना अपराध होता है इसमें स्त्री की रजामंदी या इच्छा का अभाव रहता है। 6. बलात्कार किसी भी स्त्री के साथ हो सकता है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो।

प्रश्न 12. सरकार का नौकर से आप क्या समझते हैं। लोक सेवक एवं सरकार के नौकर में अन्तर स्पष्ट करते हुए विस्तार से लिखें।

उत्तर –सरकार का नौकर – सरकार के नौकर की परिभाषा भा.द.स. एक्ट नं. 45 1860 की धारा 14 में दी गई है जो इस प्रकार है–धारा 14 सरकार का नौकर–सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिये गये या नियोजित किया गए, किसी भी आफीसर या सेवक (नौकर) के द्योतक (परिचायक) है।

लोक सेवक एवं सरकार के नौकर में अन्तर इस प्रकार है–

लोक सेवक धारा 21 भा.द.स.	सरकार का सेवक (नौकर) धारा 14 भा.द.स.
1 प्रत्येक लोक सेवक सरकार का सेवक न भी हो।	1. प्रत्येक सरकार का नौकर, सरकारी नौकर है।
2 लोक सेवक जनता का नौकर है जो जन–कार्यों को करता है।	2. सरकार का नौकर सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है जो उसे करने पड़ते हैं।
3 लोक सेवक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना जरूरी है।	3. यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
4 लोक सेवक बिना वेतन प्राप्त किये भी कार्य करता है जैसे की नगर पालिका के सदस्य।	4. सरकार का नौकर अपने काम का वेतन पाता है।

प्रश्न 13 प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? क्या किसी पागल व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकर प्राप्त है? यदि हाँ तो धारा सहित वर्णन करें।

उत्तर –प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार :– प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकर से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, को रोकने में

अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए उपयोग लाता है। इसके अलावा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को चल या अचल सम्पत्ति की किसी ऐसे अपराध से प्रशिक्षण करें, जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या इनके प्रयत्न से सम्बंधित हो जैसे की धारा 97 भा.द.स. में बतलाया गया है।

धारा 97 शरीर तथा सम्पत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार – धारा 99 में वर्णित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह –

पहला – मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध को रोकने के लिए अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें,

दूसरा :– अपनी व किसी अन्य व्यक्ति की चल, अचल सम्पत्ति की, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, लूट, नुकसान (रिष्टि) या आपराधिक अनधिकृत प्रवेश (अतिचार) करने की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न करने पर, प्रतिरक्षा करे।

पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार – जी हाँ, किसी पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रत्येक कारे प्राइवेट प्रति रक्षा का अधिकार है यदि वह (पागल) उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला करता है जैसा कि धारा 98 द.प्र.सं. में बतलाया गया है–

धारा :– 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकर जो पागल हो कोई कार्य जो उसके करने वाले व्यक्ति की आयु होन या समझ पक्की न होने या पागलपन होने या नशे में होने के कारण या व्यक्ति के किसी भ्रम (भ्रान्ति) के कारण अपराध नहीं है परन्तु जो अन्यथा अपराध होता, तब प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का वही अधिकर है, जो उस कार्य को वैसा अपराध होने की दशा में होता।

उदाहरण – यदि 'क' पागल के कारण 'ख' को मार डालने की कोशिश करे जो 'क' किसी भी अपराध का अपराधी नहीं लेकिन 'ख' को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो 'क' के पागल न होने की दशा में होता है।

प्रश्न 14 कब शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करने तक होता है धारा संहिता वर्णन करें।

उत्तर –ा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 100 के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करने तक निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है–

धारा 100 कब शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक होता है – पूर्ववर्ती अन्तिम धारा (धारा 99) में वर्णित (बताये गए) अपवादों को ध्यान में रखते हुए, शरीर

की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार हमला करने वाले (आक्रमणकारी) व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक (जानबूझकर) मृत्यु करने या कोई अन्य हानि पहुँचाने तक है, वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, निम्न प्रकारों में से किसी एक प्रकार हो–

(1) ऐसा हमला (आक्रमण) जिससे उचित रीति द्वारा यह पूरी–पूरी आशंका हो कि यदि उससे बचाव (प्रतिरक्षा) न किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु होगा।

(2) ऐसा हमला जिससे उचित रीति द्वारा आशंका हो कि यदि उससे बचाव न किया गया तो उसका परिणाम गम्भीर (सख्त) चोट होगा।

(3) बलात्कार करने की नीयत से किया गया।

(4) अप्राकृतिक (प्रकृति के विरुद्ध) काम वासना की तृप्ति (पूर्ति) करने के आशय से किया गया हमला।

(5) किसी व्यक्ति को ले भागने या भगा ले जाने के आशय से किया गया हमला।

(6) ऐसा हमला जो किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध (Wrongful confinement) करने के लिए ऐसी दशाओं में किया जाये कि उसे उचित कारणों से यह आशंका हो कि वह स्वयं को छुड़ाने के लिये किसी लोकसेवक से सहायता नहीं ले सकेगा।

(7) तेजाब का हमला जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो।

प्रश्न 15 भारतीय दण्ड संहिता में ऐसे कौन – कौन से कार्य है जिनके विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है?

उत्तर –भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 99 के अर्न्तगत दिये गये कार्यो के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है–

धारा 99 ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है–

(1) ऐसे कार्य जिससे मृत्यु या गम्भीर चोट पहुँचाने की आशंका उचित रीति से पैदा न हो तो उस कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, जबकि उस कार्य को कोई लोकसेवक नेकनीयत से अपने पद के अधिकारों के अनुसार करे या उसे करने की चेष्टा करे चाहे वह कार्य कानून के अनुसार सर्वथा न्याय अनुकूल न भी हो।

(2) जिस कार्य में मृत्यु या गम्भीर चोट पहुँचाने की आशंका उचित रीति से पैदा न हो, उस कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं हैं, जबकि वह काम किसी ऐसे लोक सेवक की आज्ञा से किया जाये या उसको करने का प्रयत्न करे जो नेकनियति से अपने पद के अधिकारों के अनुसार काम करता है, चाहे वह आज्ञा, कानून के अनुसार न्याय के अनूकूल न भी हो।

(3) उन अवस्थाओं में, जिनमें सुरक्षा के लिये लोक पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो, व्यक्तिग प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

(4) इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार–किसी दशा में भी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी हानि करने का नहीं है जो कि प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है।

प्रश्न 16. एक मजिस्ट्रेट ने राम को, श्याम के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में एक रजिस्टर बतौर दस्तावेज पेश करने के लिये समन जारी किया लेकिन राम समन की तामील से बचने के लिए घर से फरार हो जाता है। उसने क्या अपराध किया धारा सहित वर्णन करें।

उत्तर –राम ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन की पालना में रजिस्टर को पेश न करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 172 का अपराध किया है।

प्रश्न 17. करीम ने माडल थाना में एक शिकायत (प्र.सू.रि.) दर्ज कराई जिस पर प्रबन्धक थाना ने उसको हस्ताक्षर करने के लिये कहा लेकिन करीम ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया करीम ने क्या अपराध किया है?

उत्तर –करीम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उस पर हस्ताक्षर न करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 180 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 18. राजेश एक पुलिस ऑफीसर को यह सूचना देता है कि 'क' अफीम बेचता है और अपने पास रखता है जबकि वह जानता है कि यह सूचना झूठी है और इसी सूचना के आधार पर उस पुलिस ऑफीसर द्वारा उसके घर की तलाशी लिये जाने की सम्भावना है। राजेश ने क्या अपराध किया है?

उत्तर –राजेश ने उस पुलिस ऑफीसर को झूठी सूचना देकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 182 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 19. रामू अपनी दुकान में बही में एक झूठा इन्द्राज इस आशय से करता है कि न्यायालय में उस समर्थक (Coroborative Evidence) साक्ष्य के रूप में पेश कर सके। रामू ने क्या अपराध किया?

उत्तर –रामू ने झूठी साक्ष्य तैयार करने के इरादे से बही में झूठा इन्दराज (विशिष्ट) करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 193 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 20. राजन एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद रमेश से उसको खुर्द–बुर्द करने के इरादे से एक सुनसान कुएं में लाश को डलवाने में मदद लेता है और रमेश लाश को कुएं में डलवाने में उसकी सहायता करता है किसने क्या अपराध किया?

उत्तर –राजन ने उस व्यक्ति की हत्या करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 302 अर्थात् 201/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जबकि रमेश ने भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 201/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 21. एक व्यक्ति राहुल पर चोरी (गहने चुराने) का मुकदमा न्यायालय में दायर करता है जबकि वह जानता है कि मामला झूठा है और आरोप लगाने का कोई उचित एवं कानूनी आधार नहीं है उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया?

उत्तर –उस व्यक्ति ने राहुल पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 211 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 22. राम जानता है कि रहीम पुलिस को हत्या के एक मामले में वांछित है और राम उसे अपने घर बात जानते हुए रखता है या शरण देता है तो उसने क्या अपराध किया?

उत्तर –राम ने रहीम को शरण देकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 216 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 23. एक डाकुओं का समूह डकैती डालकर आमों की बगीची में छिप जाता है जिसके बारे में विजय को पूरी–पूरी जानकारी है विजय ने क्या अपराध किया?

उत्तर –विजय ने डकैतों को शरण देकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 216 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 24. राम एक पुलिस आफीसर है जिसकी ड्यूटी हवालात में बंद कैदी की निगरानी हेतु लगाई गई है। राम की लापरवाही से कैदी वहाँ से फरार हो जाता है। राम ने क्या अपराध किया है?

उत्तर –राम लापरवाही से कैदी को हवालात में से फरार होने देता है। इसलिए उसने भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 25. रमजान को एक पुलिस आफीसर वारन्ट के आधार पर गिरफ्तार करने जाता है। दौरान गिरफ्तारी अब्दुल जो रमजान का छोटा भाई है रमजान होने से बचाने के लिये अवैध रूप से डालकर डालता है अब्दुल ने क्या अपराध किया?

उत्तर –अब्दुल ने रमजान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस आफीसर को अवैध रूप से रूकावट डालकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 225 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 26. कमल भारतीय सिक्के का कूटकरण करते हुये पाया जाता है। कमल ने क्या अपराध किया है?

उत्तर –कमल ने भारतीय सिक्के का कूटकरण करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 232 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 27. राम अपनी कार एक सार्वजनिक सड़क पर तेज रफ्तार एवं लापरवाही से दौड़ाता है जिससे एक बच्चा घायल होते – होते बच जाता है। राम ने क्या अपराध किया?

उत्तर –राम ने लापरवाही व तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 279, 336 भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 28. 'क' बिना किसी कारण कुछ व्यक्तियों के समूह पर बन्दूक से फायर करके एक बच्चे की मृत्यु कर देता है। 'क' ने क्या अपराध किया?

उत्तर –'क' ने बच्चों के समूह पर अकारण बन्दूक से फायर करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 29. राम पर श्याम ने अचानक किसी बात पर गुस्सा होकर एक पिस्तौल से फायर कर दिया जिससे राम को गोली न लगकर बन्सी के लग गई। श्याम ने क्या अपराध किया?

उत्तर –श्याम ने राम पर फायर करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 302 व बन्सी की मृत्यु करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 304 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 30. एक पुलिस आफीसर को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने हेतु रहमान जानबूझ कर साधारण चोट पहुँचाता है। रहमान ने क्या अपराध किया?

उत्तर –'रहमान' ने एक पुलिस आफीसर को उसके कर्त्तव्यों का पालन से रोकने के लिये साधारण चोट पहुंचाकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 279/337 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 31. रामदेव अपनी मोटर साइकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर एक औरत को चोट पहुँचाता है। उसने क्या अपराध किया है?

उत्तर –रामदेव ने अपनी मोटर साइकिल तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर तथा एक औरत को चोट पहुँचाकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 279/337 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 32. कल्लू अपने ही गांव की एक स्त्री की चुन्नी सार्वजनिक रास्ते पर पकड़कर खींच लेता है और आँख मारता है। कल्लू ने क्या अपराध किया?

उत्तर –कल्लू ने चुन्नी खींचकर व आँख मारकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 33. रहमत एक स्त्री को विवाह करने के लिए मजबूर करने के इरादे उसके घर से भगा ले जाता है जहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी शबीर से कर दी जाती है किसने क्या अपराध किया है।

उत्तर –रहमत ने उस स्त्री को शादी के लिए मजबूर करने हेतु भगाकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 34. बलात्कार से आप क्या समझते हैं? कब एक पुरुष का अपनी पत्नी से सम्भोग करना बालात्कार की श्रेणी में आता है। धारा सहित वर्णन करों?

उत्तर – धारा 375 :– बलात्संग –

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई पुरुष अपने लिंगको किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ख) जब कोई पुरुष कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो लिंग नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई पुरुष अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित सात परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता हैः–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति उस स्त्री की या उससे हितबद्व किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।
5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।

6. उस स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वह 18 साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :–इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भगोष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :–सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विशेष कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद–

1. किसी चिकित्सकीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

2. **पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।**

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण माना है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है।

धारा 376 ख

जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा या रुढि के अधीन उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

प्रश्न 35 एक जेल अधीक्षक एक महिला कैदी को अपने साथ सम्भोग करने के लिए सहमत कर लेता है और उसकी इच्छा से सम्भोग करता है। किसने अपराध किया?

उत्तर –उस जेल अधीक्षक ने महिला कैदी को सम्भोग के लिए सहमत करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 376C का अपराध किया है।

प्रश्न 36 राजेश अपने दो साथियों सहित एक मकान में लूट करने के इरादे से घुसा लेकिन सायरन की आवाज सुनकर वे भाग गये। राजेश और उसके साथियों ने क्या अपराध किया?

उत्तर –राजेश व उसके साथियों ने लूट करने का प्रयास करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 393 भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 37. 'कोमल' यह जानते हुए कि यह आदतन डकैती डालने वाला गिरोह है उसमें शामिल हो करता है वे लूट करने के इरादे से एकत्रित होते हैं। कोमल ने क्या अपराध किया?

उत्तर –कोमल ने आदतन डकैती डालने वाले गिरोह में लूट करने के इरादे से एकत्रित होते समय शमिल होकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 400 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 38. राम एक हार को यह जानते हुए बेईमानी से ले लेता है कि वह हार चोरी का है। राम ने क्या अपराध किया?

उत्तर –राम ने चोरी का हार लेकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 411 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 39. एक व्यापारी आदतन ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह चोरी की है। उसने किस धारा के अनुसार अपराध है?

उत्तर –उस व्यापारी ने आदतन चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 413 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 40. 'ब' जिसकी मृत्यु हो चुकी है का बहाना बनाकर राजेश छल करता है। उसने किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया है।

उत्तर –राजेश ने 'क' का प्रतिरूपण करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 419 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 41. एक व्यक्ति अपराध करने के आशय से 'क' के मकान में प्रवेश करता है और 'क' का अपमान करता है। उसने क्या अपराध किया है?

उत्तर –उस व्यक्ति ने 'क' के मकान में आपराधिक अतिचार करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 447 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 42. रामचन्द्र और रामजस का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर रामचन्द्र ने रामजस को धमकी दी कि वह उसे जान से मार देगा। रामचन्द्र ने क्या अपराध किया?

उत्तर –रामचन्द्र ने रामजस को जान से मारने की धमकी देकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 43. एक व्यक्ति अपराध करने के आशय से 'क' के मकान में प्रवेश करता है और 'क' का अपमान करता है। उसने क्या अपराध किया है?

उत्तर –उस व्यक्ति ने 'क' के मकान में आपराधिक अतिचार करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 447 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 44. रामेन्द्र अपने भाई और साले को लेकर लाठियों से लैस होकर 'क' के मकान में घुसकर मारपीट करता है जिससे 'क' के हाथ की हड्डी क्रैक हो जाती है। किसने क्या अपराध किया?

उत्तर –रामेन्द्र ने अपने भाई व साले के साथ चोट पहुँचाने की तैयारी करके व हमला करके भा.द. स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 452/325 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 45. नेकराम एक घर में चोरी करने के इरादे से घुस जाता है। अचानक घर के मालिक को सोया हुआ देखकर नेकराम जानबूझकर उसकी बाजू पर लाठी से चोट मारता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है नेकराम ने क्या अपराध किया?

उत्तर –नेकराम ने गृह अतिचार करके व घर के मालिक का हाथ तोड़कर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 459 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 45 'क' एक विवाहित स्त्री को संभोग करने के इरादे से अपने घर में रोक कर रखता है जबकि वह जानता है है कि राजेश की पत्नी है। 'क' ने क्या अपराध किया है।

उत्तर –'क' ने विवाहित स्त्री को सम्भोग करने के इरादे से अपने घर में रोक कर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 498 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 46. एक सिपाही 'राजेश' अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा से कानूनन आदेश का पालन करते हुए कुछ व्यक्तियों की भीड़ पर गोली चलाता है। राजेश ने क्या अपराध किया है।

उत्तर –सिपाही राजेश ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने अपने उच्चाधिकारी से उचित आदेश का पालन करते हुए भीड़ को तितर–बितर करने के लिए गोली चलाई है। उसका यह कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्तर्गत सामान्य अपवादों की धारा 76 के अधीन आता है।

प्रश्न 47. एक लुहार डाकुओं द्वारा विवश करने पर एक सेठ की तिजोरी हथौड़ी मार कर तोड़ डालता है। लुहार ने क्या अपराध किया?

उत्तर –भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 94 के अधीन उस लुहार ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने यह कार्य अपनी मर्जी और आपराधिक आशय से नहीं किया बल्कि उसने विवश होकर किया है इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है।

प्रश्न 48 'राम', 'श्याम' की हत्या करने के आशय से 'ब' को जो सात वर्ष से कम आयु का बालक है, ऐसा काम करने के लिए उकसाये जिससे 'श्याम' की मृत्यु होजाए। 'ब' 'राम' के बताए गए काम को करके 'श्याम' की हत्या कर देता है। 'ब' ने क्या अपराध किया?

उत्तर –'ब' ने 'राम' की हत्या करके भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 109/302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 49. 'राजेश' बी.ए. की परीक्षा में पास होने के जिए अपनी जगह 'सुरेश' को परीक्षा में बैठा देता है और चैंकिंग करने पर पकड़ा जाता है। सुरेश ने क्या अपराध किया?

उत्तर –'सुरेश' ने 'राजेश' की जगह परीक्षा में बैठकर भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 419 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 50. 'क' 'झ' को हानि पहुँचाने के आशय से उसके बर्फखाने में पानी छोड़ देता है जिससे उसकी बर्फ पिघल जाती है। 'क' ने क्या अपराध किया है?

उत्तर –'क' 'झ' के बर्फखाने में पानी छोड़कर हानि पहुँचाता है जिससे बर्फ पिघल जाती है। अतः 'क' ने भा.द.स. की धारा 1860 की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 51. 'राजू' ने यह जानते हुए कि कमला 'रामू' की पत्नी है, कमला की सहमति से उसके साथ सम्भोग करता है।

उत्तर –'राजू' ने भा.द.स. एक्ट नं. 45 सन् 1860 की धारा 497 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

प्रश्न 52. दुष्प्रेरण से क्या तात्पर्य है, दुष्प्रेरक का आपराधिक दायित्व उसी समय प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है परन्तु ऐसे दायित्व का अन्तिम रूप से निर्धारण दुष्प्रेरण के परिणामों पर निर्भर करता है। समझाइए।

उत्तर– दुष्प्रेरण– धारा 107 के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिये उत्प्रेरित करता है तो इसे दुष्प्रेरण कहते हैं।

दुष्प्रेरण तीन प्रकार से होता है (1) उकसाकर, (2) षड्यंत्र द्वारा, (3) सआशय किसी को मदद करके।

धारा 108 दुष्प्रेरक– वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य

अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1– किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2– दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

उदाहरण 1–ग की हत्या करने के लिये **ख** को **क** को उकसाता है। ख वैसा करने से इंकार कर देता है। क हत्या करने के लिये ख के दुष्प्रेरण का दोषी हैं।

उदाहरण 2– घ की हत्या करने के लिये ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को घायल कर देता है। क हत्या करने के लिये ख को उकसाने का दोषी है।

स्पष्टीकरण 3– यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।

उदाहरण 1–य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क को उकसाता है जिससे य की मृत्यु हो जाती है। ख दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है । यहां यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसीलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण 4– अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

उदाहरण –ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिये ख को क उकसाता है। ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिये ग को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिये हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिये ख को उकसाया इसलिये क भी उसी दंड से दंडनीय है।

स्पष्टीकरण 5– षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता हैं।

उदाहरण –य को विष देने के लिये ग एक योजना ख से मिलकर बनाता है । यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता । ग विष उपाप्त करने के लिये सहमत हो जाता है और उसे समझाये गये प्रकार से उपाप्त करके प्रयोग में लाने के लिये ख को दे देता है। क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है । यहां यद्यपि क और ग ने मिलकर षड़यंत्र नहीं रचा है तो भी ग उस षड़यंत्र में शामिल रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है इसलिये ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिये दंड से दंडनीय है।

प्रश्न 53 "ए" "जेड" को एक छड़ी से पचास बार पीटता है और शरीर के कई अंगों पर घाव कर देता है, क्या 'ए' को हर घाव के लिए अलग–अलग सजा दी जा सकती है ?

उत्तर– 'ए' द्वारा 'जेड' को एक छड़ी से पचास बार पीटा गया एवं 'जेड' के शरीर के कई अंगों पर घाव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन धारा 71 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत 'ए' को प्रत्येक बार पीटने के लिये अलग–अलग सजा नहीं दी जा सकती। इस धारा में यह उपबंधित है कि जहां कोई अपराध ऐसे भागों में जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध हो, मिलकर बना है वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दण्ड से दण्डित नहीं किया जावेगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हो। इस समस्या में 'ए' द्वारा 'जेड' को 50 बार मारी, गई चाटों के लिये 'ए' को एक ही दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। 'ए' को हर घाव के लिये अलग–अलग दण्डित नहीं किया . जा सकता।

प्रश्न 54. 'ए' अपने शत्रु 'बी' की हत्या का ईरादा रखता है, इसलिये 'ए' एक चाकू खरीदता है, 'ए' गिरफ्तार हो जाता है। क्या 'ए' हत्या की तैयारी का दोषी है ?

उत्तर– प्रस्तुत समस्या में 'ए' द्वारा अपने शत्रु 'बी' की मृत्यु कारित करने का आशय व्यक्त किया गया है एवं इस आशय की पूर्ति के लिये 'ए' द्वारा चाकू खरीदा गया है तथा 'ए' को इस चरण पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी स्थिति में 'ए' हत्या की तैयारी दोषीकरार नहीं दिया जा सकता। हत्या करने का प्रयत्न करना व हत्या की तैयारी करने में भेद है। अपराध करने के आशय से तैयारी करने के पश्चात् अपराध करने की दिशा में कुछ कार्य किया जाना अनिवार्य है, ऐसा कार्य अपराध करने की दिशा में किया गया अंतिम कार्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह अपराध करने की दिशा में अवश्य होना चाहिये। प्रस्तुत समस्या अभियुक्त 'ए' ने चाकू खरीदने के बाद हत्या का प्रयत्न करने की दिशा में अन्य कोई कार्य नही किया हैं। अत उसे 'बी' की हत्या करने की तैयारी करने का दोषी करार नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न 55. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किन शब्दों के माध्यम से आपराधिक दायित्व की स्थापना की गई है ?

उत्तर– भारतीय दण्ड संहिता में जिन शब्दों के माध्यम से आपराधिक दायित्व की स्थापना की – गई है वे निम्नलिखित है

(1) आशय (2) ज्ञान (3) बेइमानीपूर्वक (4) कपटपूर्वक (5) उपेक्षा से (6) दुर्भावना।

प्रश्न 56. अपराध के प्रयत्न से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– आपराधिक आशय के साथ किया गया ऐसा कार्य जो यदि पूर्ण या सफल हो गया होता तो इच्छित परिणाम उत्पन्न होते उसे आपराधिक प्रयत्न कहते हैं।

जब तक व्यक्ति का किसी कृत्य पर नियन्त्रण हो तब तक वह प्रयत्न नहीं माना जाता लेकिन जैसे ही नियन्त्रण हट जाये तो वह प्रयत्न है। अपराध का प्रयत्न भी अपराध माना जाता है चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो।

प्रश्न 57. एक खजान्ची जिसे चैक का भुगतान कराने अधिकार है, एक चैक का भुगतान करा कर बैंक से 3,000 रुपये पाता है, उस पैसे को वह अपने निजी काम में खर्च कर देता है लेकिन उसका आशय था कि बाद में वह पैसा पूरा कर देगा। खजान्ची ने क्या अपराध किया ?

उत्तर– इस प्रकरण में खजान्ची ने बैंक से चैक भुगतान के तीन हजार रुपये प्राप्त किये वह उसे अपने व्यक्तिगत कार्य में वह राशि पूरा कर देने के आशय से खर्च कर दी, इस प्रकार खजान्ची ने बैंकर के खाते अपने कारोबार में उक्त सम्पत्ति पर अख्यार अपने को व्यस्त होते हुए उस सम्पत्ति के बारे में आपराधिक न्यास भंग किया, इस प्रकार उसने धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया।

प्रश्न 58. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कितने प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं तथा उन अपराधों को बताइये जिनमें मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है ?

उत्तर– भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं

1. मृत्यु, 2. आजीवन कारावास, 3. कारावास जो निम्न भांति का है

(क) साधारण (ख) कठोर, 4. सम्पत्ति का समपहरण, 5. जुर्माना।

इन पांच के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 के अनुसार एकान्त परिरोध का दण्ड दिया जा सकता है।

➢ निम्न अपराधों में मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है

(1) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। (धारा 121)

(2) विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप दुष्प्रेरण किया जाये। (धारा 132)

(3) मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिये दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना । (धारा 194)

(4) कत्ल । (धारा 302)

(5) शिशु या उन्मत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण । (धारा 305)

(6) हत्या सहित डकैती। (धारा 396)

(7) हत्या करने का प्रयत्न । (धारा 307)